खण्ड-268, अंक-5
सोमवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1888
(1 अगस्त, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अजयवर्मासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुरंहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द , श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामग्रधार कनौजिया, श्री
रामग्रधीनसिंह, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, श्री

विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिबचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी श्रीमती,
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर

सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—राजस्व मन्त्री, श्री हुकुमसिंह विसेन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ अगस्त, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर जिले में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था

*१—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की खपत प्रति माह कितनी है तथा १ सितम्बर, १९६५ से प्रति माह कितना तेल दिया जा रहा है?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

कानपुर जिले की मिट्टी के तेल की औसत आवश्यकता प्रति मास १२ लाख लीटर है। १ सितम्बर, १९६५ से निम्नलिखित मात्रा में कानपुर जिले को मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ :

	लीटर
सितम्बर, १९६५	४,०७,८००
अक्तूबर, १९६५	३,९६,२८५
नवम्बर, १९६५	४,०८,१९५
दिसम्बर, १९६५	४,५०,२०५
जनवरी, १९६६	५,६५,१९४
फरवरी, १९६६	४,९९,६५९
मार्च, १९६६	५,०३,१७१
अप्रैल, १९६६	५,३९,०००
मई, १९६६	५,८८,०००
जून, १९६६	६,१७,०००

नोट—तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

*२—श्री शिवनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिले में प्राप्त मिट्टी के तेल वितरण-व्यवस्था का क्या आधार है तथा शहर व जिले की प्रत्येक तहसील को १ सितम्बर, १९६५ के प्रश्नोत्तर देते समय तक प्रति माह कितना-कितना तेल दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रख कर तेल का वितरण इन क्षेत्रों में आयात के अनुपात के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण कार्डों पर सीमित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की पर्चियों पर। विवाह तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विशेष परमिट दिए जाते हैं। औद्योगिक एवं कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति भी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा होती है।

१ सितम्बर, १९६५ से कानपुर शहर व प्रत्येक तहसील को दिए गए तेल की मात्रा संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०३ पर।)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिमास १२ लाख लीटर मिट्टी के तेल की आवश्यकता है तो ५, ४, ३ लाख लीटर जो तेल दिया जाता है वह क्यों ? इसका कारण क्या है ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

चूंकि मिट्टी के तेल का यू० पी० का कोटा बहुत कम है इसलिए कम दिया जाता है।

उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० के गांवों में विद्युतीकरण बहुत कम हुआ है ? तो इस बात को देखते हुए मिट्टी के तेल का कोटा कम क्यों है जब कि ज्यादा मिलना चाहिए ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं खुद उस मीटिंग में गया था और मैंने इस बात को दोहराया था जिसको माननीय सदस्य कह रहे हैं, मगर उन्होंने यह कहा कि हम १९६५ के अनुपात के आधार पर ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। यद्यपि हमने बहुत जोर दिया कि हमारे यहां पहाड़ी स्थान हैं वहां के लिए टिन मिलना चाहिए और बहुत कोशिश की तो अब १७ हजार टन से २२, २३ हजार किलो लीटर के करीब आ रहा है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि देहातों में मिट्टी का तेल सरकार अपने नियन्त्रण में दूकानदारों के जरिए से इतना कम भिजवाती है कि लोगों को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है। अधिक मात्रा में ब्लैक में तेल वहां पर मिलता है। तो क्या सरकार की वितरण व्यवस्था में कोई दोष है जिससे वह ब्लैक में पहुंच जाता है या कोई ऐसा तेल होता है जो सरकारी नियन्त्रण के बाहर है जिसको कम्पनी अपने मनमाने ढंग से बेचती है ? इसको कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे तरीके पर इस किरोसिन आयल पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। इन कम्पनियों के साथ बात कर के केन्द्रीय सरकार ने यह कह दिया है कि वह वितरण में मदद करें और हम लोगों ने केवल इतना ही किया है कि कुछ अंश रिटेलर्स के द्वारा हम बंटवाते हैं और कुछ उन के अपने पुराने एजेन्ट काम करते हैं इसके लिए और यह निश्चित मात्रा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जितना

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

कोटा बंधा हुआ है वह सारा मिल ही जाय। और अगर वह आता भी है तो कभी किसी कम्पनी के पास आता है कभी किसी के, वह भी हमारे अधिकार में नहीं है। हमने यह भी कहा कि एक कम्पनी का माल दूसरी कम्पनी को न दिया जाय, लेकिन वह कहते हैं कि हम कानूनी तौर से ऐसी कोई पावर तुम को नहीं दे सकते। इसलिए हम जितना कर सकते हैं ग्रामों में सही तौर से तेल बंटवाने की कोशिश करते हैं। जहां बिजली नहीं है वहां ज्यादा देते हैं, जहां है वहां कम देते हैं। यह कोशिश हम ने की है कि देहात में कोटा ऐसे आदमी के पास जाय कि जो सही तौर से तेल बांट दे, मगर हम जानते हैं कि हमारी जरूरत ज्यादा है, तेल कम है। फिर भी अगर जैसी माननीय सदस्य की सूचना है, वह सही हो, तो हम इस की जानकारी करने की कोशिश करेंगे।

श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन जो पब्लिक सेक्टर में है उस के द्वारा जो तेल आता है उस पर ही सरकार का नियन्त्रण है और जो प्राइवेट सेक्टर में बर्मा शेल या काल-टेक्स की कम्पनियां हैं वह सरकार के नियन्त्रण के बाहर हैं। तो वह मनमाने ढंग से अधिक तेल बेचती हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वैसे काम तो ८० परसेन्ट दूसरी कम्पनियां ही तेल की बाबत करती हैं और अब सब काम उस को ही करना है और वह इस के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ठीक है कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहले हम को १७ हजार कि० लीटर मिलता था। अब वह २२ या २३ हजार लिटर हो गया है और अगर ४० हजार कि० लीटर हो जायगा तो हमारा काम चल जायगा।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या कानपुर में जितना तेल जाना चाहिए यह ठीक है कि उतना तेल वहां के स्टाकिस्ट्स उठाते नहीं हैं और आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा कर के ब्लैक कर रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन मैं इस की जानकारी करा लूंगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

सरकार की नीति है कि उपभोक्ता वस्तुएं उचित मूल्य पर ग्राहकों को मिलें तो यह मिट्टी का तेल भी उचित मूल्य पर उन को मिले इस के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिए हम डिस्ट्रिब्यूशन का इंतजाम शहरों और देहातों में करा रहे हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जिन तेल कम्पनियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है कालटेक्स और बर्माशेल, क्या उन पर भी सरकार कोई नियन्त्रण लगाने की कोशिश करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार तो चाहती है कि उन को बांध दिया जाय लेकिन केन्द्रीय सरकार इस से सहमत नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

पूरे प्रदेश में तेल की कमी है यह सही है, लेकिन आप की जो वितरण की व्यवस्था है वह भी दूषित है। झांसी में ४० दूकानें हैं और १ लाख २० हजार का कोटा है लेकिन २० हजार लीटर ४० दूकानों पर दिया जाता है। इसमें सरकार कोई सुधार करेगी अथवा नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास जितना कोटा होता है वह भी निश्चित नहीं रहता कि मिल ही जाय और इसकी वजह से झांसी में हो अथवा किसी और जिले में हो, कमी रह सकती है। लेकिन बिजली वाले घरों में हम आधा लीटर और बिना बिजली वालों को दो लीटर देते हैं इसमें दोष क्या है मेरी समझ में नहीं आया।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का कोटा कम है और मैसूर और बाम्बे का कोटा कुछ ज्यादा है, यह कम क्यों है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह प्रश्न मैंने उठाया था मीटिंग में सन् १९६४ में; उनकी परचेजिन्ग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसलिये ज्यादा खरीदते थे, इसलिये इस नीति को केन्द्रीय सरकार को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

आपने कहा कि सन् ६४ की खपत के आधार पर हमें मिला। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि तब के और आज के खपत के आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है ? आपने क्यों कोशिश नहीं की कि उसका वितरण ठीक किया जाय। साथ ही एसेंसियल कमोडिटीज में मिट्टी का तेल आता है या नहीं ? अगर आता है तो पंजाब में जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपके यहां क्यों नहीं हो रही हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मैंने सन् ६४ के आधार पर अनुपात से यह बात कही है जो वह भूल गये। दूसरी बात यह है कि हालांकि कोई फिगर्स नहीं हैं, अन्दाज से सन् ६४ में ३० हजार की खपत है, उसके अनुपात से १३ हजार, फिर १७ हजार हुआ, अब २२ हजार है। मैं एक वैधानिक आदमी हूं, गठरी वाला नहीं हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी के तेल पर कोई नियंत्रण नहीं है न प्राइस का, न वितरण का, क्योंकि प्राइवेट कम्पनियां बांटती हैं, तो प्रत्येक जिले में आपने लाइसेन्सी क्यों बना रखे हैं और क्यों बाध्य करते हैं कि कुछ विशिष्ट लोगों के पास तेल जाय? क्योंकि आज की व्यवस्था में वह चाहें तो तेल दें या ब्लैकमार्केट में भेज दें ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मैंने कहा कि डिस्ट्रिब्यूशन तक हमारा अधिकार है, उसके अन्दर काम करा रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

व्यवस्था का प्रश्न। क्या मंत्री जी इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं कि वैधानिक हूं, कोई काम अवैधानिक नहीं कराता हूं ? इसके माने यह हैं कि पंजाब में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आपका उन पर लांछन है कि यह अवैधानिक हो रहा है, क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

वह पंजाब का कानून जानते न होंगे ।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

गाजीपुर में खास तरीके पर जो ऐजेंट हैं मिट्टी के तेल का वह चैलेंज करता है कि जितना चाहे मैं मिट्टी का तेल देने के लिये तैयार हूं और हमारे यहां के अधिकारी खासकर इनके विभाग के तेल उठा नहीं पाते और पब्लिक तक तेल पहुंच नहीं पाता । तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितनी मात्रा में गाजीपुर में तेल आ रहा है उसको पब्लिक तक पहुंचाने की कृपा करें और जो १ रुपया के भाव से बिक रहा है वह ठीक रेट पर बिक सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

हम तो उठाकर कहीं ले नहीं जाते, वह कायें तो एजेन्ट और होलसेल डीलर करते हैं और लेकर बिकवाते हैं ।

श्री उग्रसेन --

मंत्री जी ने कहा कि बर्मा शैल आदि कम्पनियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है । क्या वह बतायेंगे कि उनके पास वितरण के साधन पंप नहीं हैं जिसके कारण वह विदेशी कम्पनियों से अपना तेल देकर बंटवाते हैं और ऐसी सूचना आयी है कि इन कम्पनियों ने जो पम्प लगा रखे हैं वे नैपाल के थ्रू चीन को तेल भेजते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

चीन की बात तो मुझे नहीं मालूम, यह जरूर सुना था कि नैपाल जाता है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मेरी सूचना यह है कि एक-एक दो-दो व्यक्तियों को ही हर जगह लाइसेन्स दे रखा है और वे पूरा तेल उठाते नहीं हैं, थोड़ा तेल उठाते हैं और अधिक दामों पर बेचते हैं । तो क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुए इसको फ्री करेंगे जिससे काफी मात्रा में यह तेल उठाया जा सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

उसके लिये आदेश हैं कि वे उठायें । उसके लिये मैं भी लिखूंगा और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप अपने यहां एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जिलाधीश तथा सप्लाई आफिसरों के कान में यह बात लायें । अगर वे मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो आप मुझसे कहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जिलों में डेढ़ साल से ऊपर हो गया सलाहकार समितियों की बैठकें नहीं हो रही हैं, दूसरी बात यह कि लाइसेन्सियों को जो कोटा दिया जाता था ३-४ महीनों से वह आधा कर दिया गया है । तो क्या मंत्री जी इसकी जानकारी करायेंगे कि कोटा कम क्यों कर दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जानकारी तो मैं जितनी बातें यहां कही जा रही हैं उनकी कराऊंगा ही, लेकिन अगर मीटिंग साल भर से नहीं हुई है तो आप सोते क्यों रहे अब तक ? आप जिलाधीश से कहिये ।

हैदरगढ़ वन क्षेत्र में क्वार्टरों का निर्माण

*३—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ सेक्शन में बीजापुर में बनरक्षी क्वार्टर और फारेस्ट सेक्शन आफिसर क्वार्टर, डाकिया क्वार्टर कम फारेस्ट सेक्शन आफिसर क्वार्टर हैदरगढ़ में बनाने के टेन्डर नवम्बर, १९६५ में हो गये हैं ? यदि हां, तो हर प्रोजेक्ट पर कितना धन व्यय होगा और इन पर कब तक कार्य हो जायगा ?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां, नवम्बर, १९६५ में टेन्डर आमंत्रित किये गये थे। इन भवनों के निर्माण पर अनुमानित व्यय निम्नलिखित है—

	रु०
१—बनरक्षी क्वार्टर, बीजापुर	२,०००
२—फारेस्ट सेक्शन आफिसर क्वार्टर, हैदरगढ़	८,०००
३—डाकिया क्वार्टर-कम- फारेस्ट सेक्शन आफिसर का आफिस, हैदरगढ़	५,८००

इसी बीच सरकार ने मितव्ययिता के कारण नई इमारतों को बनाना स्थगित कर दिया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये इमारतें कब बनाई जायेंगी।

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि सुबेहा में कोई वन विभाग का रेस्ट हाउस बनाने का भी सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विभागीय कार्यों को सुविधा के साथ चलाने और इस दूर के क्षेत्र में अधिकारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु यहां एक रेस्ट हाउस बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

इस समय तो मितव्ययिता की आवश्यकता के कारण रेस्ट हाउस के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि वहां वन विभाग के द्वारा अभी नया-नया काम शुरू किया गया है और जो वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी के अनुरूप यह एक योजना बनायी गयी थी; लेकिन जो कारण बताये हैं उनकी वजह से स्थगित कर दी गई, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भविष्य में विचार करने की कृपा करेंगे कि इनको प्राथमिकता दी जाय ताकि यह कार्य पूरा हो सके और वहां के कर्मचारियों को सुविधा मिल सके जो इधर उधर रहते हैं और उनके समुचित रहने को कोई जगह नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

साधन उपलब्ध होने पर इस पर अवश्य विचार किया जायगा।

अध्यक्ष, नगरपालिका, ऋषिकेश के विरुद्ध शिकायत

*५—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, ऋषिकेश द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं असंसदीय व्यवहार के विरुद्ध श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, सदस्य, नगरपालिका

ऋषिकेश द्वारा कोई शिकायत मार्च, १९६६, में सरकार को लिखित रूप से मिली ? यदि हां, तो क्या सरकार उस शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी तथा यह बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जी हां। परन्तु वह नगरपालिका के सदस्य नहीं हैं। प्रश्नगत शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। उस पर अभी जांच हो रही है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०४–४०५ पर)

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि जब सितम्बर महीने में ऋषिकेश में एक आन्दोलन नगरपालिका के विरोध में हुआ था और उसमें अतिरिक्त जिलाधीश ने मध्यस्थता की थी, तो यह आश्वासन दिया था कि जो भी आरोप हैं उनकी जांच होगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

हां, सरकार को यह मालूम हुआ था कि आन्दोलन हुआ है और अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता की जाने पर जांच करने का भी आश्वासन दिया गया था और उसी की यह जांच हो रही है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

१२–१–६६ को नगरपालिका, ऋषिकेश, के ९ सदस्यों ने जिलाधीश को लिखा था कि एक ठेकेदार को १२ हजार रुपये का ठेका बिना एस्टिमेट की स्वीकृति के और बिना टेंडर मांगे हुए दे दिया गया है और ७ महीने व्यतीत होने पर भी उस घटना की अभी तक जांच नहीं हो पाई है, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह शिकायती पत्र के अनुसार सही है लेकिन शासन के पास जिलाधीश के पत्र की प्रतिलिपि आई थी। माननीय सदस्य जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने शासन के पास नहीं, जिलाधीश के पास लिखा था लेकिन फिर भी शासन ने प्रतिलिपि पर ध्यान दिया और उनकी रिपोर्ट के लिये भेजा है और जिलाधीश ने जांच करना शुरू कर दिया है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

शिकायती पत्र में उनके विरुद्ध मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री उत्तर तो दे दें लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न तो प्रश्नकर्त्ता से ही हो सकते हैं कि आपने क्या-क्या भ्रष्टाचार की बातें लिखी हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

एक शिकायत तो उन्होंने नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध की है जिसकी मध्यस्थता अधिकारियों ने की। शिकायत भ्रष्टाचार की है, सीमेन्ट की चोरी की है, हेरफेर की है और १२ हजार के टेंडर की जो नगरपालिका की बगैर स्वीकृति के चेयरमैन ने दे दी और चेयरमैन द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जनता के धन से खिलवाड़ करने की भी शिकायत है।

श्री लखो सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है, तो मंत्री जी जांच किसके द्वारा करा रहे हैं ?

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, कृपा कर बतलायेंगे ---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है---आपने कहा कि भ्रष्टाचार के सवाल पर माननीय सदस्य से सवाल कर लिया करें तो क्या माननीय सदस्य मंत्री जी की तरह अधिकार सम्पन्न हैं ? जब उनको खुद अधिकार नहीं है तो उनसे कैसे सवाल किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जाइये। आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं।

श्री चन्द्रबली सिंह---

यह तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप कृपा कर मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष---

आप सुनते नहीं हैं तो मैं क्या करूं ? इस प्रकार का प्रश्न कि फलां पत्र में क्या-क्या बातें लिखी हुई हैं यह बात उनसे पूछनी चाहिये जिन्होंने पत्र देखकर यह प्रश्न किया है न कि मंत्री से।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी जिलाधीश, देहरादून, के जरिये हो रही है और जिलाधीश, देहरादून, को ही शिकायत की गयी थी और कमिश्नर को उसकी प्रतिलिपि भेज दी गयी थी और मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री को भी उसकी प्रतिलिपियां भेज दी गयी थीं। आमतौर पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो आदमी एक शिकायत को २५ जगह भेजता है उसकी नोटिस मैं आम तौर पर नहीं लेता। उन्होंने जिलाधीश को ठीक भेजा और उनसे ही उनकी बातचीत भी पहले हुई थी, यहां तो उन्होंने उस शिकायत की प्रतिलिपि भेजी थी। तो अगर यहां उसकी बिलकुल नोटिस न ली जाती तो भी बेजा नहीं था।

दूसरी बात यह--आप भी कई दफा फरमा चुके हैं---कि यह कोई गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेन्ट नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन गवर्नमेन्ट का नौकर नहीं है, उनके कुछ अधिकार हैं, वह गलती भी करेंगे, छोटे मोटे भ्रष्टाचार होंगे, ज्यादतियां भी होंगी लेकिन ये सब बातें वहीं निपटने की हैं। जिस तरह से फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में फारेस्ट गार्ड या और कोई गलती करे, उतनी जिम्मेदारी यहां गवर्नमेन्ट की नहीं है और न उतनी तफसील में यहां जाना मुनासिब होगा।

श्री जगन्नाथ राव---

जब चेयरमैन और वहां की कमेटी के खिलाफ इस तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और १२ हजार रुपये का ठेका बिला टेन्डर लिये हुए देने की शिकायत है, तो क्या इन सब बातों को देखते हुए आप यह उचित नहीं समझते हैं कि नगरपालिका को सुपरसीड करें ?

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन कर दूं। शिकायत तो अध्यक्ष के विरुद्ध है, नगरपालिका के विरुद्ध नहीं है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी---

आपके माध्यम से मंत्री जी ने सदन को बताया कि जो प्रतिलिपि उनके पास जाती है उससे वह चिढ़ जाते हैं। अगर कोई मामला सीधे उनके पास आये तो उसकी जांच करेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपके नोटिस में एक चीज आ गयी तो क्या आपका कर्त्तव्य नहीं है---

श्री अध्यक्ष—

उस चीज को छोड़िये, मूल प्रश्न पर आइये ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि जब वहां की नगरपालिका के ९ सदस्यों ने १२-१-६६ को लिखित रूप से दिया है कि १२ हजार का काम बिना एस्टीमेट के स्वीकार किया और यह सब जिलाधीश के नोटिस में है, तो माननीय मंत्री जी क्यों नहीं जिलाधीश के माध्यम से उसकी जांच करवाते हैं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह नहीं कहा कि मैं क्यों नहीं कराता हूं । जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, मेज पर रखी है और चेयरमैन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये एलीगेशन्स गलत हैं लेकिन जिलाधीश फिर भी इन्क्वायरी कर रहे हैं । मैंने तो यह कहा था कि आपके कुछ एलीगेशन्स हैं, आप उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं, वह इन्कार कर रह हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्क्वायरी कर रहे हैं । फिर और आप क्या चाहते हैं ?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

अभी मैंने जब आरोप पूछा था तो आपने कहा कि माननीय सदस्य जिन्होंने शिकायत की उनसे पूछा जाना चाहिये था । जहां तक मेरी जानकारी है, वह शिकायत माननीय सदस्य द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी है । अगर माननीय सदस्य करते तब तो आपकी बात समझ में आती, लेकिन यदि किसी अन्य व्यक्ति ने की है तो निश्चित रूप से हमें उसको जान लेने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस समय एकदम से तो मैं उस फैसले को नहीं निकाल पाऊंगा । माननीय सदस्य ने एक जानकारी के आधार पर सरकार से प्रश्न किया और जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है उनकी जानकारी है कि किन प्रकार के आरोप हैं और उस सूचना के आधार पर वह प्रश्न कर रहे हैं । अगर आप पूछने लगें कि क्या क्या आरोप हैं, तो यह एक बहुत लम्बा सवाल और प्रश्नों का नया विषय हो जाता है, हालांकि माननीय सदस्य की केवल मंशा यह है कि उन आरोपों पर सरकार ध्यान दे ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपनी नीति का स्पष्टीकरण किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी स्वायत्त शासन संस्थाओं संबंधी मामले के लिये आदेश प्रसारित करेंगे कि वे सीधे मंत्री जी के पास आयें ? जैसी कि आपने घोषणा की है कि तमाम जगहों पर शिकायती पत्र आयेंगे तो वे नोटिस नहीं लेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, करीब ४०० के स्वायत्त शासन संस्थायें हैं और इन निकायों के जो काम हैं उनका शहर के रहने वालों की जिन्दगी के हर पहलू से वास्ता रहता है और किसी न किसी छोटे मोटे मामले की शिकायत हर आदमी को हो सकती है और इसके लिये अगर गवर्नमेन्ट को लिखने लगें तो गवर्नमेन्ट को इनको देखना असंभव हो जायेगा । जिस चीज को मैं समझता हूं कि इसमें कोई बजन है उसको मैं तहकीकात के लिये भेजता हूं और यह मेरे जजमेन्ट के ऊपर होता है । बहुत सी दरख्वास्तों के पढ़ने से मालूम हो जाता है कि उनमें कोई तथ्य है या नहीं और उनमें क्या मोटिव हैं और यह शिकायत ऐसी है कि जिसकी तहकीकात की जाय या नहीं ।

[श्री चरण सिंह]

मसलन, किसी को धक्का लग जाये यह कानूनन जुर्म है लेकिन इसका कोई इस्तगासा नहीं हो सकता है। इसलिये छोटी-छोटी शिकायतें यहां की जायं, यह ठीक नहीं है। लोकल बाडीज को जहां अधिकार है कि वे छोटी-छोटी गलतियां करें तो उनकी हर गलती की तहकीकात कराना जैसा कि गवर्नमेन्ट के विभागों के मामलों में हर चीज की शिकायत की जाती है यह उनके लिये सम्भव नहीं है। अगर सीरियस चीज होती है तो नोटिस लेने की बात होती है। श्री सुरेश चन्द्र शर्मा स्थानीय जनसंघ के हैं, उन्होंने लिखा है कि असंसदीय व्यवहार किया। अब क्या असंसदीय व्यवहार किया, इसका उनके लेटर में कोई जिक्र नहीं है। तीन छोटी शिकायतें हैं। डिप्टी कमिश्नर को भेज दी हैं और वह तहकीकात कर रहे हैं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, प्रेस गैलरीज में पंखे नहीं चल रहे हैं। बेचारे सब तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनको भी हवा मिल जाये।

(१ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*१-२--श्री रियासत हुसैन--

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।)

बाराबंकी जिले में पशु चिकित्सा

*३--श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन स्थानों पर पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा स्टाक मैन सेन्टर नये खोले जायेंगे और कब तक इन केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ हो जायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस वित्तीय वर्ष में केवल पशु चिकित्सालय चौबीसी में २ सांडों का एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किया जायगा और इस केन्द्र का कार्य अक्तूबर, १९६६, से प्रारम्भ हो जायगा।

*४--श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के सुबेहा, हैदरगढ़, दहिला में पशु केन्द्र इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर देंगे ? यदि हां, तो इन स्थानों पर कब तक डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सुबेहा, हैदरगढ़ व दहिला में स्टाकमैन केन्द्र पहिले से स्थापित हैं, जिनमें कार्य चालू है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५--श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र पर भवन निर्माण पर कितना-कितना धन व्यय होगा और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

चौबीसी पशु चिकित्सालय में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना हेतु १०,००० रुपयों की लागत से भवन निर्माण कार्य स्वीकृत है। यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर समाप्त किया जायेगा। शेष सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ४ व ५ के सम्बन्ध में जो आपने बताया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो यह कब तक एकत्र हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने तो निवेदन किया कि यह भवन निर्माण का कार्य इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेगा और यह जो केन्द्र स्थापित हुये हैं वह अक्तूबर, १९६७ से प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ।

श्री राम किशोर त्रिपाठी--

आपने जो कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है.....

श्री अध्यक्ष--

आपने एक प्रश्न के उत्तर में पढ़ा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । यानी १०,००० रुपये की लागत से भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ, यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर समाप्त हो जायेगा , शेष सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य जो स्वीकृत हुआ १० हजार रुपये से भवन निर्माण का वह इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेगा ।

श्री राम किशोर त्रिपाठी--

शेष सूचना जब आ जायेगी तब आप उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह वह शायद गलती से लिख गये हैं ।

*६-८--श्री भीखालाल--

(५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।)

सहेठ महेठ का जंगल

*९--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या जिला गोंडा के सहेठ महेठ ग्राम के जंगल का विकास सरकार की ओर से कराने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

जिला गोंडा के सहेठ महेठ ग्राम के जंगल क्षेत्र आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अधीन है । अतः सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जंगली झाड़ियां जो वहां कुदरतन पैदा हुई हैं, वही हैं और जंगल के नाम से जमीन घिरी हुयी है और कोई जंगली लकड़ी उसमें पैदा नहीं होती, तो क्या जो विकास का कार्य वहां होता है उसके अन्तर्गत कुछ ऐसे पेड़ वहां लगवा दिये जायेंगे, जिससे गांव समाज की आमदनी बढ़े और गांव वालों का फायदा हो ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मैंने तो निवेदन किया कि जंगल आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अधीन हैं और वही उसका प्रबन्ध करता है, यह उसी की देख-रेख में है ।

श्री गंगाप्रसाद---

तो क्या मंत्री जी वहां की जनता की मांग को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने की कृपा करेंगे कि वहां पर जंगल लगा दिये जायें ?

श्री चरणसिंह---

सन् १९५५-५६ में पुरातत्व विभाग की ओर से पेड़ों की सफाई और कटान का कुछ कार्य भी हुआ है और १९५७-५८ में वहां पर कचनार और गूल आदि के पेड़ों का वृक्षारोपण भी किया गया, इस से मालूम पड़ता है कि वह स्वयं सजग हैं । फिर भी यदि माननीय मंत्री चाहते हैं तो हम लिख देंगे और माननीय सदस्य स्वयं भी लिख सकते हैं ।

*१०-११---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

(५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।)

*१२-१३---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

(५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।)

इलाहाबाद जिले में टाउन एरिया स्थापित करने का सुझाव

*१४---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या सरकार प्रयाग (इलाहाबाद जिले) के ग्राम मंझनपुर करारी,हरानगर, कड़ा अझुवा बाजार, सिराथू, उदहिन, नरई तथा पश्चिम शरीरा की बढ़ी हुयी आबादी को ध्यान में रखते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों में टाउन एरिया बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह सुझाव शासन की जानकारी में है । इस विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया है ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

कितने दिनों में सरकार का निर्णय हो जायेगा और वह कब तक लागू हो जायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिलाधीश ने पंचायत राज के आयुक्त एवं निदेशक को यह सुझाव भेजा है । जब तक उनकी संस्तुति शासन के पास नहीं आ जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह कब तक होगा ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी जंघई बाजार को भी इस प्रस्ताव में शामिल करेंगी ? वह बनारस, जौनपुर और इलाहाबाद की सरहद पर है और काफी बड़ा टाउन है । तो क्या उसको भी टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया में परिवर्तित करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

जंघई बाजार तो जौनपुर में है ?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

वह इलाहाबाद में है ।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने अपनी राय के साथ आयुक्त एवं निदेशक को भेजा है, शासन के पास केवल सूचना आयी है। शासन के पास कोई पत्रावली नहीं आयी है और इसीलिये इसके शामिल किये जाने का प्रश्न तभी आ सकता है जब वह राय शासन को प्राप्त हो जाय ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

जिलाधीश ने आयुक्त को क्या शिकायत भेजी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिलाधीश ने उसको टाउन एरिया बनाने का सुझाव दिया है ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

शासन के पास जो सूचना आयी है वह किस माध्यम से आयी है और क्या वह नियमानुकूल है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे क्या अभिप्राय है ?

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके पास खाली सूचना आयी है या प्रपोजल भी है ? उसका विवरण सरकार दे दे ।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिलाधीश ने वह सारे कागजात जिनमें टाउन एरिया बनाने के लिये आबादी के बारे में, शहरी क्षेत्र है या खेतिहर प्रदेश है, यह सारी बातें आयुक्त एवं निदेशक को भेजी हैं । और शासन के पास केवल सूचना आयी है कि हमने आयुक्त एवं निदेशक को लिख दिया है सरकार ने उसी सूचना के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक को लिख दिया है कि वे जल्दी अपनी रिपोर्ट भेजें कि यह बन सकता है या नहीं ।

श्री राजनारायण मिश्र--

जिलाधीश ने जब यह रिपोर्ट वहां से मंगाई उसके कागजात तब भेजे, यह जिलाधीश के यहां प्रार्थना पत्र आया था कि इन गांवों को टाउन एरिया बना दिया जाय ? या यह सरकार के पास सीधे प्रार्थना-पत्र आये थे और जिलाधीश के पास सरकार ने भेजा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिलाधीश को २२ अक्तूबर, १९६५, को भेजा और जिलाधीश ने शासन को १६ दिसम्बर, १९६५, को भेजा था ।

*१५-१७--श्री उग्रसेन--

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९-११ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

लखनऊ में सीमेन्ट का अभाव

*१८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजकल लखनऊ शहर में सीमेंट नहीं मिल रहा है जिससे बरसात की वजह से नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या व्यवस्था की है अथवा करने जा रही है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। सीमेंट पर से १ जनवरी, १९६६, से नियंत्रण हट गया है और उसके बाद से जिलों में जो सीमेंट का आयात होता है उसकी सूचना जिलों से शासन के पास नहीं आती है। जिलाधीश ने अवश्य लिखा है कि इधर सीमेंट का अभाव सा रहा है जिसको दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

*१९—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ शहर में सीमेंट के स्टाकिस्टों ने सीमेंट छिपा रखा है जिससे सीमेंट का अकाल पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता है।

श्री मुहम्मद रफी खां—

सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में जो दिक्कतें रोज ब रोज पेश आ रही हैं उस सिलसिले में माननीय मंत्री जी क्या पालसी बनाने जा रहे हैं और अभी सीमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव श्री जैन की जो बातचीत अन्डर सेक्रेटरी से हुई उसमें क्या तय हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह समझा गया था और लोग समझते थे कि सीमेंट के डी-कंट्रोल होने से सीमेंट आसानी से लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन इधर कई जिलों में मैं गया और मैंने देखा कि वहां एक भी बोरी सीमेंट नहीं है। सीमेंट कम्पनी वाले कोई स्टाक वैगरह की सूचना भी हमको नहीं देते। वैसे निजी तौर पर एसोसियेशन के सेक्रेटरी आये थे, उनसे मेरी बातें हुई थीं। सब डिपार्टमेंट वाले मिले। उन्होंने यह बात कही कि यह डिस्ट्रिब्यूशन फेल हो गया है और इस कारण हमारी लघु सिंचाई योजना खटाई में पड़ गई है और हमारा सारा रुपया बरबाद जा रहा है। डिकंट्रोल रहते हुये भी प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन को पचास प्रतिशत कोटा दे दें तो हम अपने काम को ठीक चला सकते हैं परन्तु उसके लिये वे तैयार नहीं थे। तब मैंने उनको दो सुझाव दिये—अन्तरिम पीरियड में, इसके पेश्तर कि हम केन्द्रीय सरकार को कंट्रोल के लिये कहें हम यह चाहते हैं कि दो महीने तक हम १,४९ हजार टन के बजाय दो लाख टन देते रहें मगर वे कहते हैं कि मई और जून में ट्रांसपोर्ट बाटलनैक की वजह से कम सप्लाई हुई, इसलिये कम हुआ। इसलिये हमें मौ का दिया जाय कि हम ठीक करें। उन्होंने इस बात को कहा। मैंने निजी तौर पर दो शर्तें रक्खीं। मैंने उनसे कहा कि १५ दिन में जो आप लघु सिंचाई योजना के लिये सीमेंट देते हैं उसकी अवधि पन्द्रह दिन के वजाय एक महीना कर दी जाय और एक महीने के अन्तर्गत बी० डी० ओ० या प्लानिंग आफिसर के दस्तखत से लघु सिंचाई योजना के लिये जो स्टाकिस्ट जायेंगे उनको आप दें और आम जनता के लिये जो पचास प्रतिशत बाकी बचता है उसके लिये एजेन्ट अपने यहां प्राइस लिस्ट को टांगे और अगर कोई ब्लैक मार्केट करता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद अगर लिखे तो उसकी एजेन्सी

और लाइसेंस खत्म कर दें। तो उन्होंने इन दोनों बातों को स्वीकार किया है और उन्होंने यह कहा कि इसकी इत्तला हम जिला मैजिस्ट्रेट को दे दिया करेंगे कि जिले में कितना कोटा आया है। संभवतः इस समझौते के बाद हो जाय और अक्तूबर में इसको रिव्यू किया जायेगा, वह हम करेंगे ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

इस समझौते पर कब तक अमल दरामद होने की उम्मीद है ?

ी जगमोहन सिंह नेगी—

प्रोसीडिंग्स जिलों में पहुंच जायं तो होगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में जो समस्या उत्पन्न हो गई है उसक सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

बाहर तो कोई मेरे पास ताकत है नहीं कि कुछ कर सकूं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं, मान्यवर, कि सीमेन्ट के उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया था कि हम सस्ते मूल्य पर जनता को सीमेन्ट बेचेंगे। जैसी लखनऊ की समस्या है वैसी ही केन्द्रीय सरकार की भी समस्या है, तो केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति से अवगत कराने में मुख्य मंत्री को क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

नागरिकों को बड़ी कठिनाई होती है । इसकी समस्या तो उन्होंने बताई है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को अवगत कराया गया था, पर ट्रान्सपोर्ट वाटलनैक की वजह से ही दिक्कत थी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी लखनऊ के जिलाधीश को आदेश जारी करेंगे कि जिनके पास सीमेंन्ट है और वे देने से इंकार करें तो १०७/११७ में उन्हें बन्द कर दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जिलाधीश को जो आदेश दिये जाने थे वे दिये जा चुके हैं । यह भी देखना होता है कि किस कानून के अन्तर्गत हम कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

यहां सीमेन्ट का उत्पादन कितना है और प्रान्त से बाहर कितना जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

कई जगह से कोटा आता है और गवर्नमेन्ट नहीं बांटती है । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की एजन्सी की मार्फत सारी बातें होती हैं ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

हर कानून के ऊपर डी० आई० आर० है। क्या मंत्रीजी उसका प्रयोग करके इस अनियमितता को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

चाहते तो हम भी थे मगर गवर्नमेन्ट आफ इडिया ने डी० आई० आर० का प्रयोग बन्द किया हुआ है।

श्री राजनारायण मिश्र—

जो लोग ज्यादा दाम पर बेंच रहे हैं उन्हें पकड़ने में मंत्री जी को क्या परेशानी है ? क्या हम यह समझें कि उन्हें कानून से नहीं पकड़ा जा सकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

हम कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ें।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार ब्लैक मार्केटियर्स के विरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट का प्रयोग करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामेश्वर प्रसाद—

अगर डी० आई० आर० का प्रयोग नहीं कर सकते तो सरकार ने कौन सा तरीका सोचा है कि यह अव्यवस्था दूर हो ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

डी० आई० आर० तो सिक्योरिटी के लिये है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

सरकार ने स्टाक पकड़ने के लिये कौन से छापे लखनऊ में मारे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

डी० आई० आर० से एसेंशल कमोडीटीज ऐक्ट में कुछ अदला बदली हुई है और हमें अधिकार है कि अन्दर घुसकर जांच कर लें। मगर पहले वे उनके एसोसियेशन से बात कर रहे हैं।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष—

लोक लेखा समिति के सभापति आये नहीं हैं। तो मद ३ व ४ ८ तारीख के लिये स्थगित होती हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने तथा उसमें पुलिस के प्रवेश के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । एक तो माननीय रामसुन्दर पाण्डेय व मंगलदेव जी का है, दूसरा माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का है । माननीय रामसुन्दर जी का बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि विश्वविद्यालय अकारण अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है । और छात्रों की उचित मांगों के न मिलने आदि को लेकर २८/७ से छात्रों ने विश्वविद्यालय में हड़ताल कर दी । छात्र अपनी उक्त मांगों के होते हुये अपनी-अपनी कक्षाओं में नहीं गये । यह केन्द्र का विषय है और जैसा मैंने उस दिन निवेदन किया था, विश्वविद्यालय में कौन सी मांगें प्रस्तुत होती हैं और कौन सी स्वीकार की जावें, विश्वविद्यालय के स्वशासित संस्था होने के कारण यहां उसके विवेक में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है । अब रहा यह कि पुलिस वहां गई । तो वह तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के आमंत्रण पर गई है । इसलिये उसके बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका दायित्व सरकार के ऊपर आता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उस दिन मैंने कहा था कि आप मेरे कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह घटना घटेगी । ठीक उसी दिन घटना घटी और सबसे विचित्र बात यह हुई है कि पी० ए० सी० के लोगों ने होस्टल से छात्रों को घसीट कर निकाला है और सामान ले जाने के लिये रिक्शे नहीं मिले । संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी घायल हैं और गिरफ्तार हैं । हम उस विश्वविद्यालय को पैसा देते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

हम आपकी बात मानते हैं । मगर आपने इसमें यही कहा है कि अकारण पुलिस के प्रवेश करने, इत्यादि । विवश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया । वह अकारण तो नहीं गई । ऐसी परिस्थिति थी कि.....

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

परिस्थिति तो कुछ नहीं है । वहां पर १० हजार विद्यार्थी थे, उनको २–३ हजार पुलिस वाले कैसे निकाल सकते थे ? वहां के अधिकारियों के लिखने पर पुलिस वहां चली जाय और वहां विद्यार्थियों को मारे पीटे, यह ऐसी समस्यायें हैं जिनमें हस्तक्षेप होना और यहां पर उन पर विचार होना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, कामरोको प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पूर्व मेरी प्रार्थना सुन ली जाय । आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि दफा ५२ में यह मसला आ सकता है । जब किसी और वैधानिक तरीके से यह मसला आ सकता है तो उसको उस तरह से ले आया जाय । मेरा खयाल तो यह है कि अगर इसको एलाउ न किया जायगा तो दिक्कत पैदा हो जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जैसा कि हमारे नेता पंडित राम सुन्दर जी पाण्डेय ने कहा, पुलिस विश्वविद्यालय में गयी और आपने कहा कि वह वहां के अधिकारियों ने बुलाई थी । अगर अधिकारियों के बुलाने से गयी थी तो पुलिस को एक मात्र प्राक्टर आफिस, रजिस्ट्रार आफिस और अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिये थी । यह न करके पुलिस ने बेतहाशा लड़कों को खदेड़ा और छात्रावासों से निकाला ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो सूचना के विवरण में दिया हुआ नहीं है । पूरे विवरण के साथ आप इसको अलग से दें, तब विचार किया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस संबंध में मेरे पास ऐक्शन कमेटी के मजूमदार साहब का पत्र आया है कि २६ लारी पी० ए० सी० वहां पर गयी और उसने यूनियन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी को घेर कर मारा । डी० एम० को क्या अधिकार था कि २६ ट्रकों में पुलिस वहां जाती और लड़कों का पीछा करके उनको मारती ? सारे शहर में दफा १४४ लगा दी गयी है । सारे शहर में अशान्ति है और उसके सारे प्रदेश में फैल जाने का अन्देशा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इसमें लिखा है—"पुलिस द्वारा जबरदस्ती मारा गया", पुलिस ने निरंकुश होकर कार्य किया । इसलिये यह प्रस्ताव आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

जिस रूप में यह दिया है, वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

बांदा गोलीकाण्ड के जिम्मेदार जिला अधिकारियों के स्थानान्तरित न किए जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

बांदा गोली कांड के संबंध में एक विषय यह उठाया गया है कि जिलाधिकारियों का अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया, सरकारी नीति से जनता में घोर असंतोष व्याप्त है । यह एक विषय ऐसा है जो बहुचर्चित हो चुका है । इस संबंध में एक कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया और उसपर पूरे तौर से विचार विमर्श हुआ । अब उसके बाद उसके संबंध में या परिणाम-स्वरूप अगर कोई परिस्थिति पैदा होती है तो उस पर कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसका मूल कारण तो वही गोलीकांड है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मूल कारण तो वही है, लेकिन आज परिस्थिति बदल गयी है । आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका है, जिसका व्यापक असर हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको मंत्री जी के पास भेजे दे रहा हूं ।

श्री उग्रसेन—

बांदा में अब नयी स्थिति पैदा हो गयी है । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार को नोटिस दे दिया है कि अगर इन लोगों का स्थानान्तरण १ अगस्त तक नहीं किया गया तो उसके नेता, श्री राज नारायण, श्री रमेशचन्द्र और श्री कालीचरण शुक्ल १४४ वहां तोड़ेंगे। ऐसा अगर हुआ तो रात के ८ बजे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी ?

इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से चाहता हूं कि वह आज पांच बजे तक वहां से पुलिस कप्तान को हटा लें वर्ना.....

श्री अध्यक्ष—

सम्भावनाओं पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

सम्भावना पर नहीं, परिस्थिति पर मांग की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

वह अस्वीकृत ।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय जगन्नाथ राव ने एक सूचना दी है तथा श्री चन्द्रबली सिंह, श्री लखी सिंह और श्री शिव चरन जी की भी सूचना है, जिसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । माननीय जगन्नाथ राव ने ह इस में कहा है कि "शिक्षा का वर्तमान सत्र प्रारम्भ हुये एक मास पूर्ण हो रहा है । परन्तु प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के पाठ्य क्रम की उन पुस्तकों का बाजार में भारी अभाव है जिनका कि इस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया है जैसे 'अंकगणित, बीजगणित तथा नवभारती ।" इन पुस्तकों के प्रकाशन का पूर्ण दायित्व सरकार पर होने के कारण, सरकार के प्रति छात्रों एवं अभिभावकों में घोर असन्तोष व्याप्त है । पढ़ाई में बाधा उत्पन्न है । थोक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों के अभाव का लाभ उठाकर छोटे दुकानदारों को उन पुस्तकों के साथ अन्य लेखन सामग्री भी लेने को बाध्य करते हैं । परिणामस्वरूप यह पुस्तकें निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर भी बिक रही हैं ।

चन्द्रबली सिंह जी ने भी इसी विषय को विस्तृत करके लिखा है कि "स्थानीय विक्रेताओं को भी बड़ी कसरत से वे किताबें मिल पा रही हैं । वे पुस्तकें प्रदेश के छात्रों को फुटकर में ३५ से ५० पैसा अतिरिक्त दाम (काले बाजार में) में मिल रही है । उपरोक्त पुस्तकों का इस प्रकार भारी अभाव एवं उसके दाम में काला बाजार घुस आया है । फलस्वरूप छात्रों, अभिभावकों में भारी हाहाकार मचा है । विषम हालत पदा हो गई है ।"

इस पर मंत्री जी कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

२–३ रोज में दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, ४ तारीख को दे दीजियेगा ।

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बंथरा ग्राम में विदेशी हथियारों का भंडार पकड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ की एक श्री हरीशकुमार गंगवार की सूचना है कि "लखनऊ से १७ मील दूर कानपुर मार्ग पर स्थित बंथरा ग्राम में सेना के आधुनिकतम विदेशी हथियारों का एक बड़ा भंडार पकड़ा गया है । मेरी सूचना है कि यह हथियार सेना द्वारा चुराये गये हैं । इसमें माडल ५ की स्टेनगन, अमरीकी रिपीटर राइफल, हैन्ड ग्रेनेड, स्टेनगन २१२ राउन्ड कारतूस तथा थ्री नाट थ्री के कारतूसों के अलावा अन्य सामान भी मिला है ।" इस पर क्या ३ तारीख को वक्तव्य दे सकेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---

४ को दे सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, ४ अगस्त को इस पर भी वक्तव्य हो जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय दयाराम शाक्य, माननीय राम सुन्दर पाण्डेय व माननीय मंगलदेव और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय ब्रह्मदत्त मायर तथा माननीय राजेन्द्र सिंह जी की ५ सूचनायें ऐसी हैं, जिनको मैं माननीय मंत्री जी के विशेष ध्यान हेतु भेज रहा हूं ।

माननीय दयाराम शाक्य जी की सूचना इस प्रकार है : "राजकीय इन्टर कालेज आगरा के जिन अध्यापकों ने राज्य कर्मचारियों की सहानुभूति में हड़ताल की थी उनके द्वारा समझौते के बाद हड़ताल वापस होने पर भी अभी तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है. . . . ."

माननीय रामसुन्दर पाण्डेय और माननीय मंगल देव की सूचना इस प्रकार है "हाहा नाला बांध जिला आजमगढ़, घाघरा नदी के किनारे बाढ़ से बचाव के लिये लाखों रुपया खर्च करके बनाया गया है । घाघरा नदी का कटाव उक्त बांध के ३ मील पूर्व ७ फर्लांग तक जोरों से हो रहा है । आशा है कि बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है. . . . . ।

एक माननीय टम्बेश्वर प्रसाद की शिकायत है। यह कानपुर स्टेशन पर माननीय लखपत राम शर्मा द्वारा रिपोर्ट लिखाने के सम्बन्ध में है । आपका कहना है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में था उसको पकड़कर थाने ले गये परन्तु थाने में रिपोर्ट लिखने की कोई कार्य-वाही नहीं की गयी ।"

श्री लखपत राम शर्मा---

श्रीमन्, यह बड़ी गम्भीर घटना है । अतः आप इस पर वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्ष---

अब एक माननीय ब्रह्मदत्त मायर की सूचना है जिसमें उन्होंने कहा है कि २४/२५ जुलाई की वर्षा से सहारनपुर नगर की नदियों में उछाल आ गयी तथा नगर की बस्तियों के अलावा अन्न की दुकानों तथा गोदामों में तीन से छः फुट तक पानी भर गया तथा सारा गेहूं, चना, चावल इत्यादि भीग गया जो बाजारों में खुले आम २५ पैसे किलो बिकने लगा. . . . . ।"

एक माननीय राजेन्द्र सिंह जी का एटा जिले के बारे में है । आपका कहना है कि गंगा नदी की भीषण बाढ़ से चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है । अनेक ग्राम बिलकुल जलमग्न हो गये हैं परन्तु अभी तक सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा का कोई भी समुचित प्रयास नहीं किये जाने से जनता में घोर असंतोष है. . . . . ।"

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने दी है उसमें विशेष बात है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, हमने भी तो नियम ५२ के अन्तर्गत एक नोटिस दी थी ।

श्री टन्त्रेश्वर प्रसाद--

जो सूचना मैंने दी थी उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय लखपत राम शर्मा जी की रिपोर्ट भी लिखने से इन्कार कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा हो गया ।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा विभिन्न नीतियों की घोषणा के संबंध में वैधानिक आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

हमारे संसोधन के संवैधानिक परामर्श दाता, माननीय काशीनाथ जी, ने एक प्रश्न उठाया है । उन्होंने यह कहा है कि जब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल प्रारम्भ हुयी तो इस विधान सभा में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में जिस सरकारी नीति की घोषणा माननीया मुख्य मंत्री ने की थी उसके बिलकुल भिन्न घोषणा उन्होंने उस समय की जब कि माननीया मुख्य मंत्री ने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है । तो आप कहते हैं कि इस नीति का समर्थन न तो मंत्री परिषद् कर रही है और न कांग्रेस विधान मंडल के सदस्य कर रहे हैं । बहुमत उनके खिलाफ है । अतः इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हाउस आफ कामन्स का मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । जिस समय हाउस आफ कामन्स में इस प्रकार का विवाद उठा तो १९३१ में वहां के प्रधान मंत्री श्री रैमजे मेकडोनल्ड को इस्तीफा देना पड़ा । हाउस आफ कामन्स में कोई घोषणा जो अपवाद का विषय बन जाती है उस पर वहां के प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है । इसे मैं आपके सामने पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, वह अनुच्छेद १९४ में नहीं लिखा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारे भी तो वे ही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं। अगर कोई डिक्लेरेशन मुख्य मंत्री कर दे तो उसका शब्द यही माना जायगा कि कानन हो गया। फिर वह विवाद का विषय नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह कौन सी किताब है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

इंगलिश कांस्टीट्यूशनल ला है।

श्री अध्यक्ष--

आप देखें कि हमारा कांस्टीट्यूशनल ला उससे ऊंचा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बिलकुल है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना हर किताब में मिलेगी, उसमें कोई अन्तर नहीं है।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

"The collective responsibility of Ministers in no way derogates from their individual responsibility. If the two conflict, a Minister may always resign or be requested to resign. In 1917 Sir Austen Chamberlain as Secretary of State for India, resigned after the report of a judicial inquiry into the conduct of the Mesopotamian campaign for which he was technically responsible. In 1922, Mr. Montagu had to resign for publishing, without consulting the Cabinet, a telegram from the Government of India pressing for a revision of the Sevres Treaty with Turkey. In 1935, Sir Samuel Hoare (Lord Templewood) resigned when the Cabinet threw over the Hoare—Laval compromise over Abyssinia. In 1938, Mr. Eden resigned in order to dissociate himself from the policy of conciliating Mussolini which Mr. Chamberlain was pursuing. The point has derived added importance since the innovation of War Cabinets excluding the holders of many of the most important offices. The responsibility of Ministers of 'Cabinet rank' for the general policy of the government may have been reduced, but their responsibility for decisions relating to their own department is not affected or superseded by an overriding responsibility on the part of the actual Cabinet."

यानी अगर मुख्य मंत्री से या उसके मंत्रि-परिषद् में किसी तरह का मतभेद हो जाय तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये। सन् १९२२ में मांटेगू ने अपनी कैबिनेट के बिना कंसल्टेशन के इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश करा दी जिसके लिये उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनमें और उनके मंत्रि-परिषद् में मतभेद था। इसी तरह से कल के टाइम्स आफ इंडिया में निकला है "क्राइम्स ब्रिवुइंडाउन यू० पी० कांग्रेस, सी० एम० हैंडलिंग आफ गवर्नमेंट स्टाफ इम्पलाईज"। कांगेस लेजिस्लेटर पार्टी में जो विवाद का विषय है उसी तरह से १९३१ में लेबर पार्टी में भी विवाद हुआ था—

"In 1938, The Labour Party had 288 members in the House of Commons, the Conservative Party 260 and the Liberal Party 59. Ramsay Macdonald, as the Leader of the Labour Party, was the Prime Minister. Snowden and Thomas, two important members of his Cabinet proposed a cut in unemployment benefit but their proposals were rejected by the Trade Union authorities. The result was that a section of the Cabinet led by Mr. Henderson, revolted against the authority of Ramsay Macdonald. There was a split in the Labour Party and Ramsay Macdonald had to resign."

यानी जब सत्तारूढ़ दल के अन्दर दो दल हो जायं और आपस में मतभेद पैदा हो जाय तो ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। हाउस आफ कामंस में भी ऐसा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी में मतभेद होने पर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप किसी कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं मौजूद नहीं था, लेकिन सारी चीजें अखबारों में छपी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कांग्रेस पार्टी की किसी मीटिंग में सम्मिलित थे?

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

तो अब समाप्त। जो बात आप कह रहे हैं वह अवैध है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरी दो तीन बातें सुन लें। माननीया मुख्य मंत्री ने कहा था कि ३१ जुलाई तक राज कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की घोषणा कर देंगे, किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी, और १४–१५ जुलाई को हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में जुडिशियल इनक्वायरी होगी, लेकिन कल जो दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस हुई है उसमें मुख्य मंत्री ने न तो ३१ तारीख तक डी० ए० की कोई घोषणा की, साथ ही उन्होंने कहा कि छंटनी भी हो सकती है और केवल १४–१५ जुलाई की घटना की ही केवल जांच नहीं होगी बल्कि सारे राज कर्मचारियों के आचरण के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की जायगी। इस तरह से मुख्य मंत्री ने एक मुंह से दो जीभ वाली बात कही है। ऐसी स्थिति में क्या मुख्य मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त। मैं आदरणीय सदन से निवेदन कर दूं कि यह विषय अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस करते समय उठाया जा सकता था। जो बात आप कह रहे हैं उसके संदर्भ में एक बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये। राज्य का संचालन कोई मशीन का सा नहीं है। परिस्थितियां हर मिनट में बदल सकती हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि जो सरकार ने अभी नीति अपनायी है उसको कल बदल नहीं सकती, सरकार के लिये हमेशा, जो जन कल्याण की दृष्टि से, उस अवसर पर आवश्यक हो, उस नीति को अपनाना उचित है चाहे वह नीति पहले घोषित नीति के विपरीत ही क्यों न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जो मांगें थीं उनको अगर वह स्वीकार करें तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिये।

अब यह विषय समाप्त हो गया।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं (क्रमागत)

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने नियम ५२ में सूचना दी गयी थी उसके दो रूप आप के सामने रख रहा हूं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कोई व्यक्ति किसी पैसेंजर से आकर यह कहे कि तुमको जान से मार दिया जायगा, और उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को कहा तो पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, ट्रेन में रोशनी न हो अगर गार्ड को बुलाया जाय गार्ड न आये, अगर हमारी जानमाल की हिफाजत सरकार न करे और आपके सामने मामला आया और आपने उसको नहीं लिया तो अगर हम मार दिये जायें तब आप समझेंगे कि गम्भीर घटना है?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी जानमाल का विचार रखते हुए ही मंत्री के पास विशेष ध्यान हेतु भेजा है।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा विभिन्न नीतियों की घोषणा के संबंध में वैधानिक आपत्ति (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय काशीनाथ मिश्र ने १९२१ तथा १९३१ के कुछ उद्धाहरण पेश किये हैं, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को गलत उद्धरण विधान सभा में पढ़ने का अधिकार है? आज भी लेबर पार्टी गवर्नमेंट

[श्री कृष्णानन्द राय]

के टेक्नालाजी के जो मिनिस्टर श्री कुजिन्स हैं, प्रधान मंत्री श्री विल्सन के आसटेरिटी मेजर्स से मतभेद होने पर इस्तीफा दे दिये हैं और ७१ लेबर एम० पीज० ने लिख कर दिया है कि वह आसटेरिटी मेजर से ऐग्री नहीं करते हैं, लेकिन तब भी श्री विल्सन ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिये आज भी उदाहरण मौजूद हैं कि ऐसे डिफरेंसेज पर इस्तीफा पेश नहीं हो सकता। तो गलत उदाहरण पेश किये हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या डिफरेंसेज हैं यहां? क्या वह ऐग्री करते हैं? उसके बाद जो मेरा राय होगी, श्री काशीनाथ द्वारा उठाये गये विषय के सम्बन्ध में, दूंगा। क्या मैं यह समझूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी मुख्य मंत्री से डिफर कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

अब आप व्यवस्था दे रहे हैं या मैं दूंगा?

श्री उग्रसेन—

हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जब मेरे सामने सारे तथ्य आयें तब व्यवस्था दे सकता हूं, इस समय क्या दूं?

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी १ अगस्त, १९६६, की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया जाय।

१—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६—५ घंटे। (१ अगस्त, १९६६, तथा आवश्यकतानुसार २ अगस्त, १९६६, को कुछ समय।)

२—उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध विधेयक, १९६६—२ व ३ अगस्त, १९६६।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये किये गये समय निर्धारण से, जिसकी सूचना अभी इस सदन को दी गई है, सहमत है :—

१—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६।

२—उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन यह है कि ३ दिन का जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसमें इस सचिवालय की पुनर्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं इसे समाप्त कर लूं तब आप इस पर पूछ सकते हैं।

प्रश्न यह है कि श्री रामायण राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय की मांग

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा सचिवालय की जो पुनस्संगठन समिति की रिपोर्ट है उसके लिये आपने यह आश्वासन दिया था कि जुलाई मास में सदन जब बैठेगा तबउस पर विचार कराया जायगा। विधान सभा सचिवालय के कर्मचारीगण के साथ-साथ आपके भी जो अधिकार हैं उनके सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय की इस रिपोर्ट पर विचार करते समय ही प्रमुख रूप से निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये भी कोई समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मुझसे कई बार माननीय सदस्यों का आग्रह हुआ। मैं इस बात का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हूं और करता रहा हूं कि क्या कोई ऐसा विषय हो सकता है जो अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत हो। यहां पर विषय या तो राज्य सरकार द्वारा आ सकते हैं या विरोधी पक्ष द्वारा अथवा अन्य किसी सदस्य द्वारा आ सकते हैं। किस तरह से, मैं उसे यहां लाऊं, यह एक विषय है जिसके ऊपर मैं अपनी निश्चित राय कायम नहीं कर सका हूं। लेकिन इस समय मैं यह अनुभव करता हूं कि सदन के सदस्य के द्वारा ही यह विषय लिया जा सकता है। ज्यादा अच्छा तो यह है कि माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेतागण संसदीय मंत्री से या नेता सदन से बात करने का कष्ट करें और क्या परिणाम होता है उसे देखें, उसके बाद फिर मैं बिचार करूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव जो यहां पास हुआ उसमें २ तथा ३ तारीख का ही कार्यक्रम बतलाया गया, लेकिन ४ व ५ तारीख का नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—

५ तारीख असरकारी दिवस है और ४ तारीख को खादी सम्बन्धी रिपोर्ट पर बिचार होगा, उसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति की रिपोर्टस र्वसम्मति से पास हुई है जिसमें सरकारी मंत्री सर्वश्री बनारसीदास, सैयद अलीजहीर तथा कैलाश प्रकाश जी थे। नये सेक्रेटरी श्री रामायण राय और श्री नवलकिशोर भी थे। अब अगर सरकार को उसमें कोई परेशानी महसूस होती हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि गैर सरकारी जो दिन मुकर्रर होते हैं उनमें से कोई दिन लेकर इसे गैर सरकारी संकल्प के रूप में पेश कर दिया जाय और उस दिन हम इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा बिचार है कि आप लोग मिल लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आप बार-बार मिलने के लिये कहते हैं। जिस कमेटी में तीन-तीन मंत्री, सेक्रटरी श्री रामायण राय तथा श्री नवलकिशोर जैसे लोग हों और उनके पास इतनी अक्ल न हो और हम उनको अपनी अक्ल दें यह बात समझ में आने वाली नहीं है। हमारा जो अधिकार है उसके मातहत गैरसरकारी संकल्प के रूप में हम इसे सदन में प्रस्तुत कर दें और तब उस पर विचार हो जाय। और मेरा खयाल है कि वह इतने विवेकहीन नहीं हो गये हैं कि इस सचिवालय के पुनस्संगठन के मसले को वह अस्वीकार कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूं। मैं 'मे' का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे सब जगह यही प्रमाण मिलता है कि नेता विरोधी दल और सचेतक मिल कर सब बातें तय कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि मैं कहूं कि आज यह विषय रखा जाय और नेता सदन खड़े होकर कहें कि हमारा प्रस्ताव यह है कि यह विषय स्थगित हो, तो फिर क्या होगा ? उनका बहुमत है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

गैर-सरकारी दिन में रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं 'मे' के आधार पर बहस कर रहा हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मिल लीजिय, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बीच में डालने में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं।

प्राक्कलन समिति के नव निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना देनी है कि प्राक्कलन समिति में जो नाम निर्देशन हुये थे उनमें सब नाम वापस ले लिये, गये, केवल माननीय गनेशीलाल चौधरी का नाम रह गया। अतः उन्हें प्राक्कलन समिति का सदस्य निर्वाचित घोषित किया जाता है।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

अब इस समय कार्य मंत्रणा समिति में तो यह बात तय नहीं हुई थी लेकिन वहां जो बातचीत हुई उसके आधार पर मैंने यह निवेदन किया था कि खादी बोर्ड सम्बन्धित विधेयक सदन में आयेगा। इस समय सूचना आयी है कि खादी बोर्ड के बारे में हो सकता है कि विवाद अधिक हो तो उसके बजाय मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक ले लिया जाय और खादी बोर्ड वाला बाद में ले लिया जायगा।

कतिपय विषय

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुस्लिम वक्फ विधेयक टेबिल तो किया नहीं गया है। हम लोगों को मिलना तो चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप उस समय यह समझेंगे कि उसे लेना अनुचित है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

२९ जुलाई का जो कार्यवृत्त है उसमें बलिया जिले में घाघरा नदी पर ठोकर नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है और मित्तल साहब ने लिख दिया है "अध्यक्ष द्वारा केवल वक्तव्य के लिये।" यह गलत छपा है।

श्री अध्यक्ष—

अब तो जो उसमें लिखा है वही होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लेकिन आपने नियम ५२ के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देख तो लूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६†

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्यगण ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस विधेयक में खास बात यह दी है कि प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ से लागू हो जाने के पश्चात् उसी के अन्तर्गत कार्य संचालन किया जा रहा है। लेकिन समय-समय पर सरकार को यह ज्ञात हुआ कि इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण कार्य सम्पादन में कुछ कठिनाइयां पड़ रही हैं। प्रारम्भ में बोर्ड का काम मुख्यतः डिप्लोमा और कुछ प्रमाण-पत्र के पाठ्यक्रमों की बात थी, लेकिन अभी हाल में भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को यह लिखा है कि आज जो आर्ट्स का डिप्लोमा है उसे हायर डिप्लोमा के रूप में लाने के लिये या गवर्नमेंट आफ इंडिया के नेशनल डिप्लोमा के समकक्ष लाने के लिये ऐक्ट में तरमीम की जाय क्योंकि १९६२ का जो ऐक्ट है उसमें डिप्लोमा की परिभाषा में अगर हम आर्ट्स का डिप्लोमा बढ़ाते हैं तो उसमें यह बात नहीं आती है। ऐसी दशा में विरोधाभास होने के कारण सरकार ने महसूस किया कि डिप्लोमा की परिभाषा और बनाई जाय। अतः मूल अधिनियम १९६२ की धारा २ (ङ) के पश्चात् डिप्लोमा की परिभाषा व्यापक रूप से रखी गई है; जिसको मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने यदि देखा होगा तो उन्हें एक बहुत बड़ी कमी महसूस होगी।

इसके साथ-साथ इस विधेयक के मूल अधिनियम की धारा (१९) में जो प्राविधान किया गया है उसमें बोर्ड को सीमित पावर्स दी गई हैं। बोर्ड का तात्पर्य बोर्ड आफ टैक्नीकल एजूकेशन से है। इसमें कुछ संशोधन ऐसे ही किये जा रहे हैं कि जिससे बोर्ड को व्यापक पावर्स मिलेंगी और उसके कार्य में कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

तीसरी बात यह है कि मूल अधिनियम, १९६२ की धारा (२१) में कुछ परिवर्तन किया जाय। वह यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में जो बातें रखीं उन्हीं का हमने अपने यहां प्राविधान किया है। उद्देश्य और कारणों में यही खास बातें हैं। इसके अलावा और कन्वेंशनल अमेंडमेंट्स हैं और कोई उसमें ऐसी खास बात नहीं है। इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ९ (४) के अन्तर्गत गवर्नमेंट को इमर्जेन्सी पावर्स दी गई हैं। लेकिन हमारे यहां इस तरह का कोई प्राविधान नहीं था जिसके अन्तर्गत सरकार को या बोर्ड को समस्या उपस्थित हो जाने के कारण नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसी परिस्थिति

† २९ जुलाई, १९६६, की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सीताराम]

में जो प्राविधान इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ९ (४) में है वही हमने अपने यहां के ऐक्ट की धारा १४ (३) में किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें ज्यादा समय लिया जाय। मैं यह कहूंगा कि डिप्लोमा की परिभाषा और सेक्शन २१ और ९ (४) में संशोधन करने के लिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि पहले वह बतायें कि क्या-क्या कठिनाइयां सरकार ने महसूस कीं जिनसे यह अमेंडमेंट लाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

वह यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा भी एक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—

एक संशोधन श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी ने दिया कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। अच्छा, आप भी बोल लीजिएगा।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह बहुत ही, महत्वपूर्ण विधेयक है। यही एक बिल है जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहां शिक्षा और उद्योग का सम्बन्ध है, यह दोनों के बीच की कड़ी है और इस कड़ी को हम मजबूत नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और खास कर इस समय इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ गया है कि हमारे भारत में जब से रुपये का अवमूल्यन हो गया है यह एक स्थायी चीज होने जा रही है कि हमारा आयात कम से कम हो और निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिये अवमूल्यन की स्थिति को देखते हुये हम अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात करना चाहते हैं। यानी हम अपने रा-मेटीरियल का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी आमदनी को और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जब हमारे देश के समक्ष ऐसी परिस्थिति है, उस समय हमें क्या करना चाहिये, इस पर हमें विचार करना चाहिये। मैं तो यह उम्मीद करता था और आपके द्वारा मैंने बहुत प्रार्थना की कि मंत्री जी उन कठिनाइयों को सदन के सामने प्रस्तुत करें, जिनके कारण संशोधन लाया गया है, लेकिन मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को उनसे परिचित कराने का प्रयत्न नहीं किया, जिससे कि हम उनकी तह तक जा सकते कि उन्होंने किन-किन कठिनाइयों को अपने कार्य संचालन में महसूस किया है। इसमें सिर्फ २—३ धाराओं का सम्बन्ध नहीं है, इसमें अन्य भी बहुत सी धाराओं और कठिनाइयों का सम्बन्ध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

एक तरफ तो हम औद्योगीकरण की बात करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत में अधिक से अधिक औद्योगीकरण की बात करते हैं। लेकिन काम करने वाले लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक उस काम का एक्सपीरियन्स नहीं रखते होंगे तब तक हम उद्योगों के सम्बन्ध में कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक हम पोली-टेक्निक की तरफ ध्यान दें। टेक्निक के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो मोनोटेक्निक और दूसरा है पोलीटेक्निक। मोनोटेक्निक तो वहां होता है जहां लोकलाइज होता है और उन्हें हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लोकलाइज्ड हो। इसलिए जरूरी है कि हम पोलोटेक्निक की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें और जब इस ओर हमारा ध्यान जाता है तो आवश्यकता हो जाती है कि किस तरह की टेक्निकल एजूकेशन हम लोगों को दें कि ऐसे लोग तैयार हो सकें जो एजूकेशन और उद्योग के बीच की कड़ी का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। इसलिए आवश्यकता होती है कि एक्सपर्ट्स की अब तक जो ओपिनियिन रही है, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो टेक्निकल स्कूल खोले गए हैं, जो आदमी उसमें टीचर की जगह एक बार इंगेज होंगे और उसे यह मौका नहीं लगा कि उस ट्रेड से जिसमें उसने क्षमता हासिल की है उससे अपना संबंध कायम रख सकें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसे ट्रेड में जिसमें उसने दक्षता हासिल कर ली हो अपना टेक्निकल ज्ञान दूसरों को दे सकें इसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि उनको अपटुडेट नालेज उसकी रहे।

जहा तक टेक्निकल एजूकेशन का, संबंध है, इस प्रदेश में ही नहीं सारे भारत में हमारी डिग्रियां, डिप्लोमा या सर्टीफिकेट्स वगैरह का रिकगनीशन नहीं है। न हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ही उनको रिकगनाइज करता है और न दूसरे डिपार्टमेंट्स और न दूसरे स्टेट्स में ही उनको रिकगनीशन मिलता है। अगर वह रिकगनीशन हो तो वह अपना काम दूसरे लोगों को सिखा सकता है और अपने टीचिंग एक्स्पीरियंस से लोगों को लाभ पहुंचा सकता है।

हलद्वानी में मैं पिछले साल गया था वहां आपका एक टेक्निकल स्कूल खुला है। वहां लोगों के सिखाने के लिए जो डिप्लोमाज दिए जा रहे हैं उनको न इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, न और गवर्नमेंट्स ने और न उत्तर प्रदेश के और विभागों ने रिकगनीशन दिया है। नतीजा यह है कि ऐसे लोग जब वहां से डिप्लोमा लेकर निकलते हैं तब उनकी कदर नहीं होती, उनको रिकगनीशन नहीं मिलता और उस शिक्षा से उनको भी लाभ नहीं मिलता और हमारे स्टेट को भी लाभ नहीं होता। हमारे पास इंडस्ट्रीज कम हैं और हमारा उद्देश्य है कि टेक्निकल एजूकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अधिक से अधिक टेक्निकल स्कूल्स खोलें और नान-टेक्निकल हैंड्स को अधिक से अधिक शिक्षित करें। इसलिए हमें चाहिए कि जो स्कूल्स हमारे चल रहे हैं उनमें तो हमारी सरकार ही जिम्मेदार है और इसलिए मैं कहता हूं कि इस डिप्लोमा को रिकगनीशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों द्वारा दिलाने की व्यवस्था की जाय। ऐसे स्कूलों को रिकनीशन मिल सके ताकि वे अपने ज्ञान का सही तौर पर प्रदर्शन कर सकें।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक टेक्निकल एजूकेशन के टीचरों का संबंध है, उनकी पे बहुत कम है। इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जमाने में जब कि हम अपने प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक उद्योग फैलाना चाहते हैं तो हमको अपने उन टेक्निकल एजूकेशन के शिक्षकों की भी कदर करनी होगी। उनकी कदर नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि वे लोग टीचिंग लाइन में आने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पे स्केल के बारे में बतलाया गया है कि उनकी पे बहुत कम है। टेक्निकल एजूकेशन की यह रिपोर्ट है। इसमें बतलाया गया कि टेक्निकल एजूकेशन के टीचरों की पे स्केल जो १९४६ में थी वही वर्तमान पे स्केल है। इसमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट क्लास टीचर हैं उनके लिए ४२५-१,००० रुपया दिया है। जो सेकेंड क्लास टीचर हैं उनके लिए १७५-१०-३२५ दिया है और जो थर्ड क्लास हैं उनके लिए ७५-५-१५० दिया गया है। जो वर्कशाप में बिजली

[श्री कमलासिंह यादव]

का काम करते हैं चौथी क्लास के उनके लिए ५०-१-७५ ही अभी दिया जा रहा है। आप सोचें कि सन् १९४६ के जमाने के पुराने ही स्केल उनको दिए जाते हैं। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए और इन पे स्केल्स को रिवाइज करना चाहिए ताकि जो टीचर दूसरी तरफ देख रहे हैं वह उस तरफ न जायं और हमारे इन टेक्निकल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स में ही काम करें और हमको अच्छे से अच्छे टेक्निकल हैंड्स प्राप्त हो सकें।

मैं हलद्वानी के टेक्निकल स्कूल के बारे में इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने शायद उस स्कूल को २-३ साल के लिए कायम किया है। हम तो यह समझते हैं कि हमारे लिए ऐसे स्कूलों की जरूरत है। इसलिए इन स्कूलों को रखा जाय। इसका कारण यह भी है कि १, २ या ३ साल के लिए कोई अच्छी योग्यता का आदमी आना पसन्द नहीं करेगा और फिर दूसरी बात यह है कि अपने प्रदेश में टेक्निकल एजूकेशन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो स्कूल खोले गए हैं उनको बन्द करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से रुपया न दे तो प्रांतीय सरकार को रुपया देना चाहिए ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा आदमी वहां से ट्रेनिंग पा कर निकलें। एक यह भी समस्या होगी कि जो १, २ या ३ साल के लिए रखे गए हैं उनको इतने समय के बाद वहां से हटा दिया जायगा तो उनके दिल में यह डर रहता है कि उतना समय समाप्त होने के बाद वह हट जायेंगे तो फिर कहां जायेंगे और उनको नौकरी कहां पर मिलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिन टीचरों को आपने एंगेज किया है और यदि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको दूसरे स्कूलों में मौका देना चाहिए। जो टेक्निकल स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं वहां पर उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको वहां रख दिया जायगा तो अच्छे हैंड्स वह पैदा कर सकेंगे।

एक तरफ तो हम देखते हैं कि अपने प्रदेश के अन्दर उद्योगों को पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ-साथ दूसरी तरफ यह देखते हैं कि जो कायम हो चुके हैं उनको एक तरह से खत्म किया जा रहा है। उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि जिसमें एक तरफ तो उद्योग कायम हुए और फैले। उसका नतीजा यह है जिन उद्योगों से लाभ उठाया जा रहा था वह अब खत्म होते जा रहे हैं। खास तरीके पर मैं मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां तेल और इत्र वगैरह के उद्योग थे और मैं समझता हूं कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वहां का इत्र जाता था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग उस उद्योग को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे उद्योग जो चल रहे हैं उनको सरकार को टूटने नहीं देना चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए।

अभी सहारनपुर में पेपर फैक्ट्री खोली गयी है। उसके साथ ही साथ हम वहां ग्रेजुयेट्स और अन्डर ग्रेजुयेट्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कागज बनाने के लिए धान की पुआल, गन्ने की खोई और बांस का उपयोग किया जा सकता है। यह ठीक है कि पश्चिमी जिलों में यह पेपर मिल खोली गयी है, उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां यह कच्चा माल अधिक है, पूर्वी जिलों में भी अगर इस तरह की कोई व्यवस्था की जाती तो अधिक अच्छा होता। ऐसा होने से कागज अधिक बन सकता है और पूर्वी जिलों के रा मैटीरियल का उपयोग भी हो सकता है। सहारनपुर में डिग्री मिलती है इस कोर्स के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था पूर्वी जिलों के लिए भी होनी चाहिए।

जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का संबंध है, हमारे विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। उसके साथ-साथ वह पार्ट-टाइम ट्रेनिंग नहीं ले सकते। विदेशों में विद्यार्थी पार्ट टाइम काम करके ट्रेनिंग पा लेते हैं और अपनी जीविका भी अर्जित करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे उद्योग कायम किए जाने चाहिएं कि जहां विद्यार्थी पार्ट-टाइम काम करके ट्रेनिंग भी पा सकें और आगे के जीवन में उनकी वह ट्रेनिंग भी सहायक हो सकें।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हमको निर्यात पर जोर देना है। उसके लिए हमारे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुयें सुन्दर बननी चाहिएं, उन चीजों को इजिली एवेलेबिल होना चाहिए और वे चीजें सस्ती होनी चाहिएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी वस्तुयें विदेशों में बिक नहीं सकेंगी। इसलिए हमें ऐसे टेक्निशियन्स पैदा करने हैं जो चाहे स्कूल में रह कर शिक्षा प्राप्त करें अथवा प्रशिक्षण केंद्र में, लेकिन वे देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। (व्यवधान) मिश्र जी की बात जब कृष्णानन्द राय जी करते हैं तो वह एक अफसोस की बात होती है। मिश्र जी की बात अपनी जगह पर सही है कि हमारे लेबर को अधिक से अधिक मूल्य मिलना चाहिए। निर्यात के नाम पर हमारे लेबर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात और है। गाजीपुर में एक अफीम फैक्ट्री है। वहां बहुत से केमिकल बनते हैं और इन्जेक्शन भी बनाए जा रहे हैं। उसे तोड़ने का सवाल चल रहा है, इसलिए कि उसमें ज्यादातर काम करने वाले दक्षिण के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनको अधिकारी तुड़वाना चाहते हैं ताकि वे उद्योग यहां से बाहर दूसरे प्रदेशों में चले जायं। हमारी सरकार को इसके लिए सचेत रहना चाहिए। ऐसे उद्योग जो अधिकारियों की नालायकी से टूटने वाले हैं या जिनको वह दूसरे प्रदेशों में ले जाना चाहते हैं उनको यहां रखना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश की इन्डस्ट्री में बढ़ोत्तरी हो।

रिसर्च में केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स चल रहे हैं जैसे मिर्जापुर, बरेली और कानपुर में। अगर ऐसे कोर्स और शिक्षा केन्द्र पूर्वी जिलों में भी खोले जायं तो बड़ा लाभ हो सकता है और जैसा मैंने गाजीपुर की इंडस्ट्री के लिए कहा, अगर वसी फैक्ट्री दूसरे जिलों म भी खोली जायं तो अधिक उपयोग वहां के कच्चे माल का हो सकता है और रिसर्च से नयी नयी चीजें मिल सकती हैं।

जहां तक सुरक्षित सीटों का सवाल है मंत्री जी ने हरिजनों के लिए १८ परसेंट, सीमा के लोगों के लिए ५ परसेंट, मिलिटरी और पोलिटिकल सफरर्स के लिए ६० में १ की व्यवस्था की है। और भी प्रदेश हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर के लिए भी रिजर्वेशन हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई आदमी उद्योग करे और उसमें कोई खराबी आ रही हो तो सरकार को उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जो डेफिश्यैंसीज हैं उनको हटा सकें और उनको नया रूप दे सकें, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कोई रिजर्वेशन अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन अगर प्रिफरेंस भी बदल जायं तो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है।

अभी तक जो एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या डिग्री कोर्सेज हैं उनमें फीस १० से १५ रुपया मंत्री जी ने निर्धारित की है। इतनी ज्यादा फीस होने के कारण बहुत से गरीब लड़के वहां नहीं पहुंच सकते। हालांकि जो परसेंटेज फीस माफी का है वह इतना कम है कि वह प्रोपोर्शन भी नहीं पहुंच सकता।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, आपके यहां भी कुल ११ लड़कों के लिए हम स्कालरशिप दे सके, तो इस तरह की चीज होनी चाहिए कि अगर विशेष परिस्थितियां हों तो परसेंटेज से भी अधिक ऐक्ट में देने का प्राविधान होना चाहिए। इस तरीके पर गरीब विद्यार्थियों को भी राहत मिल सकती है।

जहां तक टेक्निकल स्कूल्स खोलने का सवाल है, मंत्री जी ने जिलों में स्कूल्स खोले हैं और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिए भी आई० टी० आई० के नाम पर खोले गए हैं। लेकिन बिल्डिंग्स की बहुत ही कमी है। मंत्री जी ने कोशिश की है कि हर जगह पर बन जायं, लेकिन आज हर एक आदमी किसानों को लूटना चाहता है। सौ रुपये, दो सौ रुपये पर जिसकी चाहें जमीन ले लें। आपको तो माकट वैल्यू से भी अधिक देना चाहिए ताकि उसके सामने आगे की समस्या

[श्री कमलासिंह यादव]

न हो कि जमीन छिन गयी तो हम क्या करेंगे। लैंड एक्वीजीशन बिल के सिलसिले में राजस्व मंत्री ने सदन में यह ऐलान किया था कि मार्केट वैल्यू जो होगी उस पर १५ परसेंट देंगे। मैं कहता हूं कि जैसा गाजियाबाद में जमीन ली गयी है अगर उसी रेट पर आप लें तो कोई जिला नहीं जहां स्कूल के लिए जमीन न मिल सके। गाजियाबाद में जो स्पेशल रेट दिया गया है अगर उस रेट से आप लेना चाहें तो आपको आसानी से जमीन मिल सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, शेष बातें मैं रिप्लाई के वक्त कहूंगा, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में विधेयक को पढ़ा भी नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ को जनमत संग्रह के लिए ३ मास तक परिचालित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्निकल शिक्षा हमारे प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा सकती है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस शिक्षा प्रणाली पर जितना और जिस प्रकार से सरकार धन व्यय कर रही है अगर सरकार ने उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा तो करोड़ों रुपया व्यय करने के पश्चात् भी उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। कोई भी छात्र जो आज शिक्षा ग्रहण करके निकलता है वह शिक्षा पाने के बाद निकम्मा हो जाता है। आज टेक्नीकल एजूकेशन की भी वही हालत होती जा रही है। आज जिस तरीके से टेक्नीकल एजूकेशन की शिक्षा दी जा रही है वह बड़ी दोषपूर्ण है। जो रा मैटीरियल खर्च होता है उसका बहुत बड़ा भाग बरबाद हो जाता है और वह फेंक दिया जाता है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें इसके लिए इस शिक्षा में ऐसा मोड़ देना पड़ेगा कि इस माल से कुछ चीजें वहां तैयार हों। जो माल तैयार हो वह बाजार में बेचा जाय और उससे जो धन प्राप्त हो उसका कुछ हिस्सा उन छात्रों को भी दिया जाय। बहुत से छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देती है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि बहुत दिनों तक यह छात्रवृत्ति दी जाया करे। उनको अपने ऊपर निर्भर रहने दिया जाया करे। जो माल तैयार हो उसका कुछ परसेंटेज उनको दिया जाया करे। जिस तरह से जेल में माल तैयार कराया जाता है और कुछ परसेंटेज उनको दिया जाता है इससे छात्रों की जानकारी भी बढ़ेगी और संस्थाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। रामैटीरियल जो बरबाद जाता है उसका इस्तेमाल भी हो सकेगा।

इसके अलावा एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। विभागीय संचालन के लिए जो व्यक्ति रखे जाते हैं वे सभी टेक्नीकल होना चाहिए। गैर टेक्निकल लोग वहां नहीं होने चाहिए। मेरा यह निश्चित मत है वह इसलिए कि जो टेक्निकल आदमी होंगे उनके नियंत्रण के संबंध में, उसकी आन्तरिक जानकारी के संबंध में अनेक प्रकार के जो ट्रेड हैं वे किस प्रकार के हैं, उनमें क्या हो रहा है, यदि वे स्वयं जानकार नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार उनका संचालन होना चाहिए वे नहीं कर पायेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मंत्री जी का ध्यान आई० टी० आई० की ओर दिलाना चाहूंगा। तमाम जिलों में यह सरकार की पालिसी है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कालेज खोले जायं और उसके अनुसार ट्रेनिंग दी जाय। लेकिन जिस प्रकार वहां का वातावरण है, मैं खासतौर पर लखनऊ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां जिस प्रकार से संचालन होता है वह नगण्य है। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो वे योग्य नहीं होते हैं। जिस तरह एजूकेशन मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। सर्टीफिकेट व डिप्लोमा से कोई कार्य होने वाला नहीं है। लखनऊ के विषय में तो मैंने मिसाल के तौर पर बताया है, मंत्री महोदय इस संबंध में जानकारी कर लें। थ्योरी में ही सीखने वाले रह जाते हैं

प्रैक्टीकल आस्पेक्ट की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो माल मंगाया जाता है उसमें बड़ी गन्दगी होती है। इस पर खास ध्यान रखना चाहिए। अभी पिछले दिनों लखनऊ आई० टी० आई० में जो मशीनें मंगवाई गई थीं उसकी ओर भी मैं माननीय मंत्रीमहोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। २,५०० की मशीन ७ हजार, ९ हजार की भी दिखाई गई जो कि सील्ड है, जांच नहीं हो रही है।

डाक्टर सीताराम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्पष्ट कर दूं कि टेक्नीकल एजूकेशन के अन्तर्गत यू० पी० में जितने आई० टी० आईज० हैं वे लेबर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आते हैं, इस डिपार्टमेंट के अन्तर्गत नहीं आते इसलिए मैंने उचित समझा कि माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं कि आई० टी० आई० टेक्नीकल एजूकेशन के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि आई० टी० आई० इस डिपार्टमेंट के अन्तर्गत नहीं आते हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से ऐसे इन्स्टीट्यूट्स हैं जो कि इस विभागान्तर्गत नहीं आते हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जवाब में बतला दूंगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदस्य चाहते हैं कि पहले इसे स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री खेमचन्द—

कृपया इसे स्पष्ट करवा दीजिए पहले।

श्री अधिष्ठाता—

सभी को मालूम है कि आई० टी० आई० लेबर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मैंने तो माननीय मत्री का ध्यान इसलिए आकर्षित कर दिया है कि इस प्रकार की बातें होती हैं जिनकी रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ प्रवेश के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो टेक्नीकल एजूकेशन पर खर्च पड़ता है उसे सहन कर सकें। किसान, हरिजन या बैकवर्ड या अन्य निम्न स्तर के आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं यद्यपि उनके बच्चों में इसके प्रति रुचि है, प्रतिभा भी है किन्तु साधनों के अभाव में वे इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इस विषय की ओर भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था जरूरकरें जिससे कुछ ऐसे लोगों को भी इस शिक्षा के प्राप्त करने का संरक्षण प्राप्त हो। ताकि हमारे समाज का जो एक पिछड़ा अंग है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा जो धारा ५ में अधिकार दिये गये हैं उनके बारे में मेरा निवेदन है कि उसके बारे में माननीय मन्त्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका दुरुपयोग न हो, शिक्षकों और छात्रों में मनोमालिन्य बढ़ जाने पर छात्रों को उसका शिकार न हो जाना पड़े। अन्त में मन्त्री जी का ध्यान फिर मैं इस तरफ दिलाऊंगा कि इस शिक्षा के द्वारा केवल बौद्धिक विकास पर ही ध्यान न दिया जाकर उसकी प्रैक्टीकल साइड भी देखी जाय, प्रोडक्शन को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाय। अतः इसके स्वरूप पर विस्तार से विचार करने के लिए और जनता की राय जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाय।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर ८ सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और उसका अभिप्राय यह है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाय। मैं जब से इस सदन में आया हूं, मुझे एक भी बिल ऐसा नहीं मिला जिस पर प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव न आया हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि इसको प्रवर समिति के लिए भेजा जाय। जो कुछ भी सुधार माननीय सद य इस में कराना चाहते हैं, उनके बारे में माननीय कमलासिंह जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं, उन पर विचार हो जायगा। लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव देना उचित नहीं है। इसलिए मैं इस प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, और जो बिल पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमारे देश की उन्नति के लिए पालीटेक्निक एजूकेशन जितनी भी अधिक बढ़ायी जाय और जितनी भी ऊंचे स्तर पर लाया जाय, वह कम ही है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और देश में उद्योग धन्धे भी बढ़ रहे हैं। सरकार अपने पास इस प्रकार की लिस्ट रखे कि पालीटेकनिक शिक्षा प्राप्त किये हुए कितने लोगों को रोजगार मिल गया। एक विद्यार्थी की बाबत मैं जानता हूं कि उसने ७० रुपया से नौकरी शुरू की थी और अब २५० रुपया पा रहा है। उन विद्यार्थियों की बात छोड़ दीजिये जो पढ़ते नहीं हैं और आवारा घूमते हैं। जब हम इस बात को मानते हैं कि हमारे देश के लिए पालीटेकनिक शिक्षा की बहुत जरूरत है तो सरकार की नीयत ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रत्येक जिले में एक पालीटेकनिक खोले। मेरे जिले गढ़वाल में श्रीनगर, में ५ बरस से एक पालीटेकनिक खोले जाने की व्यवस्था हो रही है। मशीनरी आ गयी है लेकिन अभी तक वह तैयार नहीं हुआ। मैं इस ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वे इसकी शीघ्रता से व्यवस्था करें। मैं चाहता हूं कि हर एक जिले में इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आई० टी० आई० और पालिटेकनिक संस्थाएं एक ही विभाग के अधीन होनी चाहिए। आई० टी० आई० को लेबर से निकाल कर टेकनिकल एजूकेशन के अन्डर में ही लाना चाहिये। इसके लिए सरकार को बिल पेश करना चाहिए और लेजिस्लेशन लाना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि इन पालिटेकनिक संस्थाओं में जो कार्य सिखाये जाते हैं उनमें वह व्यवसाय या उद्योग अवश्य सिखाये जायं जो उस जिले में प्रचलित हैं, जिनका काम वहां होता है या पहले होता था। बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे करोड़ों रुपये की आय हो सकती है, लेकिन उस तरफ न सरकार का ध्यान है और न लोग ही उधर ध्यान देते हैं। करोड़ों रुपये का मवेशियों का चमड़ा हमारे यहां दूसरे जिलों में सड़ जाता है और बेकार जाता है और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमें इंनडिजिनस उद्योग की तरह इन चीजों को देखना चाहिए और इन उद्योगों को सिखाया जाय। विद्यार्थियों की कमी नहीं है और अगर प्रोत्साहन दिया जायगा तो लोग जरूर आयेंगे। हमारे देश में यह बहुत अफसोस की बात है कि कुछ जाति के लोग कुछ कामों को ठीक नहीं समझते और समझते हैं कि उच्च जाति के लोग को उन कामों को नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि ऐसे ट्रेड इन टेकनिकल संस्थाओं में सिखाये जायं और इन पुराने उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। इससे प्रदेश का और देश का बहुत लाभ होगा। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में शू मेकिंग और चमड़े का काम एक बड़ा उद्योग है और रूस वगैरा को विदेशों को हमारा बहुत सा माल जूतों का जाता है और उससे हमको अच्छी आय होती है और विदेशी मुद्रा मिलती है। हमें इस प्रकार की इनडिजिनस इन्डस्ट्रीज की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां श्रीनगर में बहुत पहले जमाने से सलीमशाही जूते बहुत अच्छे बनते थे, सन् १९५८ में जब हमारे यहां सुलेमान शिकोहदारा का बेटा अतिथि की हैसियत से आया तो उनको यह सलेमशाही जूता पेश किया गया था। तब से श्रीनगर का पीले चमड़े का जूता मशहूर है। इसके अलावा वहां पर हरे पत्थर की छोटी मूर्तियां बहुत बनती थीं, जो अंगूठी के नग की जगह भी लग सकती हैं। इस तरह की जो इन्डस्ट्रीज हर जिले

में पहले से चलती आती हैं उनके पुनरुत्थान की जरूरत है क्योंकि उनके थोड़े बहुत जानने वाले वहां मिलते भी हैं। हर जगह की जो खास इन्डस्ट्री है उसको रिवाइज करना चाहिए और उसकी शिक्षा इन संस्थाओं में दिलवा देना चाहिये। हाइड ऐन्ड स्किन की, चमड़े की जूतों की, मूर्ति कला की ऐसी कितनी ही इन्डस्ट्रीज हैं जिनको हम सिखा सकते हैं।

इस तरह से जैसा मैं समझता हूं अंग्रेजों के जमाने में फर्नीचर का काम बरेली में ही आरम्भ किया गया। यह स्थान लकड़ी के काम के लिये पहले से मशहूर है। इसलिए जो भी इन्स्टीट्यूशनल फर्नीचर या लकड़ी के काम के बने वे बरेली में बने फिर इसके बाद इलाहाबाद में बने। इसलिए हमारे राज्य कर्ताओं को, जिनके हाथ में सत्ता है, उन्हें देखना चाहिए कि कौन सा स्थान किस कार्य के लिए उपयुक्त है। उन्हें यह नहीं करना चाहिए कि लखनऊ में बैठे कैरिक्युलम या प्रोस्पेक्टस बनायें बिना इस बात को देखे हुए कि जो चीज जहां पर खुलती है, उसके लिए वहां पर कच्चा माल मिल सकता है अथवा नहीं और उसका प्रयोग हो सकता है या नहीं। हमारा तो काम केवल यह है कि हम सरकार को यह बतलायें कि कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। हमारा काम रोड़े अटकाना नहीं होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि यदि वह देश की गरीबी को मिटाना चाहती है तो हमारे परामर्श को लेकर काम करे।

यहां पर इस छोटे से बिल को भी प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि इसे प्रवर समिति में भेजने से क्या नतीजा होगा। यह केवल २ पैराग्राफ का बिल है और यदि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जायगा तो यह वहां जाकर खटाई में पड़ जायगा। हमारी सरकार तो चाहती है कि जितने बिल या प्रस्ताव वह सदन में पेश करे वे जल्दी से जल्दी पास हो जायं।

यहां पर मैं यह अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल के अंग्रेजी वर्जन्स को देखें तो अंग्रेजी वर्जन में दिया है कि इस संशोधन का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल अन्डर टेकिंग्स के बिल में लिखा है:—

A Bill

"This bill is to enable the State Government to make special provisions for a limited period in respect of industrial regions, financial obligations and other like matters in relation to those industrial undertakings, the running of which is considered essential as a measure of preventing or of providing relief against unemployment."

लेकिन यह बात आपको हिन्दी वाले वर्शन में नहीं मिलेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी, ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या हिन्दी भाषा का जो संशोधन आया है वह उचित समझा जायगा या अंग्रेजी का? अभी माननीय मुकन्दीलाल ने बताया कि अंग्रेजी से जो ट्रांस्लेशन किया गया है उससे इस संशोधन में कोई उपयोगिता नहीं होगी। अतः अंग्रेजी का जो वर्जन है वह ठीक समझा जायगा। उनका कहना है कि जो परिभाषा अंग्रेजी में है वह हिन्दी में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बिल हिन्दी में आया है वह सही माना जायगा या अंग्रेजी का? इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है। आप उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

कृपया यह बताने की कृपा करें कि यहां पर हिन्दी वाला सही माना जायगा या अंग्रेजी वाला?

श्री अधिष्ठाता—

हिन्दी वाला सही माना जायगा। चूंकि उन्होंने विधिवत् कोई संशोधन पेश नहीं किया है, अतः उन्हें आप बोलने दें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंग्रेजी में बिल है उसमें शुरू में ६ पंक्तियों में जो लिखा है उसमें अच्छी तरह से हमारे सामने बिल का उद्देश्य है। बजाय उसके जो हिन्दी में छपा है उससे इस बिल का अभिप्राय साफ नहीं होता है। मेरा यह मतलब नहीं है कि हिन्दी में गलत छपा है और अंग्रजी में सही है। कई बातें ऐसी हैं जो अंग्रेजी में व्यक्त हो सकती हैं और समझ में आ सकती ह और हिन्दी में वह नहीं होता है। मैंने इसका एक उदाहरण दिया है। इस के द्वारा सरकार को एक मौका मिला है कि वह प्रदेश में पालीटेकनिक स्कूल खोल कर अनएम्प्लायमेंट को कम करें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह उचित समझता हूं कि यह आवश्यक है कि यह प्रवर समिति को जाय। माननीय मन्त्री जी भी इसको मानेंगे कि आपने सन् १९६२ में यह विधेयक पास किया था और आज तीन साल के बाद ही आपको फिर से एक संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। अगर पहले ही आप उस विधेयक को विचारपूर्वक लाये होते तो शायद इस की आवश्यकता न पड़ती। जो अभी बैरिस्टर साहब ने कहा था कि हमेशा से यह परम्परा चली आ रही है और माननीय कमला सिंह जरूर इस को प्रवर समिति में भेजने का विचार रखेंगे, तो उन्होंने स्वयं इसकी पुष्टि कर दी। जब तक वे इधर बैठते रहे तब तो उसी का समर्थन करते थे और जब उधर चले गये तो प्रवर समिति में किसी विधेयक को भेजने का विरोध करते हैं। परन्तु उन्होंने भी कहा है कि आई० टी० आई० और सब पालीटेकनिक को मिला कर एक इन्टेगरेटेड लाइन पर इन को चलाना चाहिये। एक ही सबजेक्ट की पढ़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर न होकर उसकी एक ईकाई होनी चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने सुझाव दिये हैं कि क्या-क्या कमियां हैं और किस-किस तरह से उनको पूरा होना चाहिये। जिस समय यह ओरिजिनल अधिनियम या विधेयक यहां आया था दुर्भाग्य से उस समय चीन का आक्रमण हो गया था और सदन को इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला था। सदन में इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए मैं समझता हूं कि यह अब भी अपूर्ण है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा कि किन-किन कारणों से हम इस संशोधन को इस सदन में लाये हैं। विधेयक में जो उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं उन्हीं को उन्होंने पढ़ दिया। उनको चाहिए था कि वे मूल कारण बतलाते कि जो इसमें डिप्लोमा की परिभाषा दी है वह पूर्ण नहीं है और इसमें हम कुछ और भी डिप्लोमाज को व्याप्त करना चाहते हैं, जैसे हायर एजूकेशन डिप्लोमा। लेकिन माननीय मन्त्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जहां तक डिप्लोमा का प्रश्न है उसमें तो चाहे लोअर एजूकेशन डिप्लोमा हो या हायर एजूकेशन डिप्लोमा हो, सब इन्क्लूड करता है, इससे उसमें कोई अन्तर आने वाला नहीं है। उसके कुछ स्टेजेज हैं, जैसे इन्टरमीडियेट एजूकेशन के अन्तर्गत हाई स्कूल्स हैं, इन्टरमीडियेट कालेज हैं, इसी तरह से डिप्लोमा के लिए अलग-अलग न होकर एक ही परिभाषा होनी चाहिये। डिप्लोमा लोअर के लिए हो, चाहे हायर के लिए हो, इससे ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन इस तरह का एक संशोधन रखना चाहिये कि डिप्लोमा के अन्दर सब इन्क्लूड करता है, प्रारम्भिक या सारी चीजें इसके अन्दर आ जाती हैं। कहा यह गया है कि चेंज इसलिए करना चाहते हैं कि यह नेशनल डिप्लोमा है, जो रजिस्टर्ड डिप्लोमा है उसके समकक्ष लाने की बात है। आपको बतलाना चाहिये था कि नेशनल डिप्लोमा क्या है और किन कारणों से आप यह चीजें कर रहे हैं। आप इतना तो बतलाते कि नेशनल डिप्लोमा प्रारम्भिक

है, उच्च डिप्लोमा है, उच्चतर है या डिप्लोमातर है यानी नेशनल डिप्लोमा में कौन-कौन ऐसी चीजें हैं जिन के कारण आप को यह अमेंडमेंट लाना पड़ता है। अगर कोई ऐसी चीज थी तो आपको अपने पहले एड्रेस में ही बतलाना चाहिये थी। आप बाद में स्पष्टीकरण देंगे जब कि सारे सदस्य अपने विचार रख देंगे, लेकिन आप को पहले ही स्पष्टीकरण रख देना चाहिये था कि क्या हम उससे मतलब समझते हैं।

हम आप को यह बताना चाहते हैं कि यह प्रवर समिति को क्यों भेजा जाय। आप ने जो इस में उद्देश्य और कारण रखे हैं उनमें दिया है, सलाह दी है कि बोर्ड द्वारा कला में भी उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए परीक्षायें ली जानी चाहिये। आपने कहां पर कला के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए संशोधन किया? उद्देश्य कारण तो बताते हैं, लेकिन फाइन आर्ट्स के स्कूल को आप इसमें अटेच करना चाहते हैं? क्या इतने संशोधन से जो फाइन आर्ट्स के स्कूल चल रहे हैं, जैसे कार्विंग है, क्लेमाडलिंग है, आदि, आदि, तो आप के उद्देश्य कारण में रहते हुए भी आपने कोई ऐसा संशोधन उस में नहीं किया है। केवल यह कह देने से कि हम फाइन आर्ट्स को इन्क्लूड करना चाहते हैं और आप ने कोई संशोधन अधिनियम में नहीं किया है, काम नहीं चलेगा। आप को इस में लिखना होगा कि उन स्कूल्स को भी इन्क्लूड करते हैं। केवल एक मात्र संकेत कर दिया है कि नेशनल डिप्लोमा के समकक्ष लाने के लिए ऐसा आवश्यक है। लेकिन उस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं रखा, न ही नेशनल डिप्लोमा को डिफाइन किया है। हम यह नहीं कहते कि आप का विचार नहीं है। लेकिन जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है इसी कारण हम इसको प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं अन्यथा एक साल बाद आप फिर आवेंगे कि इस में यह गलती रह गयी। इन सब पूर्तियों के लिए इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है।

मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जहां तक टेकनिकल एजूकेशन का सम्बन्ध है उसका और देश में उद्योग का, विकास हो यह बहुत आवश्यक है। परन्तु यदि प्राविधिक शिक्षा दें तो आपको इसके पहले यह सोच लेना चाहिये कि हमारे प्रदेश में कौन से ऐसे उद्योग हैं जिन के लिए हम टेक्नीकल शिक्षा दें, जिससे उन का विकास हो सके। इस पर आपने कहीं विचार नहीं रखा कि आप के यहां कौन से उद्योग हैं, इन्डीजिनस इन्डस्ट्रीज कौन सी हैं। पहले उन पर विचार कर के आप को उन उद्योगों पर शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि वे उद्योग जो आप के यहां प्राइमरी स्टेजेज पर हैं, उनका विकास करने के लिए सब से पहले आप को विचार कर लेना चाहिये कि हम उन उद्योगों के विकास के लिए एसेंशियल टेक्नीकल एजुकेशन दें। केवल इतना ही नहीं कि टेक्नीकल एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी पर दे दें, या और चीजों पर दे दें; यह बहुत आवश्यक है कि हम देख लें कि हमारे यहां कितनी इंडस्ट्रीज हैं और हम उन के लिए कौन-कौन से विचार रख रहे हैं।

कुछ संशोधन हैं जिन को आप ने इन्टरमीडियेट एजूकेशन से लिया था, उस पर तो कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आप ने बोर्ड बनाया है उसमें आप ने सारे के सारे सरकारी आदमी रखे जिस से यह होता है कि जिस व्यक्ति में विशेष योग्यता किसी विषय की होती है वह नहीं पहुंच पाता, बल्कि जो सरकार की निगाह में विशेष होता है, वही पहुंच पाता है। सब जगह राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट आया है यह केवल ४ सदस्यों को छोड़कर। हम कहेंगे कि यह ऐसा विषय है जिस के लिए प्रवर समिति में इसका जाना जरूरी है। एक अधिनियम आया कि सरकार द्वारा इतने-इतने व्यक्ति होंगे, सरकारी कर्मचारियों में से ले लिये, लेकिन उद्योग से सम्बन्धित एक विशेष स्थान पर एक उद्योग होता है। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये विशेष जानकारी जिन व्यक्तियों को है उसको भी लेना आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिये न तो ओरिजिनल विधेयक में और न इस विधेयक में कोई व्यवस्था है। इसके उद्देश्य और कारण में केवल शाब्दिक संशोधन मात्र हैं और इसमें जो मंशा होनी चाहिये और कौन कौन से विशेष संशोधन होने चाहिये इसके लिये एक प्रवर समिति की आवश्यकता है जो पूर्ण रूप से जांच करके जो कमियां हैं उनको एक बारगी पूरा कर सके। इस-लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस संशोधन को वह स्वीकार कर लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और जो प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से आया है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने यह महसूस किया कि हमारे देशवासियों ने गुजिश्ता जमाने में जो बहुत सी इंडस्ट्रीज चलाई उसमें बहुत सी गलतियां की हैं जिसके नतीजे में आज बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हम समझते हैं चौपट होता नजर आ रही हैं और उसके फलस्वरूप बहुत से आदमी अन-एम्पलायड हो गये हैं और अनएम्पलायमेन्ट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी कमी को महसूस करते हुए इस संशोधन बिल में यह व्यवस्था की जा रही है कि अनएम्पलायमेन्ट को खत्म किया जाय और इस प्रकार की इंडस्ट्रीज की फैलाव इस देश में किया जाय जिससे किसी इंवेंचुअलिटीज में भी वे हमारे देश से चौपट न हो सकें। हमारे देशवासियों ने विदेशों से रा मैटीरियल मंगा कर अपने देश में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली थीं जिनका रामैटीरियल हमारे देश के अन्दर अवेलेबिल नहीं था। आज हमारे पास फारेन एक्सचेंज की बहुत कमी हो गयी है और अब उस रा मैटीरियल को न मंगा सकने से वे सारी इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही हैं। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश से अनएम्पलायमेन्ट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और सही मानी में हम अपने देश में इंडस्ट्रियल विकास करना चाहते हैं तो हमको सोच समझ कर फारेन ऐड को इस्तेमाल करना होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि सनक उठी, एक स्कीम बना कर मुल्क के ऊपर आयद कर दी और बाद में चारों चारों ओर असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के विभाग मुल्क को गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं। लेबर तथा इंडस्ट्री डिपार्टमन्टस को ऐसी स्कीमें आयद करना चाहिये जिनके के मातहत हमारे देश के अन्दर रामैटीरियल विदेशों से मंगाना न पड़े और ऐसे रामैटीरियल इस्तेमाल करें जो देश में अवेलेबिल हों जिनकी बिना पर ही हम अपने देश में इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकें।

इसलिये मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं मंत्री जी से कि कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना एक टेढ़ी प्राबलेम है। हमारा यही देखना काफी नहीं है कि आपने इंडस्ट्री के नाम पर कोई भी फैक्ट्री खोल दी। हमें यह देखना है कि भविष्य में उस इंडस्ट्री के एडवान्समेन्ट के क्या प्रास्पेक्ट हैं। अगर वही प्रास्पेक्टस हैं जो भूतकाल में हमारे देशवासियों ने जो इंडस्ट्री खोली हैं जिनके हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का राइज आफ दि इंडस्ट्री बहुत खतरनाक साबित होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप टेक्निकल एजुकेशन बिल पर बोल रहे हैं या लेबर वाले पर ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

जी नहीं, मैं इसी पर बोल रहा हूं। हमें यह देखना होगा कि हम अपने को दूसरे मुल्कों पर आश्रित तो नहीं कर रहे हैं अपने मुल्क के अन्दर इंडस्ट्रीज कायम करने के लिये। हमारे यहां रा मेटीरियल बहुत बड़ी मात्रा में हैं परन्तु हमारे देश वासी अपनी इग्नोरेन्स के कारण उस रा मेटीरियल का क्या इस्तेमाल हो यह नहीं जानते क्योंकि हमारा रिसर्च बहुत ही पावर्टी स्ट्रिकेन डिपार्टमेन्ट है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में बहुत किस्म की पैदावार होती है। उससे हम कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं हमें यह देखना चाहिये, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं किया गया। हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटेड स्कीम फार एक्सपेन्शन आफ इंडस्ट्रीज की। हमें रिसर्च को प्रोत्साहित करना चाहिये बजाय इसके कि हम एकदम से इंडस्ट्री खोलें बिना समझे हुये। इसलिये अधिक जरूरत पहले रिसर्च की है अगर आप सच्चे माने में देश का उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार की उधार खाता की बातें हमारे मुल्क वालों ने की हैं वह बड़ी लज्जाजनक हैं और हमारे स्वाभिमान को गिराती हैं। वह हमारे थिंकिंग के ऊपर जो हमारा कान्फीडेन्स और फेथ था उसको डैटर करती हैं। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि लोगों को कुछ राहत मिल जाय, उनको दाल रोटी मिल सके, इस प्रकार

की स्कीम्स कोई माने नहीं रखती हैं। अगर हम इंडस्ट्री का एक्सपैन्शन करना चाहते हैं तो एक परमानेन्ट फुटिंग पर होना चाहिये नहीं तो वह एक क्रिमिनल वेस्ट आफ लेबर ऐंड मनी होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि स्कीम बहुत अच्छी है, कानूनी जो व्यवस्था उसको संभालने के लिये लागू करने के लिये है, वह ठीक और उसे होना चाहिये। मैंने यह कहा कि वह व्यवस्था ठीक हो सकती है। यह इंसानों की दुनिया है और इंसान हमेशा पर फेक्ट नहीं होता है। अगर इंसान परफेक्ट हो जाय गा तो खुदा हो जायगा और यह निश्चित बात है कि सारी दुनिया खुदा नहीं बन सकती है। इसलिये स्कीमें इन पर फेक्ट हुआ करती हैं और विकास के बढ़ते हुये कदमों के साथ उसकी खराबियां नजर आती हैं। मौजूदा हालत को देखते हुये मैं समझता हूं कि कमियां बहुत ज्यादा हैं और जब इसका दोष नजर आयेगा तब अमेंडमेन्ट लाया जा सकता है, उसे दुरुस्त किया जा सकता है। अगर एंटरप्राइज बढ़ जाता है और मौजूदा व्यवस्था उसको कोप करने के लिये नाकाबिल हो जाती है तो आप उस व्यवस्था को अमेंड करके काम्पीटेंट बना सकते हैं, इसको संभालने के लिये।

अब यहां पर टेक्निकल एजूकेशन के बारे में कहा यह जाता है कि यह इस विभाग में और उस विभाग में है, यह बात मीनिंगलेस है। वह शिक्षा टैक्नीकल चाहे वह किसी भी विभाग में हो, मतलब टैक्नीकल एजूकेशन से है और उस एजूकेशन से है जो देश में उत्पादन बढ़ा सकती है, देश में समृद्धि ला सकती है, हमारे खाने पीने के अलावा जीवन यापन के साधनों, की कमी की पूर्ति करने के लिये अन्न की पैदावार बढ़ा सके और गैर मुल्कों में भेजकर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सके जिसके द्वारा हमें फारिन एक्सचेंज प्राप्त हो सके। इस तरह की एजूकेशन होनी चाहिये अब वह किसी भी विभाग में क्यों न हो ? इस डिफरेनसिएशन का कोई आदर नहीं कर सकता है, कोई सम्मान नहीं कर सकता है, वह कोई माने नहीं रखता है और उसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता है।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये।)

आजकल जो टैक्नीकल एजूकेशन दी जाती है उसके बारे में माननीय कमला सिंह जी ने जो कहा है वह बिलकुल ठीक है। किसी टैक्नीकल एजूकेशन के एडमीशन के समय लड़का नहीं जानता कि उसका आगे क्या कैरियर होगा। सब लड़के टैक्नीकल एजूकेशन में एडमीशन लेते हैं वे समझते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी। अब यह ओपेन फैक्ट है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिये हमारे यहां के लड़कों को कुछ न कुछ इंडस्ट्री चलानी होगी। ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिये कि जिनमें इन लड़कों को खपाया जा सके। चमक दमक की चीजों को पैदा करने में हमारे देश ने बड़ा पार्ट लिया है। लेकिन हमारे देश के लोग यह भूल जाते हैं कि कोई देश दूसरे को मुहताज बनकर अपने देश में आर्थिक क्षमता पैदा हीं कर सकता हैं। यह स्टूपिडिटी की बात है। अगर हम लोग आर्थिक क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं तो गैरों के आश्रित न बनकर उसके लिये अपने मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ानी होगी। जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर तथा पानी के नीचे और पानी के ऊपर की जो चीजें मिलती हैं उनके ऊपर रिसर्च करके यूटिलाइज करना चाहिये। उसके यूटीलाइजेशन की नालेज न होने के कारण हमारी बड़ी भारी समृद्धि इस देश के अन्दर वेस्ट होती जा रही है। जिसको यूटीलाइज करके हम इस देश को एकोनामिकली बहुत तन्दुरुस्त बना सकते थे।

हमारे बहुत ऊंचे लोग जो विदेशों में जाकर वहां की सभ्यता और संस्कृति में पलते हैं और वहां की परिस्थितियों वाली स्कीमों को लाकर इस देश का विकास करना चाहते हैं, वे आपके देश को बर्बाद करते हैं। फारेन कन्ट्रीज से पढ़कर और फारेन स्कीमों को लेकर जो हमारे देश के नव युवक आते हैं उनके विचार करने का दायरा बहुत ही महंगा और संकीर्ण हो जाता है कि उससे वास्तविक मानों में देश का कोई फायदा नहीं हो पाता है और भारत जैसे देश में उन स्कीमों से धन केवल बर्बाद होता है। उन देशों की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब, थिंकिंग और सोशल कन्डीशन्स सब कुछ हमसे बिलकुल भिन्न होता है और उन सारी बातों को मद्देनजर रख कर बनाई हुई स्कीमें इस देश में बिलकुल चल नहीं पाती हैं जहां तहजीब, सोशल कन्डीशन्स, आबोहवा

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

और क्लाइमेट उनसे बिलकुल विपरीत है, जिनमें बड़ा भारी जमीन आसमान का फर्क है। किसी देश में उसी देश की बनी स्कीमें फल फूल सकती हैं, सफल हो सकती हैं, पनप सकती हैं, जहां का एटीच्यूड, क्लाइमेट, थिंकिंग इस पार्टीकुलर देश के समान हो । इस देश के लोगों को, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के छात्रों को यदि इंग्लैण्ड की पढ़ाई पढ़ाई जायगी, वहां के प्रयोग सिखाये जायेंगे, वहां की स्कीमें सिखाई जायेंगी तो उनका दिमाग खप्त हो जायगा, हमारे देश वालों के मस्तिष्क में वह बातें प्रवेश नहीं कर सकेंगी । स्वायत्त सर्वे के परिणाम और मिट्टी के कम्पोजीशन आदि सारी चीजें हर देश में अलग-अलग हुआ करती हैं, इसलिये किसी देश के रिसर्च से हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं हमें अपने देश की सारी परिस्थितियों को नजर में रखते हुये सारा कार्य करना चाहिये और तब ही उनका प्रयोग के अपने यहां की कृषि या अन्य क्षेत्रों पर करना चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, आप यह न मैं समझें कि मैं बिल के बाहर बोल रहा हूं, मैं बिल के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं । लेकिन मैं उस स्कीम का जिक्र कर रहा हूं जिस का फैसला करना इस देश के अन्दर जरूरी है । हमारी थिंकिंग और फिजीकल कन्डीशन्स जो है वह हमारी स्कीम को सफल करने में सहायक होती हैं । इसलिये मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपने विचारों को किसी के ऊपर लादना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि हमें दिमाग की झंखला पर अवश्य जोर देना चाहिये । हमारे देश के पढ़े लिखे लोग अभी उसी खयाली दुनिया में विचार रहे हैं, इससे मुझे दुःख है। किसी देश की नकल करके अपने देश के विकास करने की बात सिम्पली शिलीनेश आफ हिज थिंकिंग है, मैं समझता हूं कि ऐसा सख्श के अन्दर कूड़ा करकट भरा हुआ है । जिस देश के अन्दर, जिस नेशन के अन्दर थिंकिंग आफ दी फ्यूचर खत्म हो जाती है वह देश बर्बाद हो जाता है, विकास का काम ठप हो जाता है । यदि हमने अपने विवेक से काम लिया, उन स्कीमों को, उन विकास कार्यों को लेकर चले जो अपने देश में पनप सकती हैं, जो अपनी आबोहवा, एटीच्यूड क्लाइमेट और तहजीब से मेल खाती हैं तो हमारा देश अपने पुराने समृद्धि अवस्था को प्राप्त हो जायगा और हमारे देश में कृषि व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकेगी और औद्योगिक उन्नति से देश जगमगा उठेगा । वह पुरानी जड़ें रजुवेनेट हो सकेंगी, जिनका स्वप्न हम देखते थे । आशा है मंत्री जी हमारे इस तर्क को स्वीकार करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी) ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से घंटी बज रही है और कोरम नहीं हो रहा है इसलिये आध घंटे के लिये आप सदन स्थगित कर दें और कोरम हो जाय तब काम शुरू हो ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी कोरम हुआ जाता है, दो तीन मिनट ही हुए हैं, माननीय सदस्य भोजन करने गये थे वह आ रहे हैं ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में है। जैसा माननीय तिवारी जी ने बतलाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था कि जिस समय यह विधेयक यहां से पारित हुआ था उस समय यह सदन उस पर कोई अधिक विचार विमर्श नहीं कर सका था और शीघ्रता से इसको पारित कर दिया गया। इसी कारण आज तीन वर्ष के बाद इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ गई। यह इस बात का द्योतक है कि इस विधेयक में और भी बहुत से संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव उपयुक्त है और सरकार को उसे मान लेना चाहिये।

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह बात निश्चित हुई कि मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में वह सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट कौन हैं और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है यहां यह स्पष्टीकरण कर दें। उन्होंने कहा कि उत्तर देते समय इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। जहां तक मैं समझता हूं सामान्य दृष्टि से जितने भी पोलिटैक्निक इंस्टीट्यूट हैं और इसी प्रकार से अन्य टैक्नीकल एजूकेशन प्रोवाइड करने वाले जितने संस्थान हैं, वह सब इसके अन्तर्गत आते हैं। केवल आई० टी० आई० को छोड़कर जिसको लेबर के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ने रखा है लेबर और टैक्नीकल शिक्षा को अलग-अलग करना जब कि दोनों इसके अन्तर्गत ही आते हैं किसी तरह से मुनासिब नहीं मालूम होता है और गवर्नमेन्ट का इन दोनों को अलग-अलग रखना किस प्रयोजन के लिये है यह समझ में नहीं आता है.....

*श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आई० टी० आई० लेबर में आता है, लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है वह इस विधेयक के संशोधन से ताल्लुक रखता है। आई० टी० आई० और पोलिटैक्निक वह संस्थायें हैं जहां पर टैक्नीकल एजूकेशन दी जाती है। केवल इतना कह देना कि आई० टी० आई० लेबर से सम्बन्ध रखता है और इस संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, काफी नहीं है। अगर वह विधेयक इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखता है तो आई० टी० आई० की संस्था से भी सम्बन्ध रखता है चाहे वह लेबर मिनिस्ट्री में आता हो या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आपने इस बिल को देखा होगा। इसमें केवल जो उच्च पाठ्यक्रम टैक्नीकल एजूकेशन का है उसको सम्मिलित करने के लिये और उसे प्राविधिक परिषद् के जुरिस्डिकशन में लाने के लिये परिभाषा में परिवर्तन करने की बात है। उसमें आई० टी० आई० का एक सर्टिफिकेट कोर्स है और यह डिप्लोमा कोर्स है। इसलिये यह प्रश्न वान्छनीय नहीं है।

श्री खेमचन्द—

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विधेयक के विषय में तिवारी जी को समझाया। वास्तव में आई० टी० आई० जो लेबर का है उसके प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा में नाममात्र का अन्तर है। डिप्लोमा जिनको मिलता है वह भी प्रमाण-पत्र होता है और यह लेबर वाला भी प्रमाण-पत्र होता है। इनमें नाममात्र का ही फर्क है।

श्री अधिष्ठाता—

एक डिग्री कोर्स है जो यूनिवर्सिटी देती है और फिर डिप्लोमा है जिसमें ओवरसियर्स का मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होता है और आई० टी० आई० का सर्टिफिकेट होता है टर्नर, मोल्डर इत्यादि का। तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीन चीजें हैं। डिग्री के समकक्ष वह हायर डिप्लोमा लाना चाहते हैं, इसी के लिये यह संशोधन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खेमचन्द —

माननीय, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर हम सर्टिफिकेट की स्थिति से चलते हैं और डिप्लोमा डिग्री तक पहुंचते हैं तो हमारे इस विधेयक में डिग्री का कोई जिक्र नहीं है। हम एक हाइयर डिप्लोमा उसके लिये प्रोवाइड कर रहे हैं। उस आधार पर हायर डिप्लोमा के साथ कुछ बातें इस विधेयक में शामिल की गयी हैं जिन में संशोधन लाया गया है और वह शाब्दिक संशोधन है। उसमें कुछ और बातें सम्मिलित होने की गुंजायश है। इसी में हमारी परिषद् का गठन है। जिस धारा के अन्तर्गत यह किया गया है उसमें भी संशोधन लाये गये हैं। मैं समझता हूं इस परिषद् क गठन पुराने ऐक्ट के अनुसार बड़ा लम्बा चौड़ा है और परिषद् की बाडी बड़ी अनईल्डिग होती है। ४५ सदस्य तो बिलकुल वैसे ही मालूम पड़ते हैं और जनरल प्राविजन ऐसा है जिसके आधार पर जितने सरकारी इंस्टीट्यूट हैं विद्युत संबंधी या टेक्निकल उन सब संस्थानों के एक-एक प्रतिनिधि रखेंगे और प्रदेश के जितने संस्थान हैं उनके एक-एक प्रतिनिधि नामांकित होकर आयेंगे और विधान सभा और विधान परिषद् के ६ सदस्यों को छोड़ कर सब सरकार द्वारा नामांकित होंगे। तो वह संस्था जो अपने कैरिकुलम को निश्चित करे, अपने नियमों को निश्चय करे, इन कोर्सेज के लिये प्रबन्ध के उत्तरदायी मानी जाय उसमें केवल ६ सदस्य निर्वाचित हों और बाकी सब के सब नामजद हों तो उस संस्था का कैरेक्टर क्या है? इस प्रकार की एक मसलाई बाडी को अपना खिलौना बनाकर आप कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकते। उसका तो निर्वाचित आधार पर संगठन होना चाहिये। निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो और नामांकित सदस्यों के द्वारा विशेष टैक्निकल बातों को वहां भेज सकें और उसके कार्यक्रम में सहायता दे सकें तब यह संशोधन लाभकारी हो सकता था। यह इसमें कमी है और अगर इस संशोधन को मा र परिषि बढ़ाने का अधिकार देते हैं तो उस प्रवर समिति में विचार हो सकता है।

श्रीमन्, आपने डिप्लोमा, डिग्री कोर्स की बात स्पष्ट कर दी, लेकिन फिर भी मैं आश्चर्य प्र ट हूं कि आई टी आईज में २-२ साल तक ट्रेनिंग पाकर अपने सर्टिफिकेट को लेकर इधर उधर लड़के अप्लाई करते फिरें और काम न मिले, यह कहां तक उचित है? हमारे डिप्लोमा को कोई संस्था स्वीकार न करे तो ऐसे डिप्लोमा से क्या लाभ? कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये कि आई० टी० आई० तो खैर लेबर के अन्दर हैं, लेकिन जो हायर डिप्लोमाज और डिप्लोमाज हम टेक्निकल शिक्षा के आधार पर देना चाहते हैं वह अपने रोजगार के देने में सक्षम हो सकें। उसमें विलम्ब न लगने दें। इस बात का भी प्राविधान होना इस विधेयक में बहुत आवश्यक है।

माननीय, टैक्निकल एजूकेशन के लिये इस बात की भी आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की एजूकेशन को कहां पर दें। अलग-अलग जिलों की अलग अलग परिस्थितियां हुआ करती हैं। उदाहरण के लिये मेरे जिले में लेदर इन्डस्ट्रीज बहुत अच्छी चलती हैं, वहां इसकी शिक्षा देने की यवस्था होनी चाहिये। लेकिन वहां पर लेदर का डिप्लोमा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ इन्स्टीट्यूट्स चल रहे हैं, वे केवल सार्टिफिकेट ही देते हैं। एक आध जगह हैं जहां पर डिप्लोमा मिलता है। जहां जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज की बहुतायत हो वहां इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये कि वहां उसी का डिप्लोमा मिल सके। मैं समझता हूं कि चर्म उद्योग के द्वारा हमारे देश और प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अभी हाल ही में रूस, पोलड और जरमनी से जितने माल के सप्लाई करने के आर्डर मिले उनका करीब-करीब सारा माल कानपुर और आगरा से ही सप्लाई किया गया। यह दोनों नगर काफी विदेशी मुद्रा को प्राप्त करते हैं। इसलिये आगरा और कानपुर में ऐसे इन्सटीट्यूटस होने चाहिये जहां चर्म उद्योग पर छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें और डिप्लोमा हासिल कर सकें।

एक सुझाव मैं कच्चे माल के संबंध में देना चाहता हूं जो इन इन्स्टीट्यूट्स में दिया जाता है। यहां जो कच्चा माल दिया जाता है उसका काफी पर्सेन्टेज बरबाद चला जाता है।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

यदि हम उस कच्चे माल का पूरी तरह से प्रयोग करने लगे, उससे कुछ वस्तुयें तैयार किया करें तो उससे काफी पैसा प्राप्त हो सकता है और उससे संस्थाओं की आर्थिक क्षमता भी कम नहीं होगी ।

माननीय, इन सबके लिये काफी संशोधन इस विधेयक में करने की आवश्यकता है । कुछ समय बाद सरकार फिर एक संशोधन विधेयक लायेगी । इसलिये माननीय कमल सिंह जी का जो संशोधन है, सरकार को उसे मान लेना चाहिये । १५ दिन बाद भी यह विधेयक फिर आ सकता है । प्रवर समिति में पूरी तरह से इस विधेयक पर विचार हो सकेगा । श्रीमन् सरकार ने विधेयक में जहां परिषद् की अन्य बातों को रखा है, वहां परिषद् के सारे अधिकार एक व्यक्ति में रखे हैं । सरकार अपने नियमों द्वारा जब जिस तरह से चाहे परिषद् को बांध सकती है । वह अपने कैरीकुलम में यदि कुछ विशेष परिवर्तन करना भी चाहे तो नहीं कर सकती । उसको कोई अधिकार नहीं है परिवर्तन करने का । इन सब बातों को देखते हुये जिस प्रकार से हमने यूनिवर्सिटी को आटोनामस बाडी माना है, इंटरमीडियट और हाई स्कूल बोर्ड को सुविधायें देते हैं, उसी प्रकार से हम टैक्निकल शिक्षा परिषद् को भी सही प्रकार से सही अधिकार प्रदान कर सकते हैं । इन सब बातों पर विचार करने के लिये इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भी तकनीकी शिक्षा के विषय में अधिक चिन्तित रहते हैं । वे चाहते हैं कि प्रदेश में इस शिक्षा की अधिक से अधिक वृद्धि हो और अधिक से अधिक शिक्षा बढ़ने पर अधिकाधिक शिक्षार्थी निकलें जिससे प्रदेश में उद्योग और अन्य क्राफ्स में वृद्धि हो सके और हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सके । अगर माननीय मंत्री को इन सब बातों का ध्यान हो तो वे इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजें ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्राविधिक शिक्षा का विधेयक सदन में प्रस्तुत है इसमें जो संशोधन लाये गये हैं, वे कोई बड़े संशोधन नहीं हैं जिनमें यह जरूरत हो कि वे प्रवर समिति में भेजे जायं । इसलिये जितनी जल्दी इस विधेयक पर सदन की स्वीकृति मिल जाय उतनी ही इस दिशा में आगे कार्य करने में सुविधा होगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं कुरील जी से प्रार्थना करूंगा कि जो कठिनाइयां सरकार को हों वे भी कृपया वे बतायें ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुरलीधर कुरील—

मैं यह कह रहा था कि जो यह संशोधन आया हुआ है वह बहुत ही अच्छा है जिसमें धारा ९ में इस प्रकार का संशोधन है कि जिस तरह से हाई स्कूल और इंटरमीडियट बोर्ड के ऐक्ट में प्राविधान है कि कोई लड़का नकल करे अनुशासनहीनता करे या किसी किस्म की ऐसी बात करे जिस से बदअमनी फैलने की आशंका हो तो उसको सरकार किस तरह से कंट्रोल करेगी, उसे किस तरह से दंड दिया जायगा ।

इसी प्रकार से बहुत छोटा सा संशोधन दफा २१ में प्रस्तुत किया गया है । यह ऐसा बड़ा संशोधन नहीं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ।

मुल्क के अन्दर यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसने प्राविधिक इंस्टीट्यूशन को जोड़ा है और हाई स्कूल के नीचे, हाई स्कूल पास, इंटर पास, डिग्री पास, जिस प्रकार का भी विद्यार्थी होता है उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग उनमें दी जाती है । अभी तक इस मुल्क में इस चीज का

[श्री मुरलीधर कुरील]

कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत में इने गिने बहुत थोड़े से इंस्टीट्यूशन्स थे। जैसे कानपुर में टैक्सटाइल और लैदर के इंस्टीट्यूशन्स और एक एच० बी० टी० आई० था जिन में हाईस्कूल के नीचे किसी की गुंजाइश नहीं थी और उनमें संख्या भी लिमिटेड थी। इससे बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही लाभ उठा पाते थे। मुल्क की आवश्यकताओं की पूर्ति वे नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आई० टी० आई० के इंस्टीट्यूशन्स करीब-करीब हर जिले में खुल गये हैं।

लेकिन अब देखने की बात यह है कि जो लड़के ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं उनको किस प्रकार से स्थान मिलते हैं। यद्यपि ट्रेनिंग देने की मंशा यह नहीं है कि सरकार उनको नौकरी भी दे। उसकी मंशा तो यह है कि साधारण लड़कों की तरह ये लोग भी नौकरी की तलाश में इधर उधर न घूमें बल्कि टैक्निकल शिक्षा लेकर वे स्वावलम्बी बनें और देश के उत्पादन को बढ़ावें। लेकिन पता नहीं यह शिक्षा का दोष है अथवा पद्धति का, क्योंकि जो लड़के टैक्निकल शिक्षा लेकर निकलते हैं वे अधिकतर नौकरी की ही तलाश में रहते हैं, इसके लिये एक नियोजन प्लानिंग की आवश्यकता है। इसके लिये एक सर्वे हो और देखा जाय कि किस वर्ग के ट्रेनीज की कितनी जरूरत है और उसमें यह भी देखा जाय कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को, प्राइवेट, कारखाने में नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है और अपने निजी उद्योगों में कितने लोग खप सकते हैं, इन सब चीजों को देखकर टैक्निकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो लोग ट्रेनिंग ले कर अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, उनके पास किन साधनों की कमी है। कौन से उनके पास साधन हों उन साधनों को जुटा दिया जाय तो वह स्वावलम्बी बन सकते हैं। चुनाव करते वक्त ही यह देखना चाहिये और जिन लड़कों को ट्रेनिंग के लिये लिया जाय उनसे पहले से ही जानकारी करनी चाहिये कि कितने लड़के ट्रेनिंग लेकर अपने घर में काम करना चाहते हैं, उनके घर में पहले से कारखाना है या नया कारखाना लगाना चाहते हैं या ट्रेनिंग के बाद किसी और के कारखाने में काम करना चाहते हैं। इस बात की जानकारी चुनाव और दाखिले के पहले ही होनी चाहिये। और उसी के मुताबिक ट्रेड और ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे कि जापान में जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह उन्हें छोटी छोटी मशीनों पर दी जाती है जिन पर वह लोग बाद में अपने घर पर छोटी छोटी मशीन लगाकर काम करते हैं, वह उसी पर ६ घंटे, ८ घंटे काम करके अपनी रोजी कमा लेते हैं और नौकरी से अच्छी स्थिति में वह अपने को पाते हैं। इसी तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब लड़के बाहर निकलते हैं और उनसे कहा जाय कि वह स्वावलम्बी बन कर अपनी रोजी कमायें तो वह छोटी मशीनों पर काम ही नहीं कर सकते। उनको आदतें तो बड़ी मशीनों पर काम करने की पड़ी होती हैं। ट्रेनिंग देते वक्त भी इस बात को देखना होगा कि वह ट्रेनिंग के बाद छोटे छोटे कारखाने लगाने और उनमें काम करने के योग्य हो सकें। इस सम्बन्ध में सरकार को एक सर्वे कराना चाहिये कि किस तरह के कामों में लड़के रुचि रखते हैं, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, कहां तक सरकार उनको आरम्भ में मदद दे सकती है किन ट्रेड्स के कारखाने लगाने आवश्यक हैं और लग सकते हैं तब इस ट्रेनिंग को उसी हिसाब से दी जाय तो उचित होगा। हाई स्कूल पास करने या इंटर पास करने के बाद या डिग्री लेने के बाद लड़के अभी भी बेकार घूमते हैं, बेकारी की समस्या आज सरकार के सामने और उनके सामने आ जाती है। इस तरह से टैक्निकल शिक्षा पाने के बाद भी जो यह लड़के निकल रहे हैं उनके सामने भी आगे चलकर यह समस्या आ सकती है और उस समय दिक्कत हो सकती है।

दूसरे आज एक मनोवृत्ति यह भी देखी जा रही है कि जो लड़के वहां से ट्रेनिंग ले कर निकलते हैं उनको कारखानों के मालिक अपने यहां रखना पसन्द नहीं करते। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों है। हो सकता है कि यह लोग जो ट्रेनिंग ले कर जाते हैं यह उनके यहां जाकर वैसा काम नहीं करते जैसा कि लेबर या मजदूर करते हैं या वह उस तरह से काम करने में कुछ अप्रतिष्ठा समझते हों और उनकी ऐसी प्रवृत्ति मिल मालिकों को पसन्द न आती हो। यह भी हो सकता है

और वह उनको थोड़े दिन बाद हटा देते हैं। मतलब यह है कि कारखानों में यह लड़के खप नहीं पा रहे हैं और बिना पढ़े-लिखे लोगों को ही मिल मालिक काम में लगाते हैं और उनको ही स्थायी करते हैं और उन्हीं को हमेशा काम देते रहते हैं। इस प्रवृत्ति का अध्ययन करके इसको रोकना चाहिये कि क्यों ऐसी बात पैदा हो रही है और क्यों टैक्निकली शिक्षित लोगों को कारखानों में काम नहीं मिलता? जो आपत्ति मिल मालिकों की तरफ से आये उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिये। अगर लड़कों की तरफ से कोई खामी है तो उसको भी दूर करना चाहिये। कारखानेदारों से बात करके इस समस्या का अध्ययन करके हल निकालना चाहिये। इस तरह से वह लोग काम पर लगने लगेंगे वर्ना वह लोग बेकार ही रह जायंगे। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में हो सकता है कि यह तमाम बातें न आ सकें लेकिन इसके अन्तर्गत जो नियम बनाये जायें उनमें इन तमाम आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिये तभी आप टैक्निकल शिक्षा के उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। बेकारी भी कम हो जायेगी और आप उनको स्वावलम्बी बना सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश प्राविधिक संशोधन विधेयक, १९६६, जब सदन में प्रस्तुत हुआ तो मुझे यह लगा कि माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से १९६२ में प्राविधिक शिक्षा विधेयक जल्दी में पास करा लिया था उसी प्रकार से यह चाहते हैं कि बहुत जल्दी से इसे भी पास करा लें। जो संशोधन विधेयक यहां पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें तीन बातें निकल रही हैं, पहली बात यह कि आपने डिप्लोमा की डैफिनिशन को बदल दिया है। जो ५ साल का कोर्स था उनको भी मान्यता प्रदान कर दी है। आपके आर्ट और कला के जो विद्यालय हैं और जहां पर विद्यार्थी ५ साल तक पढ़ते थे, उनके डिप्लोमा की मान्यता नहीं थी। आपने केन्द्रीय स्तर पर उनको मान्यता प्रदान कर दी है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक द्वारा माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि जो परीक्षा का बोर्ड है उसको व्यापक अधिकार नहीं है, उनको और अधिक अधिकार दे दें।

तीसरी बात यह है कि जिस तरह से इंटरमीडियट बोर्ड आफ एजूकेशन को एमर्जेन्सी पावर्स हैं उसी तरह से टेक्निकल बोर्ड को भी आप एमर्जेन्सी पावर देना चाहते हैं ताकि लड़के उनको न मारें पीटें। अगर आपकी यही मंशा थी तो इतनी बातों के लिये आपने यह संशोधन विधेयक लाकर व्यर्थ में इस सदन का समय नष्ट किया है। आपको तो प्राविधिक शिक्षा को और बढ़ाना चाहिये था ताकि देश व प्रदेश इंडस्ट्री में उन्नति कर सके। चाहिये तो आपको यह था कि आप देखते कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और लगभग यहां पर ७० प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उनका सहयोगी उद्योग बढ़े, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने टेक्निकल ऐजूकेशन को व्यापक बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस उपेक्षा से काम किया वह मैं समझता हूं, एक कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात नहीं है। यदि आपको इस बात का दावा है कि कांग्रेस का शासन एक कल्याणकारी शासन है तो मैं कहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा भी आप हमारे प्रदेश की जो टेक्निकल एजूकेशन है, उसके साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा वास्तव में यह होती कि प्रदेश को इंडस्ट्रिलाइज करना है, यहां की जनता की आर्थिक स्थिति को संभालना है तो हमको ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हर जिले में खोलने चाहिये, जहां पर टेक्निकल एजूकेशन लोग प्राप्त कर सकें और टेक्निकल एजूकेशन लेकर उद्योगों का संचालन करें और प्रदेश और देश का उत्पादन बढ़े, देश और प्रदेश की उन्नति हो; लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने संशोधन लाने का निश्चय किया था तो क्या आपके सामने हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का चित्र और औद्योगीकरण की दयनीय स्थिति का चित्र आपके सामने नहीं था? क्या आपने इस दिशा में कोई विचार नहीं किया था? अगर आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विपिनबिहारी तिवारी]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक अधिनियम, १९६२ के अधिनियम बनने के समय से उसकी कार्य प्रणाली में कुछ कठिनाइयां राज्य सरकार की जानकारी में आई हैं। वास्तव में क्या-क्या कठिनाइयां आयी हैं, उनको तो आपने नहीं बताया है। जो इस संशोधन विधेयक लाने का आपका उद्देश्य था वह तो आपने स्पष्ट नहीं किया। हुआ यह है कि जब केन्द्रीय सरकार ने यह समझा कि जो डिप्लोमा है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार मान्यता नहीं दे रही है, तो आपने यह सोचा कि अब केन्द्रीय सरकार को खुश करना है, एक संशोधन विधेयक ले आये। यह आपकी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। जब आपने यह बिल पेश किया था उस समय आपने यह नहीं सोचा था। यह तो जब आपको सलाह दी गयी तभी आपने सोचा कि ऐसा विधेयक लाना चाहिये। तभी आपने अधिकारों को देने की बात भी सोची कि इस बोर्ड को भी ऐसे अधिकार दे दें। इंटरमीडियेट बोर्ड की तरह से भी आपने इनको एमर्जेन्सी पावर्स से सम्पन्न कर दिया है। अगर इतने कारणों से आप सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें। लेकिन वास्तव में अगर आप इस प्रदेश के अन्दर टेक्निकल एजूकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके सारे पहलुओं पर विचार करते कि कहां-कहां पर साधन हैं, कहां-कहां कच्चे माल पैदा होते हैं और कहां-कहां टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं, किन-किन जगहों पर कच्चे माल को उत्पादन के रूप में पैदा कर सकते हैं। इन सारी चीजों को देखकर अगर आप इंस्टीट्यूशन खोलते तो मैं समझता हूं कि वास्तव में आप हमारे प्रदेश की रक्षा कर सकते थे और यहां के लोगों की अच्छी सहायता कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे सीतापुर में एक वीविंग स्कूल था जहां हमारे अंसार भाइयों के बच्चे बुनाई का काम सीखते थे। सीतापुर में बहुत से अंसार हैं जो कपड़े की बुनाई करके अपना काम चलाते हैं, वहां दरियां बहुत अच्छी बुनी जाती हैं। दरियां सीतापुर की बहुत मशहूर हैं और यही कारण है कि अंग्रेजों ने वहां वीविंग स्कूल खोला था। सीतापुर में अंसारों के बच्चे अपने घरों में रात-दिन खट-खट किया करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इस प्रदेश की सरकार ने उस वीविंग स्कूल को बन्द कर दिया। जो सुविधायें इस स्कूल के अन्दर जनता को कपड़ा बुनने की कला के लिये थीं, सरकार ने अपनी योजना सामने रख कर वहां के लोगों को इस कला से वंचित कर दिया। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण होंगे जहां कि अगर कोई अपने पैत्रिक पेशे का विकास चाहता है तो उसमें भी आपकी तरफ से रुकावट डाली जाती है। मिथ्या कल्पना के आधार पर आपकी सारी योजनायें चल रही हैं जिससे हर एक की सुख-शान्ति में बाधा पड़ रही है।

इसलिये मैं विनम्र शब्दों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप एक बार फिर उत्तर प्रदेश की औद्योगीकरण की नीतियों पर विचार कीजिये और औद्योगीकरण को सामने रख कर के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कहां-कहां हो सकते हैं, इसका विचार कीजिये। यदि आपने यह विचार किया होता तो मैं समझता हूं कि इधर के लोग भी आज आपके इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी थोड़ी-सी मामूली बातों को लेकर के आप इस संशोधन विधेयक को लाये हैं, जब कि आवश्यकता थी कि इसके ऊपर व्यापक रूप से विचार किया जाता। इसलिये जो माननीय कमला सिंह जी का प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं।

उधर के लोग यह सोचते हैं कि चाहे कोई भी विधेयक हो उसे इधर से प्रवर समिति में भेजने की बात कही जाती है, जैसा कि माननीय मुकन्दी लाल जी ने कहा कि श्री कमलासिंह को तो इस तरह की एक आदत सी पड़ गयी है। इसमें आदत की बात नहीं है, यह तो हमारा अधिकार है। इसका जो व्यापक क्षेत्र है, उसकी तरफ अगर हम अपका ध्यान नहीं आकर्षित करते हैं तो लोकतंत्र की जो रचना है उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा नहीं करते हैं यह जो छोटा सा संशोधन विधेयक है वह पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं जो सरकार ५ वर्ष के कोर्स को मान्यता प्रदान करने जा रही है, और उनको डिप्लोमा हूं जाने

रही है, मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि सरकार बोर्ड को इमर्जेन्सी पावर देने जा रही है ताकि परीक्षा के समय विद्यार्थी लोग किसी तरह की गड़बड़ी न कर सकें।

बोर्ड को जो आप व्यापक अधिकार देने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या आप का यह संशोधन विधेयक पूर्ण है? और क्या आगे फिर इसमें कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ? क्या इन तीन संशोधनों से जो आज प्रदेश में औद्योगीकरण और टैक्निकल ऐजूकेशन की कमियां हैं वे पूरी हो जायेंगी ? मैं बड़े अदब से इस बात को कहना चाहता हूं कि आपने जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं उसके आधार पर भी अगर आप संशोधन विधेयक लाते तो वे सारी चीजें जो आज टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के सामने पेश हैं, उन सारी कठिनाइयों का हल होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उधर आपका लक्ष्य नहीं है। ऐसा करने में आप अपने को मजबूर पा रहे हैं, आप इस में चेंज क्यों नहीं ला रहे हैं ? आप देखिये आज की वह शिक्षा है विश्वविद्यालय की, इंटरमीडियेट बोर्ड की जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी पास होते हैं और बेकार हैं। शिक्षित समुदाय बेकार पड़ा हुआ है। आज अगर उनको टेक्निकल ऐजूकेशन मिल जाय तो वह अपना जीवनयापन कर सकते हैं। लेकिन कितना रुपया, आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि जितना रुपया आप उस शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं जहां पर लोग निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिये। जो शिक्षा हमें किसी दिशा में नहीं ले जा रही है उस शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस शिक्षा से प्रदेश के अन्दर सुख, समृद्धि बढ़ने वाली है उसकी ओर कितना आपका ध्यान है इस पर तुलनात्मक दृष्टि से सोचें। आप कैबिनेट के मंत्री हैं, आप अपनी बात को जोरदार शब्दों में पेश कीजिये। हो सकता है कि आपका बहुमत न हो, लेकिन प्रदेश की आवश्यकता को तो जोरदार शब्दों में रखिये और अगर उस प्रकार का विधेयक लाये होते तो मैं समझता कि आप अवश्य जनता का भला करते। यह टैक्निकल विभाग जो आपके जिम्मे है यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है ! प्रदेश के लोग जो टैक्निकल रूप में गांव-गांव के अन्दर मौजूद हैं कुम्हार और लोहार आदि वे सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं, उनके बच्चों के अन्दर जो पैत्रिक रूप में गुण पैदा किये हैं वे भी आपकी ओर देख रहे हैं। उनके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है? इसलिये मैं मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संशोधन विधेयक को व्यापक बनायें और एक सीमित दृष्टिकोण लेकर न चलिये। यह जो आप संशोधन विधेयक लाये हैं यह बहुत संकीर्ण है। इसकी काफी व्यापकता है और इसलिये आवश्यक है कि यह प्रवर समिति में जाय और उन सारे पहलुओं पर जिनकी आज तक उपेक्षा की गई है उन पर विचार किया जाय और फिर ओवर आल सब पहलुओं को छूता हुआ ऐसा संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जाय जिससे यहां की जनता की समृद्धि बढ़े, उनके लड़कों की टैक्निकल एजूकेशन बढ़े और भावी प्रदेश जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं उसका सुन्दर चित्र हमें दिखाई पड़े। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे प्रवर समिति में अवश्य भेजें और वहां इस पर व्यापक रूप से विचार किया जाय।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—

श्रीमन्, जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में हुये व्याख्यानों को सुना। असल में मेरे दोस्त जो गलती कर रहे हैं वह यह है कि सरकार ने जिस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को पेश किया है उसको नहीं समझ रहे हैं। उस संशोधन में और उसके उद्देश्यों में यह कहीं पर सरकार का दावा नहीं है कि वह एक ऐसा कांप्रीहेंसिव ऐक्ट लायी है जो सारे यू० पी० में हर उद्योग, और कला के लिये और हर छोटे-मोटे धंधों पर लागू हो सकता है और सारे फील्ड को कवर कर सकेगा। कोई सरकार अगर आल कांप्रीहेंसिव ऐक्ट इंडस्ट्रीज कला और छोटा-मोटा धंधा जो देहातों में रायज हैं, अगर इनके ऊपर कोई ऐक्ट लाती है तो काफी टाइम लग जायगा और इसके लिये जिस समिति का निर्माण होगा वह और ही होगा जो कि मेरे दोस्त यहां पर लाना चाहते हैं उससे इसका काम कभी नहीं चल सकेगा। और अगर ऐसी कोई समिति सरकार ने बनायी भी इस प्रयोजन के हेतु तो उसमें सालों लग जायंगे। सरकार

[श्री नौरंग लाल]

का यह उद्देश्य नहीं है। सरकार, जहां तक मेरा खयाल है, यह जरूर महसूस करती है, जो मेरे दोस्तों ने कहा अगर कोई भी सरकार हो जरूर उसे ऐसा महसूस करना चाहिए। लेकिन हर सरकार पर प्रतिबन्ध होते हैं सीमा और साधनों के। सीमा और साधन हैं तो सरकार इसे देखेगी और करेगी। ऐसे विशाल काम के लिए विशाल धन की आवश्यकता होती है। देश में कहत पड़ रहा है। सीमायें हमारी घिरी हुई हैं। इस संबंध में जिस विशाल धन की आवश्यकता होगी वह हमारे पास है भी नहीं तो यह जरा मुश्किल बात है। फिर जो उद्देश्य हमारे दोस्त समझ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न तो यह सरकार यह संशोधन बिल लाई है, न सरकार का यह दावा है। सरकार का दावा केवल है डिप्लोमा कोर्स को संगठित करना, उसको सुचालित करना और इसकी सीमाओं को बढ़ा देना। लेजिस्लेशन दो तरह के होते हैं। एक तो फंडामेंटल तरीके के होते हैं और उनमें काफी टाइम लगता है। एक अमेंडिंग होता है। वक्तन-फ-वक्तन जो त्रुटियां नजर आती हैं उनके हिसाब से स्वयं अमेंडमेंट होते रहते हैं। ऐसे संशोधन सरकार न करे और इस बात का इन्तजार करे कि जब काम्प्रीहेंसिव बिल आयेगा उसमें यह संशोधन होगा तो छोटी-मोटी प्रक्रियायें कभी पूरी नहीं हो सकतीं। इसके लिए बड़ा इन्तजार करना पड़ेगा। अब सेंट्रल ने सुझाव दिया कि जो फाइन आर्ट है, कलायें हैं सरकार इनको डिप्लोमा कोर्स में शामिल कर ले तो सरकार ने इसमें क्या बुराई की। इसमें यह कहने की क्या बात है कि हमारी सरकार को नहीं सूझा। जिस वक्त भी आया सरकार ने उसे कबूल कर लिया और इसके लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो हमको सरकार को मुबारकबाद देना चाहिए कि लगे हाथों दो-तीन चीजें और जोड़ दीं। कम समय में जितना संशोधन हो सकता था सरकार ने कर दिया। इसलिए बहुत ज्यादा बहस न करते हुए और काम्प्रीहेंसिव बिल को लाने के नजरिए को न रखते हुये इसी पर हमको विचार करना चाहिए और जो भी अपने सुझाव इस संबंध में हों उनको सरकार को देना चाहिए। सरकार के सामने जो काम्प्रिहेंसिव बिल का सुझाव दिया गया है उस सुझाव का स्वागत सरकार को करना चाहिए, लेकिन इस समय उसे प्रेस नहीं करना चाहिए। बड़ी चीज बाद में देखी जा सकती है और उसके इन्तजार में अगर छोटी चीज भी हम खो दें तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी। लिहाजा इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिए और इसी के अन्दर जो संशोधन हो सकते हैं उनको देना कर चाहिए और मुझे आशा है कि मंत्री जी उनको अवश्य मानेंगे। इस अमेंडमेंट के संबंध में मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं और मैं वहीं तक सीमित रहूंगा जहां तक इसका संबंध है।

पहला सुझाव यह है कि कल आई० टी० आई० का सेलेक्शन हुआ था बरेली में मैं उसमें बैठा हुआ था तो ऐसा महसूस हुआ कि जितने विद्यार्थी आए हुए थे वे इतना शोर मचा रहे थे कि उससे हमारे दिल में बड़ी परेशानी हुई। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यद्यपि वह आई० टी० आई० के लिए था और इस सीमा में वह चीज नहीं आती है लेकिन डिप्लोमा और आई० टी० आई० में जहां तक अनुशासन का संबंध है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जब कोई विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा में शामिल हो तो उसके लिए यह लाजिमी हो जाय कि वह किसी रेस्पांसिबिल आदमी से एक सर्टिफिकेट लाए कि वह मिसबिहेव नहीं करेगा और अगर करे तो जिस आदमी ने सर्टिफिकेट दिया है वह जिम्मेदार होगा। मैंने वहां के प्रिंसिपल और मेंबरों से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज अत्यन्त आवश्यक है। जो लड़का इस तरह का सर्टिफिकेट न लाए उसको दाखिल न किया जाय क्योंकि अगर वह लड़का गड़बड़ करता है तो फिलहाल तो आपके पास कोई साधन नहीं है। आपने जो पेनल क्लाज बनाये हैं वह केवल इम्तहान से संबंधित है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि इस तरह का वह कोई सर्टिफिकेट जरूर लाए। फिर भी अगर वह गड़बड़ करता है तो उस आदमी को लिखा जाय कि आपका वार्ड गड़बड़ कर रहा है, आप उसको सुधारें और अगर नहीं सुधारेंगे तो हम उसको स्कूल से निकाल देंगे। इसका एक डेटरेंट एफेक्ट रहेगा उस लड़के पर और अनुशासन को ज्यादा खराब होने से हम रोक सकेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ड्यूरिंग दि पीरियड आफ एजूकेशन प्रिंसिपल को यह अधिकार होना चाहिए कि हर लड़के के बिहेवियर के बारे में वह कुछ अपनी ओपीनियन रखे और अगर वह समझता है कि कोई लड़ता मिसबिहेव करता है थ्रू आउट दि होल इयर तो प्रिंसिपल को अधिकार होना चाहिए कि वह उस लड़के को इम्तहान में बैठने की इजाजत न दे या स्कूल से निकाल दे। प्रिंसिपल की रिपोर्ट बोर्ड के पास जाय और वह उस पर विचार करे और अगर बोर्ड चाहे तो उस लड़के को भी बुला ले। अगर सरकार चाहती है कि जो प्रिंसिपल हो उसके हाथ में कुछ शक्ति रहे तो उसके लिए यह अधिकार देना अत्यन्त आवश्यक है। इसके विपरीत में एक व्यू और रखना चाहता हूं और वह यह कि जहां पर हम यह रखें कि प्रिंसिपल अगर कोई लड़का मिसबिहेव करता है तो उनको इम्तहान में शामिल न होने दे वहां अगर कोई लड़का गुड बिहेव करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल की यह रेकमेन्डेशन होनी चाहिए कि वह नम्बर बढ़ा सके। जहां तक अंक काटे जा सकते हैं वहां बढ़ा भी सकते हैं उससे जो बुरा लड़का होगा वह डरेगा और जो अच्छा लड़का होगा उसको एन्करेजमेंट मिलेगा। इस तरह से जो अनुशासनहीनता है उस में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। यह मेरा सजेशन उन लड़कों के लिए है जो आई० टी० आई० में पढ़ते हैं या डिप्लोमा कोर्सेस में पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर एक प्रश्न उठा था और मैं भी उससे सहमत हूं और समझता हूं कि उसमें हमें संशोधन कर देना चाहिए। वह प्रश्न यह था कि जो लड़का डिप्लोमा लेकर निकलता है या किसी आई० टी० आई० से कोई कोर्स पास करके निकलता है उसको संसार में मारा-मारा न फिरना पड़े। उसको कोई न कोई जाब मिल जानी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लड़के इन स्कूलों से निकलने के बाद मारे-मारे फिरते हैं। डिप्लोमा कोर्स करने वाले तो इतने ज्यादा लड़के मारे-मारे नहीं फिरते हैं। उनको कहीं न कहीं जगह मिल जाती है। लेकिन आई० टी० आई० से जो लड़के निकलते हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। इनके लिए कोई न कोई जाब मिलना ही चाहिए। इनको फौरी इम्दाद की जानी चाहिए।

इस संबंध में एक मेरा सुझाव यह है कि जिस रीजन में इंडस्ट्री लगी हुई है या आगे लगती हैं तो उस रीजन में उसी इंडस्ट्रीज से संबंधित कोर्सेज के लड़कों को एडमिट करना चाहिए। जैसे हमारे यहां बरेली में २, ३ इंडस्ट्रीज चल रही हैं। अब तो रबर कंपनी भी खुल गई है इसलिए यहां जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं ट्रेड्स में लड़कों को एडमीशन मिलना चाहिए जिससे कोर्स पास करने के बाद लड़कों को मारे-मारे न फिरना पड़े। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो शिकायत माननीय सदस्यों को है कि उनको जगह नहीं मिलती है और मारे-मारे फिरना पड़ता है, वह बहुत हद तक दूर हो सकती है।

एक सजेशन मेरा और यह है कि जो लड़के आई० टी० आई० से कोई ट्रेड पास करके निकलते हैं और और उनको यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है और वे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कायम करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में यह होना चाहिए कि उन लड़कों को लोन्स मिलना चाहिए जो बिना सूद के कुछ इंसटालमेंट्स में उनसे वापस ले लिया जाय या उनको कुछ सरकारी सहायता प्रदान की जावे। उनको सरकारी अधिकारियों द्वारा एडवाइस और गाइडेंस भी मिलनी चाहिए। यदि यह २, ४ बातें कर दी जायेंगी तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए, प्रांत के लिए और जनता के लिए भी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव श्री कमलासिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसलिए करता हूं कि आजकल प्राविधिक शिक्षा की कितनी बड़ी आवश्यकता है इस खयाल से यह रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम है और मंत्री जी को गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। टेक्निकल एजूकेशन का अपना एक महत्व है और इस क्षेत्र में हम कितना पीछे हैं दुनिया के नक्शे पर, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आप देखें तो पता चलेगा कि ३ पंचवर्षीय योजनाओं में कितने कुशेल कारीगर, कितने टेक्निशियन, कितने इंजीनियर्स और दूसरे लोगों को जो प्राविधिक शिक्षा

[श्री ऊदल]

के माध्यम से हम को पैदा करने चाहिए थे, हमने पैदा नहीं किए। इस आवश्यकता को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके ऊपर ठंडे दिल से और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और यह अति आवश्यक भी है। और आज कितने लोगों की आवश्यकता हमारे देश में है इस सब पर विचार किया जाय। मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का, सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है कि व्यापक पैमाने पर इस पर विचार किया जाय। आवश्यकता इस बात की महसूस हो रही है कि इस पहलू पर व्यापक तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, किसी भी देश का औद्योगीकरण इस बात पर निर्भर है कि उस देश में कितने कुशल कारीगर हैं, कितने इंजीनियर्स और कितने प्राविधिक शिक्षा पाए हुए लोग हैं। इसी बात के ऊपर वह देख सकता है कि उसका औद्योगीकरण किस हद तक होगा और इस बात पर यह भी निर्भर करता है कि उस देश में प्राप्त कच्चे सामान का कहां तक अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है। और उससे कहां तक अच्छा अच्छा सामान तैयार होकर दूसरे देशों में निर्यात हो सकता है जिससे अपने देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। मैं समझता हूं कि इस दिशा में जो कुछ २० वर्षों में हुआ है उससे मंत्री जी भी संतुष्ट नहीं हैं और इस प्रदेश और देश के लोगों को भी संतोष नहीं है।

यह संशोधन विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है यह सचमुच में है बहुत छोटा, लेकिन इसमें एक चीज साफ लिखी है कि सरकार का दृष्टिकोण जो एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए वह सरकार का दृष्टिकोण इस संशोधन विधेयक में संकुचित दृष्टिकोण मालूम पड़ता है और यह भी मालूम पड़ता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है और उन अधिकारों के द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद् को कंट्रोल करना चाहती है और एक अपना रोब और दबदबा उसके ऊपर कायम करना चाहती है। जिस समय अभी माननीय मुरलीधर कुरील जी बोल रहे थे, उसके पहले का जो क्लाज था उसमें परिषद् के सदस्य होने के संबंध में और कुछ कार्यवाही करने के संबंध में जैसा कि संशोधन में कहा गया है कि यह जो शुरू में आप देखें कि एक तो डिप्लोमा देने का सवाल है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी का कहना है कि केंद्रीय सरकार ने उनका ध्यान खींचा, इसलिए संशोधन विधेयक लाना पड़ा। दूसरा इसमें जो संशोधन है, उसे आप देखें। मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखने की बात है —

"(३) उपधारा (१) और (२) में किसी बाद के होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी आपाती दशा में जिसके कारण उसकी राय में तत्कालीन कार्यवाही करना आवश्यक हो, परिषद् को पहले अभिदिष्ट किए बिना इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से संगत ऐसे कोई निदेश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।"

यह अधिकार पहले नहीं था। पहले था कि "राज्य सरकार परिषद् या उनके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से संबंध रखने वाले किसी काम में अपने विचार परिषद् को प्रेक्षित कर सकती है। परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके संबंध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो।" लेकिन अब सरकार अपने हाथ में सारे अधिकार ले लेना चाहती है और परिषद् को बिना सूचना दिए ही जो उचित समझे वह करना चाहती है। इस प्रकार जो प्रजातांत्रिक रुख अब तक था उसको छोड़कर वह तानाशाही मनोवृत्ति की ओर जाना चाहती है, यह मुनासिब नहीं है और फिर परिषद् के अन्दर तो सारे सरकारी लोग ही हैं सिर्फ छः सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् के छोड़कर, सारी बाडी उन्हीं की नामिनेटेड है, विभागाध्यक्ष है या सरकार द्वारा नामिनेटेड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। लेकिन उनके ऊपर भी सरकार का विश्वास नहीं है और सरकार अपने हाथ में सारे का सारा अधिकार ले लेना चाहती है। इसके बाद भी इसको मासूम विधेयक कहा जाता है। यह मासूम नहीं है बल्कि इसके द्वारा परिषद् के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

एक बात और, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा आई० टी० आई० और आई० टी० सी० इस तरह की जो शिक्षायें दी जाती हैं डेढ़ साल की, वह भी टेक्निकल एजूकेशन है। अभी आपके आसन पर माननीय रामायण राय जी आसीन थे, उन्होंने इसकी व्याख्या की कि यह इसके अन्तर्गत नहीं आता, उनको डिप्लोमा न देकर सर्टीफिकेट दिया जाता है इसलिए इसमें नहीं आता। श्रीमन्, यह व्याख्या मेरी समझ में नहीं आयी। इस देश में और बाहर भी जहां मुझे जाने का मौका मिला है मैंने देखा है यह टेक्निकल ट्रेनिंग है और यह कुशल कारीगर पैदा करती है जिसक साधारण आदमी नहीं कर सकता, बिना ट्रेनिंग लिये हुए व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन इस विधेयक द्वारा इस परिषद् को भी इससे अलग रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि चाहे उसक ट्रेनिंग डेढ़ साल की हो और चाहे तीन साल की हो, चाहे वह टेक्निकल ट्रेनिंग के नाम से और चाहे वह डिप्लोमा कोर्स की हो जितनी भी प्रांत में टेक्निकल ट्रेनिंग की एजूकेशन है वह सब इसके अन्तर्गत आना चाहिए। आई० टी० आई० या आई० टी० सी० को लेबर के अन्तर्गत अलग रखा जा रहा है उसको भी इसके अन्तर्गत आना चाहिए यह मेरी गुजारिश है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि टेक्निकल एजूकेशन के बारे में जितनी भी प्रांत के अन्दर संस्थाएं हैं वह सब इसके अन्तर्गत लाई जायं। बनारस, नैनीताल और गोरखपुर में जो टेक्निकल एजूकेशन की संस्थाएं चल रही हैं वह सब इसके अन्दर लाई जायं। इसलिए इस तरह से एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक सोचे। एक ही एजेंसी के माध्यम से उसका, सारा कार्य होना चाहिए।

मान्यवर, आज टेक्निकल एजूकेशन के विषय में दिक्कत यह है कि बहुत से टेक्निकल संस्थाओं में जो उनके प्रिंसिपल हैं वह नान-टेक्निकल हैं। कितने ही इन्स्ट्रक्टर ऐसे हैं जो ट्रेड नहीं हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जो टेक्निकल एजूकेशन आप बच्चों को दे रहे हैं उसके प्रिंसिपल अगर नान-टेक्निकल हैं तो उन बच्चों की शिक्षा किस तरह से होती होगी। इसके ऊपर सरकार को विचार करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा के बारे में एक व्यापक सर्वे इस परिषद् के माध्यम से करा लें तो बहुत लाभ इस प्रदेश का हो सकता है। हम तो यह चाहते हैं कि प्राविधिक लोगों की एक कमेटी बनाई जाय। मैं नान-आफिशियल की बात नहीं करता, आप अपने विभाग के तीन वरिष्ठ व्यक्तियों की कमेटी बना दें जो टेक्निकल एजूकेशन के दक्ष हों। वह सारे टेक्निकल एजूकेशन की सूबे में जांच कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से टेक्निकल कालेज ऐसे हैं जहां पर आज भी मशीन नहीं है। बहुत से आई० टी० आई० में इमारत नहीं है। जो साज-सज्जा होनी चाहिए वह उनके पास नहीं है। बहुत ही जगह प्रिंसिपल नान-टेक्निकल हैं। बहुत से इन्सट्रक्टर अनट्रेंड हैं। इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पर विचार होना चाहिए। इन बातों पर पूर्णरूप से विचार हो जाय तो प्रदेश का बहुत भला हो सकता है। दूसरी दिक्कत यह है कि जब मशीन नहीं है, अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं और नान-टेक्निकल प्रिंसिपल हैं तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां शिक्षा कैसी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप इन सब बातों पर विचार करें।

आपके पोलिटेक्निक और आई० टी० आई० से जो लड़के निकलते हैं उनको अपरेंटिसशिप दी जाती है। आप गौर करें, ये अपरेंटिस की सीटें बढ़नी चाहिए; क्योंकि जो ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं अगर उनके लिए आप अपरेंटिस की जगहें प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आप उनको कुशल कारीगर नहीं बना सकते। इसमें भी एक तो प्राइवेट उद्योगधंधे हैं और एक सरकारी हैं, जैसे कि बिजली है और सरकार की प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री है, उसमें अपरेंटिस रखे जाते हैं, लेकिन जगहें बहुत कम हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि आज महंगाई के युग में अपरेंटिस करने वाले व्यक्तियों को ५०–६० रुपया स्टाइपेंड आप देते हैं जब कि नान-टेक्निकल हैंड्स को आप ७५ रुपया स्टाइपेंड देते हैं। अब जो लड़के नासिक, बंबई, जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार या बनारस में अपरेंटिस में रखे जायं वह ५० रुपये में कैसे गुजारा चला सकते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे ३ मिनट और दे दीजिए।

[श्री ऊदल]

तो इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है कि उनको उचित स्टाइपेंड दिया जाय। साथ ही मुझे पूरे-पूरे फिगर्स तो नहीं मालूम हैं, लेकिन कुशल कारीगरों की आवश्यकता हमारे देश में अब तक कई लाख की हो गयी है, और अभी तक जो हम पैदा कर रहे हैं एक साल में वह हमारा खयाल यह है कि पूरे देश में ८० हजार के फिगर्स हैं—हो सकता है कुछ गलती हो। और सरकार को कुशल कारीगरों को पैदा करने के लिए जितने पालिटेक्निक हैं, जितने आई० टी० आईज० हैं उनमें बड़ी मुश्किल से २५ फीसदी लोगों को स्कालरशिप दी जाती है और वह भी २०—२५ रुपया। मंत्री जी की अलग आई० टी० सी० खुलती है बख्शी के तालाब और गोरखपुर में.....(व्यवधान) खैर, ३५ रुपया देते हैं।

श्री बनारसी दास—

इसके अलावा जो शेडयूल्ड कास्ट्स को मिलता है वह २५ परसेंट में शामिल नहीं है।

श्री ऊदल—

मैं आपकी की ही बात कह रहा हूं, गलत नहीं कहूंगा। माननीय बनारसीदास जी का कहना है कि शेडयूल्ड कास्टस के सब लड़कों को दिया जाता है। मैं एग्री करता हूं। मगर मेरा निवेदन यह है कि जो आप देते रहे अब तक—२५ रुपया मैदानी इलाके में और ३५ रुपया पहाड़ी इलाके में— यह बहुत कम है, उनके गुजारे लायक नहीं है। इसलिए सरकार को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्रों को, आई० टी० आई०, पोलिटेक्निक सब को स्टाइपेंड मिले और सब लड़कों को मिले, उचित मिले।

एक निवेदन, मान्यवर, और है। यह आई० टी० आई० व आई० टी० सी० में जो विद्यार्थी लिए जाते हैं उनमें हरिजन छात्रों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहां १८ प्रतिशत सीटें इनके लिए सुरक्षित रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और यह मांग करता हूं कि एक व्यापक विधेयक इस संबंध में सदन में पेश किया जाय।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन पेश किया गया है मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है। इस संशोधन में १५ दिन के अन्दर रिपोर्ट देने के लिए समिति को कहा गया है। १५ दिन के अन्दर, जितनी बातें यहां कही गयी हैं, उन सब पर गौर करना समिति के लिए कठिन होगा। बहुत मुखतसिर में कहा गया कि इस प्रवर समिति में भेज दिया जाय, लेकिन जो बहस हुई और उसमें जितनी बातों को कहा गया वह इतनी लम्बी चौड़ी हैं कि महज अगर उनकी एक फेहरिश्त बनायी जाय तो वह बहुत लम्बी चौड़ी होगी। यह कहा गया कि सारे प्रदेश के संबंध में यह जानकारी करायी जाय कि कहां-कहां पर कौन-कौन से उद्योग पनप सकते हैं, कहां नहीं, यह काम ऐसा है जिसमें बहुत समय लगेगा। प्रवर समिति अपने १५ दिन के समय में इस विषय पर विचार नहीं कर सकती। टेक्निकल एजूकेशन के लिए उसकी शिक्षा का अगर स्कोप बढ़ाया जाता है तो इस बात की जरूरत है कि हमारे सूबे में ऐसी एजूकेशन दी जाय जिससे हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण और आगे बढ़े। इस प्रश्न पर यकीनन हमें विचार करना पड़ेगा। हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम इस ओर कदम बढ़ायें और ऐसा नक्शा बनायें जिससे यह प्रदेश आगे बढ़े।

श्रीमन्, इस विधेयक में जो संशोधन किया गया है वह ऐसा नहीं है कि प्रवर समिति में उस पर विचार करने की जरूरत हो। सन् ६२ में हमने एक टेक्निकल एजूकेशन के सिलसिले में विधेयक पास किया था और एक बोर्ड को कायम करने की बात स्वीकार की थी। इन ४ सालों में जो दिक्कतें पेश आयीं उन्हीं को दूर करने के लिए सरकार यह विधेयक लायी है और कुछ संशोधन सदन के सामने रखे गये हैं। उनको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है।

सारी बातें जो इस विधेयक में विचार करने के संबंध में हैं वे महज इस रेजोल्यूशन के ऊपर हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसके ऊपर सारा वक्त लगा दें इसे मैं कोई बड़ी मुनासिब बात नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूं कि उन कठिनाइयों को देखते हुए जो उन तरमीमे दिक्कतों को दूर करते हैं, टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड के काम के सिलसिले में, वे रख दें। अगर उसके सिलसिले में कोई बड़ी तस्वीर हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं तो माननीय ऊदल का जो सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कोई आफिशियल या नान-आफिशियल मेम्बर्स की कमेटी बना दें जो इस पूरे सवाल को कि किस तरह से औद्योगीकरण हो सके विचार करे कि क्या अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए टेक्नीकल एजूकेशन चलाना मुनासिब है या एक ही डिपार्टमेंट के जरिए; यकीनन हमारी टेक्निकल एजूकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारा मुल्क टेक्नालाजी, साइन्स और इंडस्ट्रियलाईजेशन के मैदान में आगे बढ़ सके। इसके लिए चार छः महीने का वक्त चाहिए तो इस संबंध में पूरी रिपोर्ट रक्खी जा सकती है। माननीय सदस्यों ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन है उसके विषय में कुछ अजीबोगरीब कहा कि इस चार साल के अरसे में सरकार को महसूस हुआ कि संशोधन लाये। मैं ऐसा समझता हूं कि चूंकि इंसान की अक्ल नाकिस है, और उसकी बुद्धि पूरे तौर पर कामिल नहीं है, इसलिए हमेशा यह जरूरत पड़ेगी कि जो तरीका हमने बनाया है या जो ऐक्ट हमने बनाया है, कुछ अरसे बाद हम उसमें खामियां पायेंगे उसको बरतने के बाद, और उनको दूर करने की जरूरत पड़ेगी। मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव करने वालों से पूछना चाहता हूं कि इस चार साल के अरसे में टेक्निकल एजूकेशन के संबंध में जो ऐक्ट बना है इसमें अगर ये खामियां हैं तो उसमें नान-आफिशियल रिजोल्यूशन के जरिए कोई कोशिश उन खामियों को दूर करने की किसी भी माननीय सदस्य ने क्यों नहीं की है कि इसमें ये खामियां और कमजोरियां हैं और उनको सरकार दूर करे। मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव दिये गए होते तो यकीनन सरकार उनको देखती। मैं इसलिए मुनासिब समझता हूं कि हमको इस मामले को बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतनी बात देख रहे हैं कि यह विधेयक सन् ६२ में पास किया गया था और जिस ऐक्ट के आधार पर यह बोर्ड बना उसके सामने कठिनाइयां आईं, कुछ ऐसी डिसिप्लिन संबंधी या जो एमरजेंसी के समय में होती हैं, या कुछ ऐसे अख्तियारात जो बोर्ड के लिए जरूरी है, उसका प्राविजन किया गया है। मैं समझता हूं यह बड़ी बुद्धिमता की बात है कि यदि हाउस अपने वक्त का एक लहमा भी और न जाया करे यह सोचने के लिए कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय सदस्य यह बता दें कि कौन-कौन-सी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से यह विधेयक लाया गया है?

श्री जियाउर्रहमान—

मैं तो यह चाहता था कि बहुत मुख्तसिर सी बात कह दूं। मैं नहीं समझता था कि माननीय सदस्यों ने आब्जेक्टस एन्ड रीजन्स न पढ़े होंगे, जिनकी वजह ही से उनको ये दिक्कतें महसूस हो रही हैं। अगर वह ऐसा करते तो मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य को यह सवाल करने की जरूरत ही न महसूस हुई होती। मैं इसकी तफसीलात में जाकर बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार को देखना चाहिये कि कुछ अर्से बाद हमको यह न महसूस होने लगे कि हमारी टैक्नीकल एजूकेशन भी वैसी ही है जैसी नान-टैक्निकल एजूकेशन है। बुनियादी तौर पर यह जहनीयत बनी हुई है कि सिवाय नौकरी के और कोई चीज या रास्ता पढ़े-लिखे लोगों को नहीं दिखलाई देता है। अगर टेक्निकल एजूकेशन के बाद भी लोग मुंहताज रहें, चन्द सरकारी या प्राइवेट कारखानों में नौकरी करें तो मैं समझता हूं कि अगर टेक्निकल लोगों की भी वही हालत हो गई जो कि बी० ए० पास वगैरह की आज है, तो ऐसी टेक्निकल एजूकेशन महज बेकार होगी। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी जो सुझाव आये हैं उन पर बिचार करेंगे। जिन माननीय सदस्य ने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है मैं

[श्री जियाउर्रहमान]

उनसे निवेदन करता हूं कि वह उसे वापिस ले लें। माननीय ऊदल जी का सुझाव बड़ा अच्छा है कि टेक्निकल एजूकेशन के मसले पर विचार करने के लिये कोई ऐसी कमेटी बनाई जाय जो चाहे आफीशल हो या नान-आफीशल, यह देखे कि कैसी टैक्निकल एजूकेशन बच्चों को दी जाय, मौजूदा टैक्नीकल एजूकेशन में क्या कमियां हैं, वे कैसे दूर की जा सकती हैं। इन सब बातों पर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे।

इन अल्फाज के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता के भाषण की मान-टेक्निकलिटी ही एक विशेषता थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने विधेयक को पढ़ा ही नहीं और इसलिये जो भी स्वीपिंग रिमार्क्स किसी बिल के बारे में दिये जा सकते हैं वे देखने के लिये खड़े हो गये।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में जो दो बातें बताई हैं उनमें से दूसरी के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। पहली बात तो यह बताई गई है कि केन्द्रीय सरकार ने २ सुझाव दिये। एक तो यह कि संपूर्ण भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय डिप्लोमा है जिसे केन्द्रीय सरकार जारी करती है उसके समान डिप्लोमा और उससे ऊपर के कोर्स चलाये जावें और पाठयक्रम में समानता हो जाय। दूसरा सुझाव यह है कि कला को भी इसमें शामिल किया जाय। जहां तक पहले सुझाव का सवाल है उसकी पूर्ति की दिशा में इस बिल में कदम उठाये गये हैं, परन्तु कला के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री ने उन दो सुझावों को इसमें समाविष्ट तो कर दिया परन्तु दूसरे की पूर्ति के लिये कोई कदम या तो वह चाहते नहीं हैं या भूल गये हैं। इसलिये मैंने संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव रखा था कि इस विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां अच्छी तरह से विचार होकर इसकी त्रुटियां दूर की जा सकें तब यह विधेयक सदन में आवे। हम लोग इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हैं, अन्यथा तो आप जानते हैं कि प्रवर समिति का प्रस्ताव ऐसा नहीं होता। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे सुझाव को मान लें और १५ दिन में ठीक से छान-बीन करके दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से जो धारायें इसमें लाई जा सकें उन्हें लाया जाय। हमारे गवर्नमेन्ट कालेज आफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स में भी इस तरह का एक डिप्लोमा होना चाहिए। वह भी यूनिवर्सिटी के समान बढ़ाया जाया जा सकता है और हमारी टैक्निकल बोर्ड से सम्बद्ध किया जा सकता है। इसी तरह से गायन, वादन और नृत्य कला के लिये जितनी भी यहां टैक्निकल बातें रखी गई हैं और केन्द्रीय सरकार की ओर से सुझाव दिये गये हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ललित कलाओं को भी इसमें लाना चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि १९६२ में प्राविधिक शिक्षा विधेयक लाया गया। उसमें कुछ कठिनाइयां माननीय मंत्री जी को अनुभव हुई होंगी, जैसे कि परीक्षा के संचालन में दोषी परीक्षार्थियों को दन्ड देना था और इसी तरह का कुछ छोटी मोटी कठिनाइयां जो आई हों उन्हें भी इस विधेयक से प्रवर समिति में दूर किया जा सकता है।

इसी तरह से, टैक्निकल बोर्ड में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से ६ को छोड़कर बाकी सब गवर्नमेन्ट के द्वारा नाम-निर्दिष्ट हैं। सन् १९६२ के अधिनियम में लिखा है कि परिषद् के निम्न-लिखित सदस्य होंगे। उनमें १ से लेकर २४ तक हैं और धारा ५ में यह है कि नाम-निर्दिष्ट होंगे। मैं उन्हें पढ़कर अधिक समय नहीं लूंगा। मोटे तौर से निवेदन करना चाहता हूं इस बोर्ड के सभापति नाम-निर्दिष्ट, उप सभापति नाम-निर्दिष्ट, और यहां तक कि अन्त में २४ वां निरर्थक रख दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति। उनके बारे में यह भी नहीं कहा गया कि वे किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। इन दो व्यक्तियों को तो कम से कम कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके लिये यह भी नहीं कहा गया कि ये टैक्नीकल एजूकेशन के लोग होंगे या किस प्रकार के होंगे। श्रीमन्, उप सभापति भी नान टैक्निकल रख सकते हैं और सभापति

भी नान टेक्निकल रखेंगे और दो आदमी नाम निर्दिष्ट रखने का ऊल-जलूल तरीका, अपनी संख्या बढ़ाये और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के अतिरिक्त और क्या है और इसलिये इस पर बिचार करने के लिये हमने यह प्रवर समिति का सुझाव आपके सामने रखा है। इसी प्रकार देखें कि राज्य सरकार के उद्योग और विद्युत विभाग के दो व्यक्ति, विधान सभा के चार और विधान परिषद् के दो सदस्य इसमें होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश से ६७ तक तो कोई विरोधी दल का सदस्य जा नहीं सकता। इसी प्रकार से परिषद के १०८ सदस्य हैं और उसमें भी कोई प्रबल विरोधी दल नहीं है। उसके भी विरोधी सदस्य होना इसमें संभव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से भी नहीं हो पायेगा, जब चुनाव होगा तो आप देख लीजियेगा। इस तरह से उन्हीं का बहुमत रहेगा। अगर आप धारा ४ को संशोधित करने का प्रस्ताव लाते और उसको प्रजातंत्रकारी बनाने की कोशिश करते जिससे लोगों को इसमें विश्वास बढ़ता तो अच्छी बात थी। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आई० टी० आई० को तो मंत्रालय से संबद्ध कर रखा है और यह पोलीटेक्निक दूसरे विभाग से संबद्ध कर रखे हैं। श्रीमन्, आई० टी० आई०, जी० टी० आई० और जी० टी० एस० यह तीन प्रकार के कोर्स हैं और ये सब टेक्निकल कोर्स हैं। आई० टी० आई० में भी आप ८ या १० क्लास पास लोग लेते हैं इसलिये इन सब को एक साथ ही कर देना चाहिये, एक ही परिषद् के माध्यम से इनका कोर्स चलाया जाना चाहिये और इसका एक ही बोर्ड होना चाहिये यह मेरा सुझाव है। जो प्राविधिक शिक्षा परिषद् बनी है। इस बिल के अन्दर उसके अधीन ही हम तीनों कोर्सों को कर दें जिससे उस आई० टी० आई० की कुछ महत्ता बढ़ जाय और उससे टेक्निकल लोग, इसे अच्छी तरह से देख सकेंगे और कोर्स प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार इन ट्रेनिंगों के लिये चुनाव होता है वह तो मैं बाद में बतलाऊंगा लेकिन आई० टी० आई० के चुनाव की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। बरेली में इसके लिये एक समिति है जिसमें एक प्रधानाचार्य को छोड़कर सभी नान-टेक्निकल आदमी हैं। प्रधानाचार्य इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं और उसके चेयरमैन हैं श्री नवलकिशोर जी। पता नहीं किस इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा लिया है। इसमें एक सदस्य हैं श्री कृष्णलाल आनन्द। उनकी विशेषता यह है कि वह श्री राममूर्ति जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या कांग्रेस के मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है। एक श्री शिव नारायण जी हैं जो दर्जा ७ तक पढ़े हुए हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ उनकी एक आटा चक्की है और आटा चक्की की वहां कोई ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। उनका कभी किसी शिक्षा संस्था से कोई संबंध नहीं रहा है। यह इस बात को बताता है कि नाम निर्देशित व्यक्तियों को किस प्रकार रखा जाता है। इससे यह भी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इन आई० टी० आई० में कैसे लोगों को भर्ती किया जाता होगा। इस प्रकार जो वजीफा देने वाली कमेटी है उसमें भी इसी प्रकार के लोगों को रखा जाता है।

जहां तक डिप्लोमा कोर्स की बात है उसके प्राविधिक बोर्ड ने कुछ योग्यता रखी है उसमें हाईस्कूल प्रथम श्रेणी को प्राथमिकता दी जायगी, ऐसा रखा है। लेकिन आपके प्राविधिक विद्यालयों के प्रिन्सिपलों को बुलाकर पूछ लीजिये उनका कहना यह है कि हाई स्कूल पास चाहे वह प्रथम श्रेणी का ही क्यों न हो, उसको डिप्लोमा की पढ़ाई में दिक्कत होती है और उनमेंसे बहुत से २–२, ३–३ साल फेल होते हैं। इसलिये उसकी कम से कम योग्यता इन्टर रख दी जाय जिससे अधिक विद्यार्थी फेल न हों तथा पास हो जाने के बाद जहां वे नौकरी करते हैं, उनके साथ न्याय कर सकें और इस प्रकार देश के साथ भी न्याय कर सकें।

श्रीमन्, मैंने डाक्टर सीताराम जी को बरेली वुड वर्क्स इन्स्टीट्यूट के बारे में निबन्ध के तौर पर लिख कर एक सलाह दी थी। मैंने लिखा था कि आज उत्तर प्रदेश में वुड वर्क्स के

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

कोई पोस्ट डिप्लोमा कोर्स नहीं है इसलिये बरेली वुड वर्कस इन्स्टीट्यूट को लेकर वहां पर बुडवर्क्स का एक डिग्री कोर्स खोल दिया जाय। क्योंकि वहां पर पूरी साज सज्जा मौजूद है, वहां लेक्चरार भी मौजूद हैं, जमीन भी बहुत पड़ी हुई है। इस प्रकार का एक इन्स्टीटयूशन लन्दन में है। इससे हमारे देश को बहुत लाभ होगा। इसलिये मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी बरेली बुड वर्क्स को लेकर वहां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज काष्ठ कला में खोल दें। काष्ठ कला का विश्वविद्यालय बरेली में आसानी से खोला जा सकता है। लगभग ७०-८० लाख की संपत्ति वहां है।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रातःकाल से कई बार माननीय कमला सिंह जी ने माननीय मंत्री जी तथा अन्य सदस्यों से यह आग्रह किया कि वे यह बतायें कि कौन सी कठिनाई को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। हालांकि जिस समय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया उस समय उन्होंने उन कठिनाइयों की ओर भी इशारा कर दिया था जिनके चलते इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। इतने पर भी उनका बार-बार यह आग्रह था कि वह कौन सी कठिनाइयां थीं जिनके परिहार के लिये बिल लाया गया है। मैं उनकी सेवा में पुनः निवेदन करूंगा कि सब से पहली कठिनाई यह थी कि केन्द्रीय सरकार ने हमारी परिषद् को यह कहा कि कला में भी तुम उच्च स्तर की परीक्षा लो, लेकिन जो परिभाषा डिप्लोमा की दी गई थी उसके अन्तर्गत उस आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता था। इस लिये डिप्लोमा की परिभाषा कुछ व्यापक की गई है।

दूसरी बात यह थी कि विश्वविद्यालयों को यह अधिकार इस सदन ने दिया है कि परीक्षाओं के समय जो विद्यार्थी अनुशासनहीनता करते हैं या परीक्षकों के कार्य सम्पादन में कोई बाधा उपस्थित करते हैं तो उन्हें लोकसेवक के अधिकार प्राप्त होंगे। यह चीज महसूस की गई कि प्राविधिक परिषद् के भी परीक्षकों को वही अधिकार होने चाहिये जो हाई स्कूल, इन्टर और विश्वविद्यालय के परीक्षकों को हैं। इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण भी अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इसमें एक प्रतिनिधि ईस्टर्न कमान्ड का हुआ करता था, लेकिन अब यहां का क्षेत्र सेन्ट्रल कमान्ड में आ गया है, कमान्ड शिफ्ट होते रहते हैं इसलिये अब एक संशोधन यह किया गया है कि जिस किसी कमान्ड का कार्यालय राज्य में अवस्थित होगा उसका एक प्रतिनिधि हुआ करेगा।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें आपने टेक्निकल आदमियों को नहीं रखा। यदि उन्होंने ध्यान दिया होता तो उनको ज्ञात होता कि यह ५ ऐसे विद्यालयों के एक-एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करने वाले हैं जिनमें प्राविधिक शिक्षा होती होगी और साथ ही साथ उसमें उस मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि होगा जिसमें प्राविधिक शिक्षा होगी। वह सारी आवश्यकतायें ऐसी थीं कि जिनके लिये यह बिल लाया गया। अनुशासनहीनता को रोकने के लिये बहुत से प्रभावकारी कदम उठाये गये, लेकिन फिर भी वह बढ़ रही है। कुछ नये प्रयोग मन्त्री जी करने जा रहे हैं टेक्निकल एजूकेशन के फील्ड में, और वह प्रयोग यह है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में अनुशासनहीनता में पकड़ा जायगा तो उसके कुछ अंकों को घटाने का अधिकार परीक्षक को होगा। सम्भव है कि इस भय के कारण कम से कम परीक्षा के दिनों में जैसी अनुशासनहीनता होती है, हरसाल एक न एक परीक्षक घायल किया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, इस प्रकार की दुखद घटनायें शायद आगे न हों या कम हों। इन प्राविधानों के चलते मैं समझता था कि माननीय कमला सिंह मंत्री जी को बधाई देंगे। लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही था, आई० टी० आई० में क्या होता है, उसकी कमेटी कैसे बनती है, वजीफे कैसे दिये जाते हैं और न जाने क्या क्या कहा गया। मैं समझता हूं कि यह सारे विषय आज जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिधि से कतई बाहर हैं, इसकी परिधि में जो मुख्य मुख्य २–३ बातें हैं उन बातों के समावेश के बाद में समझता हूं कि प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य पहले की अपेक्षा सुचारु रूप से चलेगा। यह भी कहा गया कि कला शब्द का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन नाट्य कला, संगीत कला इस सम्बन्ध में यहां प्राविधान कहां किया गया। मेरा निवेदन है कि यह एक संशोधन विधेयक है, मूल विधेयक नहीं है। यह तो संकेत किया था कि व्याख्या देने के लिये हम डिप्लोमा के अन्दर किन नये विषयों को शामिल करना चाहते हैं। यदि यह संकेत औरों की समझ में न आता तो बात थी, लेकिन यदि माननीय कमला सिंह जी की समझ में नहीं आया तो बड़ा खेद का विषय है और उसके लिये मैं क्या कह सकता हूं।

अन्त में मैं एक सुझाव के संबंध में माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करता चाहता हूं। एक सज्जन का यह कहना था कि टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ाने के लिये वहां पर जो प्राध्यापक या अध्यापक काम करते हैं उनका वेतन बढ़ना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि रिफ्रेशर कोर्स का एक सुझाव है। वह इसलिये आवश्यक है ताकि जो अध्यापक वहां पर पढ़ाते हैं उन्हें नये अनुसन्धानों का ज्ञान हो सके और साथ ही साथ मान्यवर, सचमुच में मेरी अपनी छोटी राय में भी इन विद्यालयों में काम करने वाले इंजीनियरों की तनख्वाह यदि अन्य विभागों के समान भी हो तब भी उत्साहवर्धक नहीं है। श्रीमन्, इसके कारण प्रत्यक्ष हैं जिनकी चर्चा यहां पर मैं नहीं करना चाहता। यदि इतनी ही तनख्वाह पी० डब्लू० डी० और इरीगेशन में मिले तो वह वहां पर जाना पसन्द करता है, इसको हम, माननीय कमला सिंह और सभी सदस्य जानते हैं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो केवल इतना है कि इनकी उन्नति का दरवाजा एक जगह पर जाकर बन्द हो जाता है। ये प्रिन्सिपल से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी राय में सेवाकाल जितना अधिक बढ़ता जाता है यदि पद में कोई उन्नति न हो तो उनके पुरस्कार में वृद्धि अवश्य होनी चाहिये यदि इन शिक्षकों को आप चाहते हैं कि और दिलचस्पी से काम करें।

*श्री कमला सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने काफी प्रकाश इस विधेयक पर डाला है। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है हमें बड़ा अफसोस होता है कि यह परिषद् जो एक तरह से सरकारी कमेटी है या जिसमें तीन चौथाई सदस्य सरकारी अफसर हों या सरकार द्वारा नौमिनेटेड व्यक्ति हों इसके बाद भी इसके कार्य का संचालन न हो और सरकारको अधिकार दिया जाय कि सरकार जब चाहे तो परिषद के संचालन को खुद करा सकती है। मैं तो तब इस को मानता यदि जनतांत्रिक विचार धाराओं से यह परिषद् बनती। लोगों के नुमाइन्दे एलेक्शन से आते और उसके बाद कोई गड़बड़ी होती तो उस वक्त सरकार को अधिकार देना चाहिये था कि वह परिषद् को निलम्बित करके अपने हाथ में ले ले और वह सारी कार्यवाही करे। मैं समझता हूं कि टेक्निकल का मतलब यह नहीं है कि जितने निदेशक हर डिपार्टमेन्ट के हैं, या मुख्य अभियन्ता हैं, या कमान्डर इन चीफ ईस्टर्न कमान्ड के हैं या जिसका हेड क्वार्टर हमारे उत्तर प्रदेश में हो, ऐसे लोगों को उसमें रखा जाय। मैं यह ठीक नहीं समझता कि यह सरकारी कमेटी हो, और जितने निदेशक वगैरह हैं, मुख्य अभियन्ता हैं, जिनसे संबंधित यह परिषद् है वे लोग इसके मेम्बर हों और उस वक्त भी आप इस परिषद् को न चला सकें और उस वक्त आपको विशेष अधिकार की जरूरत पड़ सके तो यह कोई धन्यवाद देने की चीज नहीं होगी। मैं तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि नामिनेशन की बात जो उन्होंने रखी है वह जनतांत्रिक नहीं है। ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि चुने हुए सदस्य ही इसके मेम्बर हों तो ज्यादा अच्छा है। आपकी आसानी के लिये या परिषद् को सलाह देने के लिये अगर एक्सपर्ट रखने की जरूरत हो तो उस वक्त ऐसे एक्सपर्ट्स रख लिये जाय तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

परिषद् बन रही है, मैं समझता हूं कि यह जनतांत्रिक नहीं है। सिर्फ यह सरकारी कमेटी है और उस सरकारी कमेटी के रहते हुए भी काम ठीक तरीके से न चल सके तो यह अफसोस की बात

दूसरी बात यह है कि इसमें एक संशोधन ऐसा लाया गया है जो नहीं किया जाना चाहिये था। इसमें "विद्युत" की जगह शब्द 'वित्त' रख दिया गया है जो अंग्रेजी से हिन्दी करने की वजह से गलती हो गयी है। श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास की रूप-रेखा का जहां तक सवाल है, इसमें यह दिया गया है कि "अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये भारतीय आदर्श के अनुसार प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिये बढ़ती हुई प्राविधिक शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप देने हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना सन् १९६१-६२ में हुई। उस समय विद्युत विभाग द्वारा संचालित सभी माध्यमिक शिक्षालय औद्योगिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कर दिये गये। ऐसी गलती अंग्रेजी के ट्रांसलेशन की वजह से हो गयी और जो हिन्दी में है बिलकुल उल्टा छप गया है। उधर से बराबर कमेन्ट किया गया कि हम लोग इसके आदी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इसकी स्वयं आदी हो गयी है। अभी माननीय मुकन्दी लाल जी कह रहे थे कि हम बराबर विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के आदी हो गये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की गलती करने की आदी सरकार ही हो गयी है। अगर इसका अनुवाद हिन्दी से अंग्रेजी में होता तो ज्यादा अच्छा होता। अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने से इस तरह की गलती बराबर होती आ रही है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि इस पर वे रोक लगावें ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न होने पावें।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जो प्राविधिक शिक्षा संस्थायें हैं उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग को लेकर जब आदमी निकलता है उसके बाद उसके लिये कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वह नौकरी की तलाश करे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिये कि जो आदमी जिस ट्रेड में ऐक्सपर्ट हो वह अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी पेशे में जाना चाहे तो उस ट्रेड को चलाने की क्षमता उसमें होनी चाहिये और इसलिये सरकार को कोई ऐसे इन्सेंटिव्स देने चाहिये जिनसे वह ट्रेड चला सके और उद्योग की बढ़ोत्तरी हो। देखा यह जा रहा है कि उद्योग विभाग से जो लोन दिया जा रहा है वह सब बेकार जा रहा है। हमारे यहां तो यह है कि १० परसेंट इंस्पेक्टर लेता है और उसके बाद जो चाहे उद्योग आप ले लीजिये और लेने के बाद कोई नहीं देखता कि वह उद्योग चल रहा है कि नहीं। आटे की चक्की के लिये १०, १५ हजार रुपया ले लेते हैं; नतीजा यह है कि एक चक्की रख दी और एक बोरा चावल रख दिया गया, और उस रुपये से दूसरा काम हो रहा है। या तो लोग कांट्रेक्टर हैं या दूसरे कामों में लगा देते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से रुपये की बरबादी न करके जो टेक्नीशियन्स प्रशिक्षण पाने के बाद निकलते हैं उनको यह रुपया दिया जाय ताकि वे लोग रुपया उद्योग में लगायें और सफल और बढ़िया उद्योग प्रदेश के अन्दर कायम कर सकें। अगर यह व्यवस्था मंत्री जी करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा। नाम-देखी लोगों आदमियों के हाथ में रुपया देकर देश का हित नहीं होगा।

माननीय रामायण राय जी ने कहा कि इस ऐक्ट के अन्दर एक व्यवस्था की गई है; इन्जामिनेशन के सम्बन्ध में डिप्लोमा की जो परिभाषा की गई है वह व्यापक नहीं है। इसलिये वह चीज कार्यान्वित नहीं हो सकी। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी प्राविधिक संस्थायें हैं एक भी मिसाल माननीय रामायण राय जी ने नहीं दी कि कौन सी प्राविधिक शिक्षा संस्थायें हैं जिनमें ऐसी बात आयी। एक मिसाल नहीं दे सके।

श्री रामायण राय—
सैकड़ों केसेज पेंडिंग हैं।

श्री कमला सिंह यादव---

मैं एक मिसाल चाहता हूं ताकि जान जाऊं कि क्या बात है, और इसी को मैंने बार बार दोहराया। लेकिन अफसोस की बात है माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसमें लिखा है और तमाम सदस्यों ने भी यही कहा। मैं तो जानकारी करना चाहता हूं कि किस तरीके से दिक्कत सरकार को आयी, उसी तरीके पर संशोधन लाया जाय। लेकिन अगर सरकार के पेट में ही वह चीज है और हम को जानकारी नहीं कराना चाहते तो दुर्भाग्य है कि हम लोगों को कानून बनाने को दिया जा रहा है लेकिन उस कानून का आधार हम को नहीं बताया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कठिनाई आयी जिसके लिये यह संशोधन किया जा रहा है।

डिप्लोमा की जो परिभाषा है अगर ओरिजिनल ऐक्ट को देखें और जो नई लायी जा रही है उसको देखें तो मैं समझता हूं कि यह दावा बेकार है क्योंकि डिप्लोमा किस तरीके का हो, आज डिप्लोमा को इस तरह परिभाषित कर देते। डिप्लोमा के बारे में जो मूल ऐक्ट में परिभाषा दी हुई है और जो एडीशन संशोधन ऐक्ट में किया गया है उन दोनों को अगर देखा जाय तो यह पता चलेगा कि नये संशोधन बिल में डिप्लोमा की परिभाषा सीमित कर दी गयी है। जब कोई डिप्लोमा प्राप्त करता है तो उसके अन्तर्गत सभी चीजें आ जाती हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके अन्तर्गत नहीं आती है। अब नये संशोधन के अनुसार अगर कोई डिप्लोमा छूट गया तो हम इसमें उसे इंक्लूड नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम इसको सीमित किये दे रहे हैं। इसलिये हमेशा डेफिनीशन वाइड होनी चाहिये ताकि सब चीजें उसमें कवर हो जायं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सीमित डेफिनीशन की परिभाषा की जा रही है और कितने तरह के डिप्लोमा उत्तर प्रदेश में होते हैं उनको गिनती तो मैं नहीं करा सकता लेकिन यह निश्चित है कि बहुत किस्म के डिप्लोमा इसके अंतर्गत नहीं आते। अगर छूट गये तो फिर उनको इंक्लूड करने के सवाल पर दिक्कत आयेगी। अगर डिप्लोमा के सम्बन्ध में कोई भी गड़बड़ी आई थी तो मंत्री जी उस बात को सदन के सामने रखते ताकि हमको भी जानकारी हो जाती कि किस वजह से डिप्लोमा में ऐसी गड़बड़ी हुई। वह बात नहीं आई है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि डिप्लोमा की परिभाषा को व्यापक करने की कोशिश करें, सीमित न करें।

माननीय रामायण राय जी ने एक बात बहुत जोर से कही। वह यह कि अनुशासनहीनता आज बढ़ती जा रही है। उसको रोकने के लिये सरकार प्रयत्न करना चाहती है। इस विधेयक के अन्दर जो धारायें दी गयी हैं, जिस तरह से इसमें संशोधन लाया जा रहा है वह बहुत आश्चर्यजनक है। डबल पेनाल्टी कहीं नहीं होती। कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी यह चीज नहीं मानी गयी है। एक कार्य के लिये, एक गलती के लिये दो दो सजायें नहीं दी जा सकतीं। धारा १३ (२) में मूल ऐक्ट के अनुसार किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से हटा भी सकते हैं अथवा रोक भी सकते हैं, लेकिन नये संशोधन के अनुसार उसके अंक भी काट सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यह कहां का न्याय है? अगर अनुशासन के लिये मंत्री जी ने २०-२५ नम्बर रखे होते तो २५ में १० या २० देते, लेकिन अनुशासनहीनता के लिये अंक काटने के लिये बात उस वक्त आ सकती है जब उसके लिये नम्बर हों वरना काटे कैसे जा सकते हैं? दूसरे परिषद् को क्या अख्तियार है काटने का? परिषद् तो केवल निदेश दे सकता है अगर किसी आदमी ने नकल किया है। मैं नकल करने की मिसाल इसलिये दे रहा हूं क्योंकि नकल करने वाले के नम्बर काटने का अधिकार एग्जामिनर को है। लेकिन परिषद् न तो एग्जामिनर है और न प्रोमोशन का सवाल है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि वह बिलकुल निकम्मा है।

एक चीज और पनिशमेंट के बारे में रखी है। [illegible] के बारे में जो पहले प्रस्तुत किया गया था वह अपनी जगह पर सही था। लेकिन यह [illegible] गया है धारा १८६ में सजा कराने का वह ठीक नहीं है। जो खंड (१) है [illegible] पब्लिक सर्वेन्ट आपने डिक्लेयर कर दिया। तो मंत्री जी को यह चाहिये था कि कोई [illegible] पब्लिक सर्वेन्ट सम्बन्धी अपराधी हो कागनिजेबल हो जाय। लेकिन यहां तो उसके बारे में एक नयी धारा जोड़ी

[श्री कमलासिंह यादव]

जा रही है। दूसरे, जो आदमी मारता पीटता है तो ३३२ धारा आ जाती है और उसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है। तो जब तीन साल तक की सजा करा सकते हैं उस जगह तीन महीने की व्यवस्था करना अच्छी चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन के समय यह कहते कि सारे आफेन्सेज काग्निजेबिल होंगे। दूसरे जब थाने में रिपोर्ट हो जाती है उसी वक्त पुलिस इन्वेस्टीगेशन शुरू कर देती। इसलिये १८६ के चक्कर में न पड़ें बल्कि जितने भी अपराध हों इसके सम्बन्ध में उन सबको कागनिजेबल कर दें तो अच्छा होगा।

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमला सिंह यादव—

क्या इसमें भी कोई समय है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसके लिये केवल ७० मिनट रह गये हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

एक बात की जानकारी चाहता था। संशोधन विधेयक में एक शब्द आया है "डिप्लोमोत्तर"; इतना तो यह तय है कि शंकरवर्ण है यह शब्द लेकिन विलोमशंकर है या प्रतिलोमशंकर है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब जैसा है वैसा है। अगर हिन्दी को अच्छा बनाना है तो ऐसे शब्द लाने पड़ेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में पहले काफी कह चुका हूं इसलिये अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता। दो महत्वपूर्ण बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इन ट्रेनिंग सेंटर्स से लड़के जब निकलते हैं तो उनके सामने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग का सवाल आता है और जब तक अप्रेंटिसशिप नहीं की जाती तब तक उनको जगह नहीं मिल सकती है। इसलिये ट्रेनिंग की व्यवस्था की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिये। गवर्नमेंट के जो उद्योग चल रहे हैं उनमें गवर्नमेंट को सीट्स बढ़ानी चाहिये और लड़कों को अप्रेंटिसशिप के लिये उनमें लेना चाहिये या जो प्रोइवेट उद्योग हैं जहां सरकार की तरफ से व्यवस्था है वहां पर भी सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। जब तक अप्रेंटिसशिप नहीं करते तब तक जगह नहीं मिलती है। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। ट्रेनिंग करने के बाद लड़कों को जगह गवर्नमेंट को दिलानी चाहिये। इसके लिये सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस लड़के के ऊपर हजारों रुपये खर्च करके ट्रेनिंग दते हैं उसको काम पर लगाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। उनके लिये लोन देने की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिये जिससे ट्रेनिंग के बाद लड़के बेकार न रहें। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में मंत्री जी लाये हैं उसका विस्तार करके जो माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उसके अनुसार इसकी परिधि बढ़ानी चाहिये जिससे जो बातें छूट गई हैं वे भी इसमें शामिल हो सकें और विस्तृत रूप से विधेयक लाया जा सके और छात्रों की समस्या दूर हो सके।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब सवा चार घंटे से इस सदन के माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का मौका मुझे मिला है। इधर से भी और उधर से भी बहुत से सुझाव हमारे सामने आये और जो बातें माननीय कमला सिंह जी ने रखी हैं अगर उन सबका पूर्ण रूपेण विवेचन किया जाय तो अधिक समय की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्यों ने जोर डाला कि यह विधेयक बहुत संक्षिप्त विधेयक है और इसको पूर्णरूपेण विधेयक के रूप में लाना चाहिये।

साथ ही साथ यह भी बात कही गई कि १९६२ में जब इस देश के ऊपर चीन का आक्रमण था और चीन के खिलाफ वातावरण था उस समय यह विधेयक जल्दी में पारित हुआ था। जल्दी की बात नहीं, विधेयक पारित हुआ इस सदन से, उसके बाद जिन कठिनाइयों का मैंने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में जिक्र करने का प्रयास किया था, उस सम्बन्ध में उधर के कई माननीय सदस्यों ने अपनी विचारधारा को रखा।

जहां तक औद्योगिक पालिसी की बात है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना उचित समझता हूं कि यू० पी० गवर्नमेंट फोर्थ फाइव इयर प्लान में करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करने जा रही है, जिसमें से करीब ४०० करोड़ रुपये पावर प्रोडक्शन पर खर्च होंगे। यह कहना कि गवर्नमेंट की कोई नीति नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। गवर्नमेंट की प्रापर नीति है और उसके अन्तर्गत गवर्नमेंट काम कर रही है। आपको इस प्रदेश में ३३ पालिटेक्निक स्कूल्स हैं और १३ इंजीनियरिंग कालेज है। इन संस्थाओं के रहते हुए भी ४६५४ डिग्री ग्रेजुएट्स की फोर्थ प्लान में जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार पांचवें प्लान में इस्टीमेटेड ग्रेजुएट्स की जो तादाद होगी वह करीब ९००० होगी। इसी तरह से पालिटेक्निक से जो पढ़ कर डिप्लोमा होल्डर्स निकलेंगे उनकी आवश्यकता जो होगी उनकी संख्या जो होगी वह करीब २३,००० होगी। इस सदन में कहा गया कि सरकार की नीति तीनों योजनाओं में स्पष्ट नहीं रही। उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार की टेक्निकल एजूकेशन के बारे में सभी योजनाओं में नीति अच्छी रही है और प्रगति की ओर रही है।

फर्स्ट फाइव इयर प्लान में एक करोड़ १२ लाख रुपये खर्च किये गये थे, जिसमें २ डिग्री कालेजेज थे और उनमें १८० छात्र प्रति वर्ष लिये जाते थे। इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर्स स्कूलों की संख्या ९ थी और उनमें ४१५ छात्रों की व्यवस्था थी। इसी प्रकार से सेकिंड फाइव इयर प्लान में करीब ४०७ लाख रुपये खर्च किये गये, जिसमें ४ डिग्री कालेजेज थे और ४२८ स्टूडेंट्स लिये गये और ११ पालीटेक्निक स्कूल्स थे जिनमें २८९० छात्र रहते थे। इसी तरह से थर्ड प्लान में करीब ९ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और ६ डिग्री कालेज इंजीनियरिंग के प्रोग्रेसिव थे और उस समय ६ डिग्री कालेजों में प्रति वर्ष ११०५ छात्रों को लेने की व्यवस्था थी। ३३ पालीटेक्निक कालेज थे जिसमें ४६६० छात्रों ने विद्योपार्जन किया। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि फोर्थ प्लान में करीब ३५०० रुपये खर्च हुये और ९ डिग्री कालेजों में ३१२० छात्र प्रति वर्ष शिक्षा पाते थे।

हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आवश्यकता की महता को रियलाइज करते हुये, जहां पूरे हिन्दुस्तान भर के लिये उसने १००० सीटें निर्धारित की थी उसमें से ५८० सीटें केवल उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित की हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना उचित समझता हूं कि फोर्थ प्लान में हम चाहते थे कि टेक्निकल एजूकेशन पर काफी रुपया खर्च किया जाय, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से जिन कारणों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी विशेष चर्चा करने का आवश्यकता मुझे नहीं प्रतीत होती, नहीं हो सका। सरकार चाहता है कि २२०० करोड़ के ऊपर खर्च किया जाय जिससे यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अति तेजी से बढ़ सके।

जिससे हम जिस इन्डस्ट्रियल प्रगति की ओर जा रहे हैं वहां चाहे ग्रेज्युएट स्टूडेंट्स हों और चाहे पालीटेक्निकल के डिप्लोमा होल्डर्स हों वह आगे बढ़ कर प्रदेश में तकनीकी कार्यों में सहयोग प्रदान करें। यह फोर्थ फाइवइयर प्लान की बिगिनिंग में हमारी स्कीम है।

[डाक्टर सीताराम]

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है अभी कहा गया है कि डिप्लोमा के अन्तर्गत सब बातें इन्क्लूड हो सकती हैं। डिप्लोमा शब्द बहुत व्यापक शब्द है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने राय दी कि डिप्लोमा शब्द के अन्तर्गत जो आप इन्क्लूड करना चाहते हैं वह नहीं आ सकता क्योंकि उनका कोर्स ५ साल का है। उसमें पहले २ साल के बाद की परीक्षा प्रिपेरेटरी एक्जामिनेशन या इन्टरमीडियेट एक्जामिनेशन कहा गया है। पांच साल के बाद जो परीक्षा होती है वह हाइएस्ट यानी ऐडवांस्ड डिप्लोमा होगा, ऐसी भारत सरकार ने राय दी है। उन्होंने अपने यहां एक नेशनल ऐडवांस्ड डिप्लोमा जो इसी के समकक्ष है जारी किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कठिनाइयों पर आप ने प्रकाश नहीं डाला। लास्ट इयर हम ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा था कि हमारे यहां आर्ट्स कालेज का एक्जामिनेशन है उस को नेशनल डिप्लोमा मिले। उन्होंने सब स्टेट्स को राय दी कि आप लोग अपने सूबे में जो टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड है उन के द्वारा इम्तिहान लें। इस लिए यह कठिनाई हम लोगों के समक्ष आयी जिस की वजह से यह आया और इस ऐक्ट में हम को तरमीम करना पड़ी।

दूसरी बात कठिनाइयों के बारे में यह है कि अभी यहां पर जो ईस्टर्न कमान्ड था वह यहां पर सेन्ट्रल कमांड हो गया। उन का भी रिप्रेजेन्टेशन होता है, उन के भी आफिसर्स होते हैं यह परिवर्तन किया। साथ ही साथ मूल अधिनियम, १९६२ की धारा (६) को नयी धारा के रूप में रखा गया है जिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि धारा (४) के खंड १, से ४, ६, ९ और २४ में जो लोग आयेंगे उन को ३ साल का टर्म दिया गया है और धारा (४) के खंड ७, १४, और १५ के लिए दूसरा टर्म रखा गया है। यह सब कठिनाइयां थीं, और उनको ध्यान में रख कर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही साथ मूल अधिनियम की धारा (१३) में कहा गया है कि स्टूडेंट्स गिल्टी साबित हों तो कौन सजा दे। इस में यह बात उठायी गयी थी। तो इस में "वह" शब्द जिस के माने "बोर्ड" है, पृष्ठ २ पर देखिये, वह परिवर्तन किया गया है, केवल दो शब्दों का संशोधन किया गया है, अन्यथा वही ६२ का मूल अधिनियम ऐडाप्ट किया गया है कि परिषद् में जो भी आदमी रखे गये हैं उनमें सरकार के ज्यादा हैं। वह सबको मनोनीत करके अपना दबदबा रखना चाहती है। मैं आप की आज्ञा से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इस परिषद् में ४० मेम्बर हैं। जो १९६२ में मौजूद थे वही हैं। उस में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं जिस से किसी को कोई आशंका हो। केवल परिवर्तन यह किया गया है कि उन के टर्म्स क्या हों, इस को सोचा गया है। टर्म्स में कठिनाई उपस्थित हुई तो उन्हीं को ठीक करने के लिए यह मूल अधिनियम की धारा (६) के स्थान पर नयी धारा ६ रखी जा रही है।

श्री कमला सिंह यादव--

उसमें तादाद ज्यादा होनी चाहिए।

डाक्टर सीताराम--

उस में आफिशियल और नान आफिशियल दोनों हैं। उस में ४ सदस्य तो इस माननीय सदन के हैं और २ परिषद् के हैं। उस में हम ने घटाया बढ़ाया नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी आफिशियल हैं उस में टेकनिकल परसोनेल ज्यादा है। चूंकि यह टेकनिकल बिल है इस लिए इस में टेकनिकल परसोनेल ज्यादा रखे गये हैं और उन की अत्यन्त आवश्यकता है। इस लिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह से धारा (१४) के संशोधन के सम्बन्ध में कहा गया कि सरकार अपना रोब और दबदबा कायम रखने के लिए पूरे अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन ऐक्ट के सेक्शन (९) के सब सेक्शन ४ के अन्तर्गत सरकार

को इमरजसी पावर मिली हुई है। इस सम्बन्ध में जैसा कि श्री कमला सिंह जी यादव ने प्रश्न उठाया था कि सरकार को क्या कठिनाई हुई। मैं उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। गवर्नमेंट आफ इन्डिया में एक अन्तर्राष्ट्रीय जगत के विद्यार्थी के इस लखनऊ पालिटेकनिक के लिए दिक्कत हुई। प्रिंसिपल ने ऐडमिशन कर लिया। आप लोग विदेश गये होंगे तो आप को जानकारी होगी कि हर एक को पासपोर्ट बनाने और विसा कराने में देर हो जाती है। तो उस छात्र को यहां पर पहुंचने में देर हो गयी। उसका ऐडमिशन हो गया। जब यहां वह पहुंचा तो देर हो गयी। यहां पर परसेंटेज मार्क्स का रहता है। वह हर एक विद्यार्थी का लेते हैं। तो लड़का भी परेशान और प्रिंसिपल भी बहुत परेशान। तो वह गवर्नमेंट के पास आया। गवर्नमेंट के पास ऐसा अधिकार नहीं था। चूंकि लड़का अन्तर्राष्ट्रीय जगत का था, आप के हिन्दुस्तान का लड़का नहीं था, भारत सरकार ने उस के ऐडमीशन के लिए लखनऊ पालिटेकनिक को लिखा था इस लिए नियमों के अन्तर्गत वह नहीं आ सकता था। इस वजह से यह संशोधन लाया गया है कि इमरजेंसी पावर सरकार के पास रहे। इस तरह से गवर्नमेंट अपनी उस पावर को इस्तेमाल कर सकती है।

इसी तरह से धारा (१९) के बारे में श्री कमला सिंह जी ने कहा कि विद्यार्थियों के खिलाफ बोर्ड ऐक्शन लेता है। उन को जानकारी होगी कि ५० से ७५ नम्बर तक हर एक पालिटेकनिक के विद्यार्थी को अनुशासन पालन के लिए प्रिंसिपल देता है। अगर कोई विद्यार्थी अनुशासनहीन पाया जाय तो उस के सम्बन्ध में प्रिंसिपल परिषद् को अपनी संस्तुति भेजता है और परिषद् उस पर विचार करती है।...

ऐसी परिस्थिति में ऐसी पावर बोर्ड के पास रहनी चाहिए। यह कहना कि विद्यार्थियों के ऊपर सी० आर० पी० सी० की धारा लागू कर दी गयी है उस के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम ने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन की धारा को ऐसे ही एडाप्ट कर लिया है। एक साल पहले यह दिक्कत आयी थी इस लिए ऐसा करना पड़ा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पहले मूल प्रस्ताव को रख रहा हूं। यदि यह पास हो जायगा तो दोनों संशोधन गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह यादव--

मैं, श्रीमन्, अपना पहला वाला संशोधन पेश नहीं करना चाहता। खंड ३ में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि....(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

यह संशोधन तो श्री शंकरलाल जी का है। इसे वही पेश करेंगे।

(श्री शंकरलाल का नाम पुकारा गया।)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कमला सिंह जी संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उस की उन्हें इजाजत नहीं थी। पहले वह संशोधन श्री शंकर लाल जी पेश करेंगे। वह बोल सकेंगे।

श्री ऊदल--

इस में दिक्कत क्या है ?

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, अब तो पांच बज गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

तो ठीक है। यह कल पेश किया जायगा।

अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अगस्त, १९६६।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर।]

कानपुर शहर व प्रत्येक तहसील को १ सितम्बर, १९६५ से ३० जून, १९६६, तक दिये गये मिट्टी के तेल की मात्रा लीटर में

स्थान	सितम्बर १९६५	अक्तूबर १९६५	नवम्बर १९६५	दिसम्बर १९६५	जनवरी १९६६	फरवरी १९६६	मार्च १९६६	अप्रैल १९६६	मई १९६६	जून १९६६
शहर	२,६९,६३२	१,८६,५४६	२,५६,६०८	२,५२,४०७	३,८८,४६२	२,४८,०३८	२,९७,१४९	३,९९,०००	३,८६,०००	४,२२,०००
बिल्हौर ..	४१,६००	४१,६००	४०,८००	४०,८००	५१,०००	५०,४००	४५,०००	७,०००	२०,०००	२०,०००
घाटमपुर ..	१७,६००	१९,६३७	१९,६६७	१७,६००	२४,०००	२४,०००	२१,०००	३५,०००	३५,०००	२०,०००
डेरापुर ..	२६,६००	२९,७००	२९,७३५	२५,८००	३३,६००	३२,४००	२७,५००	३७,०००	२०,०००	२०,०००
कानपुर ..	१७,६००	१९,०००	२१,१३५	१७,६५५	२५,२००	२५,२००	२१,०००	२३,०००	२०,०००	२०,०००
भोगनीपुर ..	२५,१३३	२७,२४४	२७,५९३	२३,५००	२६,२९५	२४,१९१	२२,५१६	२२,०००	४१,०००	२६,०००
अकबरपुर ..	३५,२००	३५,२००	३५,२००	३६,१७६	४३,२००	४०,२८०	३८,०००	३१,०००	२०,०००	२०,०००

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) का ता० प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर]

प्रेषक,

सुरेश चन्द शर्मा, एम० ए०,
मंत्री भारतीय जनसंघ, ऋषिकेश।

सेवा में,

श्री जिलाधीश महोदय,
देहरादून।

विषय---नगरपालिका चेयरमैन की धांधलियां तथा असंसदीय व्यवहार।

मान्यवर महोदय,

अत्यन्त खेद के साथ आप की सेवा में पुनः निवेदन करना पड़ रहा है---नगरपालिका ऋषिकेश में चेयरमैन महोदय की धांधलियां तथा विरोधी दल के सदस्यों को कुचलने की नीति सीमा से भी अधिक हो रही है।

१---गत सितम्बर मास में जनसंघ द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक आन्दोलन चेयरमैन के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया था। हमारी मांगों को उचित जानते हुये ही आप के आदेशानुसार अतिरिक्त जिलाधीश की मध्यस्थता पर और चेयरमैन महोदय की मांगों के शीघ्र ही पूरा करने के आश्वासन पर हमने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया था किन्तु अभी तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। जब कि इस विषय में हमने कई बार आपका ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया था।

२---नगरपालिका निर्माण कार्यों में चल रहे भ्रष्टाचार, सीमेन्ट की चोरी, हेरा फेरी तथा गत ५, ६ वर्षों में हुए कुछ निर्माण कार्यों के प्रति जनता के असंतोष के विषय में हमने कई बार आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा नगरपालिका के सात सदस्यों ने दिनांक १२-१-१९६६ को लिखित रूप में भी आपसे इसकी जांच कराने की मांग की किन्तु आज तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई जब कि वर्तमान बोर्ड में भी निर्माण कार्यों की जांच के लिये प्रस्ताव पास हो चुका है और चेयरमैन महोदय की ढील के कारण ही अभी तक जांच नहीं हो पाई।

३---चेयरमैन द्वारा एक ठेकेदार को बिना बोर्ड की स्वीकृति बिना स्टेटमेन्ट तथा बिना टेन्डर काल किये ही १२,००० रु० के कार्य देने के विरोध में तथा उसका कार्य रोकने के लिये दिनांक १२-१-१९६६ को बोर्ड के नौ सदस्यों ने आपको लिखित सूचना दी थी। स्मरण रहे कि इन नौ सदस्यों में तीन सदस्य कांग्रेस के भी सम्मिलित हैं जिनमें कनिष्ट नगरपालिका चेयरमैन भी हैं।

४---इतना होने पर भी २३-२-१९६६ को बोर्ड की मीटिंग में जनसंघ के एक सदस्य द्वारा यह पूछे जाने पर क्या १२,००० रु० का काम बिना एस्टीमेट, टेन्डर काल किये और बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के दिये जाने का कोई नियम है, चेयरमैन द्वारा जनसंघ के साथ बड़ा असंसदीय, अप्रजातांत्रिक तथा अभद्र व्यवहार ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें बोर्ड से मुअत्तल कराने की धौंस भी दी गयी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर चेयरमैन साहब अपनी इच्छा से नियमोल्लंघन करते रहे, जनता के धन से खिलवाड़ करते रहे, अपने मित्रों का पोषण करते रहे और दूसरी ओर विरोधी दल के सदस्यों को बोलने भी न दिया जाय यह कहां का प्रजातंत्र है।

आशा है कि आप शीघ्र ही इस विषय में जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे अन्यथा हमें मजबूर हो कर ऋषिकेश में उच्चस्तर पर आन्दोलन प्रारम्भ करना होगा।

आपसे कार्यवाही तथा उत्तर की प्रतीक्षा में,

भवदीय,

(ह०) सुरेश चन्द्र शर्मा

प्रतिलिपियां प्रेषित:—

१—कमिश्नर महोदय, मेरठ।

२—मुख्य मंत्री महोदय।

३—स्वायत्त शासन मंत्री।

४—नेता विरोधी दल, विधान सभा, विधान सभा में प्रश्न करने हेतु।

विधान भवन

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८६ एल० ए०—१९६६—८४६।